



No. K-12011/4/2011-DD.IB

भारत सरकार / Government of India

शहरी विकास मंत्रालय / Ministry of Urban Development

निर्माण भवन / Nirman Bhavan

नई दिल्ली / New Delhi

Dated, the 25<sup>th</sup> November, 2011

Commr. (Plg.) - II  
Despatch.....  
Date.....

OFFICE OF THE DIR (Plg.)  
MPR/TC, D.D.A.N. DELHI-2  
Dy. No. 1566  
Dated 30/11/11

315

O.S.D. (Plg.)  
Dy. No. L-19-mo(11)  
Dated 29/11/11

To

The Vice Chairman,  
Delhi Development Authority,  
Vikas Sadan, INA,  
New Delhi.

बुपाध्य - 328-UDM  
डा. स. 28/11/11  
दि. 28/11/11

Subject:- Suggestions regarding Review of Master Plan for Delhi-2021

Sir,

I am directed to forward herewith a copy of suggestions addressed to Urban Development Minister received from following Association on the subject cited above for information and necessary action:-

Sl.No.	UDM Dy. No.	Received from
1.	4119 dated 23.11.11	Central Market Welfare Association, Prashant Vihar (Regd.), Prashant Vihar, Delhi
2.	4120 dated 23.11.11	Confederation of All India Traders, Naiwala, Karol Bagh, New Delhi
3.	4129 dated 23.11.11	Prashant Vihar Shops & Establishment Association, Prashant Vihar, New Delhi.
4.	4132 dated 23.11.11	Dall & Besan Millers Association, Delhi
5.	1021/Director(DD) dated 24.11.11	Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry
6.	5302/D/S dated 24.11.11	PDH Chamber of Commerce & Industry

Yours faithfully,

*Sunil Kumar*

(Sunil Kumar)

Under Secretary (DDIB)

Tel.No.23061681

Encl. as above.

*Handwritten notes and signatures:*  
30/11  
DDIB  
30/11  
AD(P) II

*Handwritten notes and signatures:*  
Ar 28/11  
Comm. (Plg.) II  
29/11/11  
28/11/11  
Dist (MPR)



# PHD CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

PHD House, 4/2 Siri Institutional Area  
August Kranti Marg, New Delhi-110016 (India)

**Secretary**  
Infrastructure, Energy, Housing & Urban Development

5352-4/S  
24/11/11

IP-15-(Inf)-2211  
22<sup>nd</sup> November 2011

Dear Dr Krishna,

## Sub: Mid-term review of Master Plan for Delhi 2021

This is with reference to the advertisement published in the Times of India publication inviting public suggestions for mid-term review of Master Plan for Delhi -2021.

We take this as one more opportunity to bring in improvements wherever possible. Our Housing & Urban Development Committee at PHD chamber has deliberated upon various aspects pertaining to the Master Plan of Delhi 2021. In the course of our discussion, we have received various suggestions from our members which should help the Master Plan achieve its core objectives. These suggestions are listed as following:

### 1. Residential Use in Existing Industrial Plots with minimum 15 % Commercial/Industrial Component:

In case of City of Delhi, all previous Master Plans of Delhi were prepared based upon the pattern of residential development prevalent at that particular time and requirement of augmentation of existing developed areas and finding new areas for future development were always emphasized. MPD 2021 recognizes the fact that there is a net housing shortage of about 1.0 Lakh houses/dwelling units. Moreover, the estimated additional housing stock required by 2021 will be around 24 Lakh dwelling units.

SUD - in tone  
Dye (DD)  
18  
49(2)A

PROGRESS • HARMONY • DEVELOPMENT

IN COMMUNITY'S LIFE & PART OF IT

SERVING : CHANDIGARH • CHHATTISGARH • DELHI • HARYANA • HP • J&K • MP • PUNJAB • RAJASTHAN • UTTARAKHAND • UP

Tel. : +91-11-2686 3801-04, 49545454, 49545400 • Fax : +91-11-2685 5450 • E-mail : phdcci@phdcci.in • Website : www.phdcci.in



It has also been recognized in MPD 2021 that around 40% of housing need can potentially be satisfied through redevelopment/up-gradation of existing areas of Delhi. Para 3.3 of MPD 2021 stresses upon the need for redevelopment of existing planned areas in view of "limitation of buildable and urbanisable land in Delhi." The redevelopment may not be kept limited to existing residential areas but may be extended to other Use Zones also, to meet the target.

However, the residential areas have been further shrunk under the same MPD 2021 by stipulations of Chapter – 15: Mixed Land use of MPD 2021, where commercial uses have been permitted on notified road in residential areas. This will result in more supply of commercial spaces at the cost of residential spaces.

There should be some effort to compensate this loss of residential area by way of allowing residential use in Industrial Plots. Pursuant to the Hon'ble Supreme Court's Order dated 10.05.1996, large Industrial lands have been made available for redevelopment because of closing and relocation of large and heavy industries. All these lands which are more than 2000 Sqm in area, are surrounded by large tracts of green areas and are conducive for residential development. In fact, staff housing has traditionally been part of large industrial estates, and hence residential use has been existing in Industrial areas.

In MPD 2021, the Land use "Manufacturing" has been replaced by Land use "Industrial" with only two Use premises – "Industrial Plot" and "Flatted Group Industry". It has also been provided in MPD 2021 that "Industrial Units/Plots abutting 24m ROW and above shall be eligible for conversion to commercial use within the existing development control norms, subject to payment of conversion charges .... The activities permitted in local shopping centers will be permitted in such plots."

As per MPD 2021, the land area required for "Local Shopping Center" is 0.30 Ha (3000 Sqm). But most of these vacated sites are much more in area than required for "Local shopping Centers". Thus redeveloping these Industrial lands as per Industrial Development Control Norms and then converting them for commercial use of local shopping centers, is totally unviable. The main reason would be a huge amount of commercial space would be available without sufficient supporting residential populations around these areas. In fact, based upon the area of the plot, the activities permitted in higher commercial tiers (such as Community Center etc.) should also be permitted.

It is therefore, suggested that in order to make the redevelopment sustainable, existing Industrial plots having area commensurate to the threshold size of plots of group housing and industrial use premises, as per MPD 2021, should be allowed to have residential Group Housing development with minimum 15% of commercial component. While commercial component is to be allowed with existing development control norms, the residential Group Housing development should be allowed with development control norms of "Group Housing" with enhanced FAR. The reason for proposing differential development control norms is that the development control norms of Group Housing are entirely different from that of Commercial or Industrial use premises. This is clear from the example that a building constructed with Industrial (Flatted Group Industries) development control norms, can easily be used for commercial use premise or vice versa. But the same building cannot be used for Group Housing use premise or vice versa. All supporting community facilities should be permitted on 'Accommodation Reservation' basis (i.e. allowing construction of community facilities without counting in FAR, as already envisaged in clause 3.2.2 "Guidelines For Redevelopment Schemes", in MPD 2021), to incentivize the development of Residential Group Housing use, in place of total commercial development of these sites.

In Mumbai, there is a separate categorization of industrial use zone where residential use is permitted along with commercial use. This way the land use has been retained as "Industrial" but plots under that Industrial Use Zone can be developed for residential and commercial uses. This can be adopted in Delhi also.

This residential and commercial development should conform to all the norms of MoEF clearances in terms of energy efficiency and with provisions of on-site management and disposal of waste water and solid waste as per MoEF guidelines.

This would make a significant contribution towards housing stock, including Community Personnel/EWS category housing as these are to be created along with Group housing as per MPD 2021 provisions. Secondly, this housing stock would be created in already developed areas of city with ample infrastructure. This would considerably reduce the capital investment in creating the trunk infrastructure. The optimum utilization of land would also be ensured.



In terms of Chapter 17, sub clause 8 (2) of MPD 2021, Old Age Homes, Hostels, Night Shelters etc are already allowed in Industrial use zone. Since these uses are residential in nature, the same logic can be extended to allowing residential development in the industrial land uses.

Para 7.6 of MPD 2021 lays down that "there is a need for modernization and up-gradation of the existing industrial areas with due regard to environmental consideration. Since several of the areas are located along the Mass Public Transport Corridors such as Delhi Metro, BRT corridors and proposed Regional Rapid Transport System (RRTS), there is also a need for optimizing the use around these areas through the process of redevelopment.

**Therefore the following amendments are required in MPD 2021-**

Amendment 1: In Chapter 17, sub clause 8 (2) of MPD 2021 "to permit Group Housing use premise in industrial use zones".

Amendment 2: In clause 3.3.2 by adding " Group Housing activity to be permitted in industrial Land use as part of redevelopment/re-densification strategy, with group housing development control norms, with additional FAR of 50% as an incentive. The required community facilities to be provided on 'Accommodation Reservation' basis to further incentivize this development."

Amendment 3: In Table 7.3: Development Control Norms of Industrial Land use, in Notes (vi), after the line "Industrial units/plots abutting roads of 24 m ROW and above shall be eligible for conversion to commercial use within existing development control norms,...The activities permissible in local shopping centers will be permitted in such plots." add "Group Housing activity in existing Industrial plots having area commensurate to the threshold sizes of plots of group housing and industrial use premises shall be eligible for residential group housing development with minimum 15% of commercial/industrial component.

While commercial/industrial component shall be permissible within existing development control norms, the residential group housing development will be governed by the development control norms of "Group Housing" with enhanced FAR and with all supporting community facilities on 'Accommodation Reservation' basis to incentivize the development of Residential use in these lands."

**2. DENSITY FLEXIBILITY:**

In Housing Strategy of **MPD 2021**, emphasis has been laid on optimum utilization of land with a view to increase net residential density. As per Clause 4.2, it is envisaged that "...a fixed density could lead to under utilization of FAR or imposition of artificial limits to optimal use of land, which

is a scarce commodity". Based upon this argument the **MPD 2021**, for the first time, has introduced the following density norms with corresponding category of dwelling unit (DU) sizes:

Slum/EWS housing	(upto 30 sq.m)	- 600 DUs/Ha
Category I	(above30-upto 40sq.m.)	- 500 DUs/ Ha
Category II	(above40-upto 80sq.m.)	- 250 DUs/ Ha
Category III	(above80sqm)	- 175 DUs/Ha

As per Clause 4.4.3 B (i) a variation of 10% is allowed as flexibility in the density norms. In practice, this argument that fixed density would lead to underutilization of FAR and impose artificial limits to optimal use of land, does not hold good. By categorization of density with respect to dwelling unit sizes would lead to heterogeneous densification and may put undue pressure on existing trunk infrastructure.

For a threshold plot size of group housing, i.e. 3000 Sqm with FAR of 200 the maximum and minimum numbers of dwelling units permissible and average sizes of dwelling units are as following:

Category specified	No. of Dwelling Units			Range of average sizes of DUs. (Sqm)
	Density	+10% variation	-10% variation	
I (500 DUs/Ha)	150	165	135	36.37 Sqm – 44.44 Sqm
II (250 DUs/Ha)	75	83	68	72.29 Sqm – 88.24 Sqm
III (175 DUs/Ha)	53	58	47	103.45 Sqm – 127.66 Sqm

It is therefore observed that the range of number of dwelling units permissible is 47 to 165, while the range of average dwelling unit size is from 36.37 Sqm – 127.66 Sqm

As per MPD 2021 the variation of plot sizes and number of dwelling unit allowed, based upon table 4.4.3. A Residential Plotted Housing

S. No.	Range of Plot Areas (in Sqm)	Avg. Plot area in the category (in Sqm)	Range of plot sizes available in the category for from average plot area (%)
1	Below 32	--	--
2	Above 32 - 50	41	+/- 21.95%



3	Above 50 - 100	75	+/- 33.3%
4	Above 100 - 250	175	+/- 42.85%
5	Above 250 - 750	500	+/- 50%
6	Above 750 - 1000	875	+/- 14.29 %
7	Above 1000 - 1500	1250	+/- 20%
8	Above 1500 - 2250	1875	+/- 20%
9	Above 2250 - 3000	2625	+/- 14.28%
10	Above 3000 - 3750	3375	+/- 11.11%
11	Above 3750	--	--

It is observed that variations available are from +/- 11% to +/- 50% in residential plotted housing in MPD 2021. This concept of density categorization is applicable comfortably in cases where, different sizes of dwelling units are provided in the separate building blocks in a Residential Development Scheme but where blocks are designed with a mix of different sizes of dwelling units for different income categories in the same block, the applicability of these differential density norms becomes restrictive.

Similarly, these norms are not suited uniformly to all areas, as some areas are already densely populated. Thus these differential density norms do not do justice to the already existing urban areas of the city. As per clause 4.2 "HOUSING STRATEGY", *"these norms and controls ( such as planning norms, land use zoning, density, FAR and building controls) should also be reviewed periodically (preferably every five years) by DDA and suitably modified/ updated to meet the requirements of the citizen"*.

Hence it is suggested that:

1. There should be one designated density for each Zone which would be applicable to any group housing development in that Zone of the City.
2. The dwelling unit below 25 Sqm plinth area should not be counted as a dwelling unit for the purpose of density.
3. The flexibility of density should be +/- 30% from the designated density of that zone. The range of +/- 11 to +/- 50% is already available in case of Residential plots. This would provide ample scope of flexibility in terms of sizes of dwelling units affordable to all sections of the society. The concept of a designated density for a zone as applicable in MPD 2001 should again be revived the city.

### **3. ENHANCEMENT OF F.A.R. AND NO-RESTRICTION OF HEIGHT FOR COMMERCIAL, PUBLIC-SEMI PUBLIC FACILITIES:**

In MPD 2021, it is recognized that developable land is a constraint in the National Capital Territory of Delhi (NCTD). To accommodate the projected additional population in the city, the measure like increase in density norms, upward revision of height limits (No Restriction in some cases) and increase in FAR have been incorporated in MPD 2021.

Due to severe constrain on developable land it is always preferred to do vertical development which utilizes less land area, allow more space for greening, roads and parking on surface, which improves the quality of life. This also provides space for laying better infrastructure which, in turn, increases the population holding capacity of the land. Services become cheaper, transportation linkages become better.

In MPD 2021, the FAR has been increased and height restrictions have been relaxed/ removed for various levels of commercial and social infrastructure use premises. There is scope of further increase in FAR and removal of height restrictions which would further increase supply of planned commercial and social facilities for the city population. This will reduce the horizontal expansion of the city and would reduce cost of providing transportation infrastructure, reduce pollution and would reduce the carbon foot print of the city as a whole.

In Clause 3.3.2. of MPD 2021, Guidelines for Redevelopment Schemes have been stipulated. In this clause at para (v) it is mentioned that "*To incentivize the redevelopment a maximum overall FAR of 50% over and above existing permissible FAR on individual plots subject to maximum of 400 shall be permissible.*" This benefit of 50% more FAR should be extended to all the use premises including commercial and social facilities, in order to match the re-densification of residential areas as envisaged in these redevelopment guidelines.

It should be recognized that when land optimization is the basic crux of MPD 2021, the restriction of heights should be removed and this should be fixed by DAUC on case to case basis. The FAR should be increased across the board commensurate with the enhanced FAR as per re-development guidelines.



Keeping in view the benefits to the city, the following specific modifications in commercial and social facilities are suggested in MPD 2021:

#### **Chapter-5: Trade & Commerce**

##### Table 5.4 (a) (i) & (ii): Convenience Shopping Center/ Local Shopping Center/ Local level Commercial areas:

The FAR should be increased to 150 height should be NR. The configuration of the buildings should be left to developers according to specific locations and needs.

##### Table 5.4 (a) (iv): Community Center/ Non-hierarchical Commercial Center:

The FAR should be increased to 200 for the same reasons as above.

##### Table 5.4 (a) (v) and (b) District Centers/ Sub-Central Business District/ Sub-City level Commercial Areas: Metropolitan City Center/ CBD:

The FAR should be increased to 250(it was so in the CBD) because a city centre or "secondary" city centres will always have strong demand and since there is a shortfall in Tier I and Tier II developments (clause 5.4), maximisation of the existing ones is necessary.

##### Table 5.4 (c) HOTELS --

The FAR should be further enhanced to 50% more of MPD 2021.

#### **Chapter 13: Social Infrastructure**

When land usage is being optimised (e.g. group housing), the requirement of social infrastructure would also increase due to increase of population in same area. Rather than providing several units of social infrastructure, which will consume already scarce land, existing social infrastructure sites should be given proportionate increase in FAR & no restriction in height.

The social facilities have been neglected in terms of enhancement of FAR and relaxation of heights over the last two masterplans. In MPD 2021 some initiatives have been taken to increase the FAR and heights but it is still insufficient.

In many of the specific facilities, the development control norms need a review and rationalisation.

For example **Health Facilities:**

#### **Table 13.2**

The FAR range should be increased to 50% more than permissible in MPD 2021. The reason is land for health facilities is scarce and being able to provide more facilities in a given land area serves the population better and brings down project cost and consequently treatment costs. The height should also be NR (subject to AAI, ASI, DFS etc.) because in the present day, hospital planning in the vertical format is a prevalent practice and vertical transportation is very easily handled.

#### **Table 13.2 Note 1 & 2a**

Plot area and number of beds cannot be linked because this ratio is dependent on the type of medical facility (extent of general wards, rooms, specialisations, diagnostics, operation theatres etc.). Generalisation of this standard would not serve the purpose as requirement of various levels and types of Hospitals are different.

### **4. AMALGAMATION OF PLOTS**

Amalgamation and reconstitution of plots has been permitted by MPD 2021 for planning purposes for Redevelopment schemes. The same concept should be extended to all the plots whether part of redevelopment scheme or not, wherever a plot owner(s) want(s) to amalgamate the adjacent plot for unified, coherent and efficient planning.

Some of the use premises of MPD 2021 could only be availed by amalgamation of plots where a certain threshold plot size is mentioned. By amalgamation of plots the quality of development will improve and it would help in decongestion and environmental improvement of the localities, already under pressure of over spilling parking on public road and less space for greenery.



These amalgamated plots will provide services within these plots, to make the development self-sufficient. The provision of parking and landscaping inside these amalgamated plots will be more efficient, contiguous and visually spacious. There may not be a limit on maximum size of the amalgamated plots, rather it needs to be encouraged in view of economy of space and more parking available on surface. The minimum size of amalgamated plots may conform to the threshold sizes mentioned in the MPD 2021 for various use premises.

#### **5. SUBDIVISION OF PLOTS**

With MPD 2021 enhancing the FAR for most of the use premises, with the condition of payment of additional FAR charges at the prescribed rates, it becomes economically unviable for a land owner to avail the benefit of full FAR. The subdivision of plot shall give the opportunity to the owner to avail the FAR affordable to him.

While allowing the subdivision of plots, the local bodies should ensure the right of way, provision of parking requirements inside the plots and other specific requirements of the use premises of each subdivided plot are met.

If above conditions are met, then there should not be any limit for maximum size of subdivided plots. The minimum size of the subdivided plot should conform to the threshold sizes mentioned in MPD 2021 for various use premises.

#### **6. NORMS FOR ENHANCED F.A.R. AS PER MPD 2021 FOR EXISTING COMMERCIAL CENTERS**

The MPD 2021 recognizes that out of total 23 District Centers planned till date, only ten have been developed, some of those are developed only partially. This has put a severe constraint on supply of planned commercial space in the city. This has manifested in unauthorized commercialization of residential and industrial areas. The Master Plan of Delhi 2021 has proposed enhanced F.A.R. for various levels of commercial development as per table 5.4. This has been done to increase the supply of planned commercial space in the city which is deprived of it since the implementation of last two Master Plans of Delhi.

In this table 5.4, as per Note (v), it is stated that:-

"Wherever redevelopment of existing commercial areas stipulate preparation of comprehensive scheme, the same can be initiated jointly by the lessee/owners themselves and submitted to land owning agency/planning authority for approval. Wherever any enhancement in FAR is approved, the same will be subject to charging of appropriate levies from the beneficiaries. For Metropolitan City Centers, in Special Areas, development control shall be as per approved scheme."

The existing Commercial Centers are comprehensive schemes, and it seems in order to take benefit of enhanced F.A.R. in these Commercial Centers as per MPD 2021, revised comprehensive scheme would be required to be made by all the lessees/owners, which is highly impractical. As per above stipulations unless a revised comprehensive scheme is prepared and approved by land owning agency/ planning agency, the benefit of enhanced supply of planned commercial space will not be available to the society and the purpose of enhancing the F.A.R. in MPD 2021 would be defeated.

It is therefore suggested that:

The process of availing the benefit of enhanced F.A.R. needs to be made practical. For this a comprehensive scheme providing enhancement of pro-rata FAR to each lessee/owner should be prepared and approved by the land owning agency/ planning authority in consultation with DUAC for the entire Commercial Center.

Wherever architectural controls and height restrictions are applicable, those should be relaxed with the consent of DUAC.

Then individual lessee/owner of plots in an existing Commercial Centers should be allowed to prepare building plans to utilize the enhanced FAR, on pro-rata basis, as approved above, for their individual plot keeping in view that the functioning of the Commercial Center is not adversely affected, and submit it to the land owning agency/ planning authority for approvals.

Any change in parking standards etc. should be applicable to the extent of enhanced FAR only

#### **7. NORMS FOR ENHANCED F.A.R. AS PER MPD 2021 FOR GROUP HOUSING SCHEMES**

In MPD 2021, the F.A.R. for group housings has been increased from 167 to 200. This has been done to increase density of residential development, the housing stock and for optimum utilization of land. The existing group housing schemes sanctioned under MPD 2001, with 167



FAR could also like to take benefit of this enhanced FAR. The constraint in this process is the new stipulations of group housing in MPD 2021, such as enhanced parking norms, provision of dwelling units for Community Services personnel/ EWS category to the extent of 15% of FAR or 35% of dwelling units, whichever is more, and enhanced density norms being applicable to full FAR – earlier sanctioned as per MPD 2001 and enhanced FAR as per MPD 2021.


In order to facilitate the existing group housing schemes to get the benefits of enhanced FAR for increasing the housing stock supply, in already sanctioned schemes under MPD 2001, the new/enhanced stipulations should be applicable to the extent of enhanced FAR as per MPD 2021 only.

DDA has already started the process of amending MPD 2021 in terms of enhanced parking stipulations being applicable only to the additional FAR allowed over MPD 2021. Similar amendments should be done for the rest of the enhanced stipulations such as density norms and provision of EWS dwelling units to be applicable to the extent of enhancement in FAR by MPD 2021 and not the entire FAR in group housing schemes.

The reason being most of the group housing schemes sanctioned under MPD 2001, are already developed/being developed and provision of stipulations like parking, density and EWS have already being made as per MPD 2001. There is very limited scope of enhancing these stipulations to meet the requirement of full FAR with new stipulations as per MPD 2021. This relaxation would relieve the constraint from existing group housing schemes and would facilitate creation of additional housing stock.

Regards,

Yours sincerely,



( Dr. Ranjeet Mehta )

**Dr. Sudhir Krishna**  
Secretary  
Ministry of Urban Development  
Government of India  
Nirman Bhawan  
New Delhi 110 011

November 17, 2011

Dr. Sanjeeb Kumar Mishra  
Director - Delhi Division  
Ministry of Urban Development  
Government of India  
New Delhi

Dear Dr. Mishra,

I hereby enclose suggestions relating to specific aspects in MPD 2021 for your kind consideration. These suggestions have been prepared on the basis of inputs received from industry. I hope our recommendations will add value to the midterm review process of the master plan of Delhi.

Best regards,

Yours sincerely,

Rajiv

Rajiv Kumar

1021/Direct/MD  
24/11/2011

AD(4)T/

1021/Direct/MD  
24/11/2011  
JB





301

### **Residential Use in Existing Industrial Plots with minimum 15 % Commercial/Industrial Component**

In case of City of Delhi, all previous Master Plans of Delhi were prepared based upon the pattern of residential development prevalent at that particular time and requirement of augmentation of existing developed areas and finding new areas for future development were always emphasized.

MPD 2021 recognizes the fact that there is a net housing shortage of about 1.0 Lakh houses/dwelling units. Moreover, the estimated additional housing stock required by 2021 will be around 24 Lakh dwelling units.

It has also been recognized in MPD 2021 that around 40% of housing need can potentially be satisfied through redevelopment/up-gradation of existing areas of Delhi. Para 3.3 of MPD 2021 stresses upon the need for redevelopment of existing planned areas in view of "limitation of buildable and urbanisable land in Delhi." The redevelopment may not be kept limited to existing residential areas but may be extended to other Use Zones also, to meet the target.

However, the residential areas have been further shrunk under the same MPD 2021 by stipulations of Chapter – 15: Mixed Land use of MPD 2021, where commercial uses have been permitted on notified road in residential areas. This will result in more supply of commercial spaces at the cost of residential spaces.

There should be some effort to compensate this loss of residential area by way of allowing residential use in Industrial Plots.

Pursuant to the Hon'ble Supreme Court's Order dated 10.05.1996, large Industrial lands have been made available for redevelopment because of closing and relocation of large and heavy industries. All these lands which are more than 2000 Sqm in area, are surrounded by large tracts of green areas and are conducive for residential development. In fact, staff housing has

traditionally been part of large industrial estates, and hence residential use has been existing in Industrial areas.

In MPD 2021, the Land use "Manufacturing" has been replaced by Land use "Industrial" with only two Use premises – "Industrial Plot" and "Flatted Group Industry". It has also been provided in MPD 2021 that "Industrial Units/Plots abutting 24m ROW and above shall be eligible for conversion to commercial use within the existing development control norms, subject to payment of conversion charges .... The activities permitted in local shopping centers will be permitted in such plots."

As per MPD 2021, the land area required for "Local Shopping Center" is 0.30 Ha (3000 Sqm). But most of these vacated sites are much more in area than required for "Local shopping Centers". Thus redeveloping these Industrial lands as per Industrial Development Control Norms and then converting them for commercial use of local shopping centers, is totally unviable. The main reason would be a huge amount of commercial space would be available without sufficient supporting residential populations around these areas. In fact, based upon the area of the plot, the activities permitted in higher commercial tiers (such as Community Center etc.) should also be permitted.

It is therefore, suggested that in order to make the redevelopment sustainable, existing Industrial plots having area commensurate to the threshold size of plots of group housing and industrial use premises, as per MPD 2021, should be allowed to have residential Group Housing development with minimum 15% of commercial component. While commercial component is to be allowed with existing development control norms, the residential Group Housing development should be allowed with development control norms of "Group Housing" with enhanced FAR. The reason for proposing a differential development control norm is that the development control norms of Group Housing are entirely different from that of Commercial or Industrial use premises. This is clear from the example that a building constructed with Industrial (Flatted Group Industries) development control norms, can easily be used for commercial use premise or vice versa. But the same building cannot be used for Group Housing use premise or vice versa. All supporting community facilities should be permitted on 'Accommodation Reservation' basis (i.e. allowing construction of community facilities without counting in FAR, as already envisaged in clause 3.2.2 "Guidelines For Redevelopment



Schemes", in MPD 2021), to incentivize the development of Residential Group Housing use, in place of total commercial development of these sites.

In Mumbai, there is a separate categorization of industrial use zone where residential use is permitted along with commercial use. This way the land use has been retained as "Industrial" but plots under that Industrial Use Zone can be developed for residential and commercial uses. This can be adopted in Delhi also.

This residential and commercial development should conform to all the norms of MoEF clearances in terms of energy efficiency and with provisions of on-site management and disposal of waste water and solid waste as per MoEF guidelines.

This would make a significant contribution towards housing stock, including Community Personnel/EWS category housing as these are to be created along with Group housing as per MPD 2021 provisions. Secondly, this housing stock would be created in already developed areas of city with ample infrastructure. This would considerably reduce the capital investment in creating the trunk infrastructure. The optimum utilization of land would also be ensured.

In terms of Chapter 17, sub clause 8 (2) of MPD 2021, Old Age Homes, Hostels, Night Shelters etc are already allowed in Industrial use zone. Since these uses are residential in nature, the same logic can be extended to allowing residential development in the industrial land uses.

Para 7.6 of MPD 2021 lays down that "there is a need for modernization and up-gradation of the existing industrial areas with due regard to environmental consideration. Since several of the areas are located along the Mass Public Transport Corridors such as Delhi Metro, BRT corridors and proposed Regional Rapid Transport System (RRTS), there is also a need for optimizing the use around these areas through the process of redevelopment.

Therefore the following amendments are required in MPD 2021-

Amendment 1: In Chapter 17, sub clause 8 (2) of MPD 2021 "to permit Group Housing use premise in industrial use zones".

Amendment 2 : In clause 3.3.2 by adding " Group Housing activity to be permitted in industrial Land use as part of redevelopment/re-densification strategy, with group housing development control norms, with additional FAR as an incentive. The required community facilities to be provided on 'Accommodation Reservation' basis to further incentivize this development."

Amendment 3: In Table 7.3: Development Control Norms of Industrial Land use, in Notes (vi), after the line "Industrial units/plots abutting roads of 24 m ROW and above shall be eligible for conversion to commercial use within existing development control norms,...The activities permissible in local shopping centers will be permitted in such plots." add "Group Housing activity in existing Industrial plots having area commensurate to the threshold sizes of plots of group housing and industrial use premises shall be eligible for residential group housing development with minimum 15% of commercial/industrial component. While commercial/industrial component shall be permissible within existing development control norms, the residential group housing development will be governed by the development control norms of "Group Housing" with enhanced FAR and with all supporting community facilities on 'Accommodation Reservation' basis to incentivize the development of Residential use in these lands."



297

4

ALL DISPUTES SUBJECT TO DELHI JURISDICTION

27407314  
42397174

DALL &amp; BESAN MILLERS ASSOCIATION, DELHI (REGD.)

दाल एण्ड बेसन मिलर्स एसोसिएशन, दिल्ली (रजि०)

C-42/A, DR. LOHIYA, INDUSTRIAL AREA, DELHI-110035

President

General Secretary

Treasurer

ASHOK GUPTA

C-42/4, Dr. Lohiya,  
Industrial Area, Delhi-35  
Ph. : 27395356, 27392908

MAHABIR MITTAL

A-23/1, Dr. Lohiya  
Industrial Area, Delhi-35  
Ph. : 27188883, 9911000666

MANGE RAM GOYAL

C-36/3, Dr. Lohiya,  
Industrial Area, Delhi-35  
Ph. : 27391905, 27395660

OFFICE OF UDM

Ref. No. ....

Dy. No. 4132

Dated 15-11-11

Date 23.11.11

To,

Sh. Kamal Nath,  
Urban & Development Minister,  
Govt. of India, Nirman Bhawan,  
New Delhi.Sub.: SUGGESTION REGARDING MASTER PLAN 2021 & GRANT OF SOME  
MORE TIME FOR FILING SUGGESTIONS.PS to UDM  
Sec (U)

This is to inform you that the matter regarding the Master Plan 2021 is under consideration. The Public Notice which appeared in the Newspaper on 04-10-2011 in Times of India lacks proper information to the public in general. In order to provide better facilities to the resident of Delhi, we request you to kindly give some more time so that the public is benefitted w.r.t. Master Plan 2021.

Thanking you,

Yours faithfully,

Ashok Saxena

Ashok Saxena  
Secretary to PresidentS(VD)-in Am  
Dr (VD)IP  
#9(2)II



# PRASHANT VIHAR SHOPS & ESTABLISHMENT ASSOCIATION (PVEA)

OFFICE : A-13, PRASHANT VIHAR, DELHI - 110085 PHONE : 011-27568595, 27860488

Ref. No. PVA/27/11

Dated 16-11-11

(4129)  
OFFICE OF UDM  
Dy. No. 429  
Date 23-11-11

To,

Sh. Kamal Nath  
Minister of Urban Development of India  
Nirman Bhawan, New Delhi-110001

विषय:- मास्टर प्लान 2021 में संशोधन के संबंध में कुछ मुख्य सुझाव एवं अन्य संबंधित समस्याओं के निवारण हेतु निवेदन

माननीय महोदय,

समाचार पत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार/डी.डी.ए. दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में सुधार हेतु जनता से सुझाव आमंत्रित किये गये हैं इस संबंध में हमारे कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं।

## 1 . 4.4.3 Control for Building/Buildings within Residential Premises

क. अतिरिक्त निर्माण के नियमितकरण हेतु लाई गई दिनांक 22.09.2006 की अधिसूचना का लाभ लाखों सम्पत्तियों को अभी तक नहीं मिला है। (जिसके कई कारण रहे हैं) अतः हमारा सुझाव है कि मास्टर प्लान के इस भाग में वर्णित धारा संख्या A Residential Plot-Plotted Housing की क्रम संख्या 2 एवं 4 में वर्णित दिनांक 22.09.2006 के स्थान पर वर्तमान तिथि अंकित की जाए। जिससे जनता इसका लाभ उठा सके।

ख. इसी भाग के Terms/Condition की क्रम संख्या (IV) में सब डिवीजन की इजाजत दी जाए क्योंकि दिल्ली में राज्यों की संख्या में सम्पत्तियां प्लॉट्टेड एवं पोरशनवाइज बिक चुकी है जिन्हें नियमित करने हेतु इन सम्पत्तियों के सब डिवीजन की इजाजत देना अति आवश्यक है।

ग. क्रम संख्या (VI) बैसमेन्ट के संबंध में हमारा सुझाव है कि जो सम्पत्तियां Mixed Use Regulations (Chapter 15.0) के अर्न्तगत आती हैं उनके बैसमेन्ट को FAR में नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

घ. क्रम संख्या (VIII) के पार्किंग के संबंध में हमारा सुझाव है कि जो प्रावधान 07.02.2007 को मौजूद थे वह जारी रखे जाएं।



पिछले दिनों दि.न.नि. ने नक्शा पास करने हेतु 100 मी० एवं इससे बड़े रिहायशी एवं मिक्स यूज **Regulations** के अन्तर्गत मौजूद भवनों के ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग बनाना अनिवार्य कर दिया है। जबकि यह सर्वविदित है कि जो भवन बन चुके हैं और उसके विभिन्न भागों के विभिन्न मालिक हैं। वहां यह पार्किंग बनाना सम्भव नहीं है। अतः हमारा सुझाव है कि पार्किंग की अनिवारता 250 मीटर और इस से बड़े प्लॉटों के नव निर्माण पर ही लागू होने चाहिए तथा 250 मीटर से छोटे प्लॉटों पर दी गई छूट जारी रहनी चाहिए। क्योंकि दिल्ली नगर निगम 20 मीटर से बड़ी (24 कैटेगिरी) की सम्पत्तियों को छोड़ के बाकी सभी उपयोग कर्ताओं से पार्किंग शुल्क वसूलता है।

ड. क्रम संख्या (XVII) के सम्बन्ध में इस सम्बन्ध में हमारा सुझाव है कि नियमित कालोनियों में 250 मीटर तक के प्लॉटों एवं 3 मी० से ऊर्ची ऊंचाई पर मौजूद 1 मीटर तक के छज्जों को भी नियमित करने की इजाजत दी जाए क्योंकि इस प्रकार के छज्जे दिल्ली में बहुत बड़ी मात्रा में बने हुए हैं जिन्हें आज तोड़ा जाना सम्भव नहीं है। जो छज्जे कवड हैं उसे FAR में जोड़ा जाए और जो छज्जे कवड नहीं हैं उसे FAR में नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

## 2. 15.0 Mixed use Regulations के सम्बन्ध में

क. कैटेगिरी C, D, E एवं F में मौजूद 13.5 मी० और इससे ऊपर की सभी सड़कों/एरिया जहां पर 50 प्रतिशत से अधिक दूकानें/कार्यालय या अन्य गतिविधियां मौजूद हैं, जिसकी लोकल शॉपिंग सेंटर में इजाजत है। ऐसी सभी सड़कों/एरिया को पूर्णतः कर्मशियल घोषित किया जाना चाहिए।

ख. 15.4 की क्रम संख्या (IV) का वास्तव में कोई औचित्य नहीं है अतः इसे हटाया जाना चाहिए।

ग. छज्जों के सम्बन्ध में हमारा सुझाव है कि नियमित कालोनियों में Mixed Use Regulations के अन्तर्गत मौजूद सम्पत्तियों में 3 मी० से ऊर्चे 1 मीटर तक के छज्जों को नियमितिकरण की श्रेणी में रखा जाए। क्योंकि व्यवहारिक रूप से इन्हें आज तोड़ा जाना सम्भव नहीं है। जो छज्जे कवड हैं उन्हें FAR में जोड़ा जाए। तथा जो छज्जे कवड नहीं हैं उन्हें FAR में नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

घ. पार्किंग शुल्क के सम्बन्ध में दिल्ली नगर निगम ने एकाएक इस वर्ष से नोटिफाइड सड़को पर मौजूद 20 मीटर तक की 24 कैटेगिरी की छोटी दुकानों से पार्किंग चार्ज वसूल करना शुरू कर दिया है जबकि इनको पार्किंग चार्ज से कानूनन छूट मिली हुई है डी.डी.ए. द्वारा जारी नोटिफिकेशन The DDA (Fixation of Charge for Mixed use and Commercial use of Premises) Regulations 2006 एवं 2007 की धारा 7.3 में लिखा है **"No development Charges for Parking Shall be Payable by small shopowners of area upto 20 sqm. Dealing with the items/activities as defined in para 15.6.3 of the Master Plan for Delhi 2021 in respect of any category of colonies."** जिस में यह पूर्णतः स्पष्ट है कि दिल्ली की किसी भी कैटेगिरी की

कालोनियों में इन 20 मीटर तक की 24 कैटेगिरी (15.6.3 में वर्णित) की सभी दुकानों को पार्किंग शुल्क ना देने की छूट प्राप्त है जो कि भारत सरकार/शहरी विकास मंत्रालय की सहमति से डी.डी.ए. ने इन सभी (उपयोगकर्ताओं/सम्पत्तिधारकों) को प्रदान की है चाहे वे नोटिफाइड सड़को पर मौजूद हो, इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव करना वास्तव में समानता के सवैधानिक अधिकार का खुला उल्लंघन है।

उपरोक्त लिखित सुझावों के अतिरिक्त मास्टर प्लान एवं भवन नियमों से सम्बन्धित कुछ अन्य समस्याएं हैं जिनका निवारण भी जल्द से जल्द किये जाना अति आवश्यक है। सम्बन्धित समस्याएं एवं सुझाव निम्नलिखित हैं।

कैन्सिल लीज डीड वाली सम्पत्तियां एवं प्रोसिक्यूशन्स केसों के सम्बन्ध में जिन भवनों की लीज डीड कैन्सिल है/प्रक्रिया में है, इनमें ऐसी सम्पत्तियां जिनको मास्टर प्लान 2021 दिनांक 07.02.2006/15.09.2006 के अनुसार मिश्रित/कर्मिश्यल भू प्रयोग की अनुमति मिल चुकी है या दिनांक 22.09.2006 की अधिसूचना से राहत मिली है ऐसी सम्पत्तियों की लीज डीड नियमित की जाए तथा डमैज/मिसयूज चार्ज आदि एवं प्रोसिक्यूशन्स केसों (कोर्ट केस) समाप्त किये जाए। इस सम्बन्ध में हम कई बार निवेदन कर चुके हैं तथा तत्कालीन माननीय मंत्री महोदय ने उस पर आदेश भी जारी किये थे परन्तु उसके बाद इस सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं हुई है।

काफी प्रयास के बाद मास्टर प्लान 2021 एवं 22.09.2006 की अधिसूचना के द्वारा दिल्ली के नागरिकों को राहत देने का प्रयास किया गया था परन्तु हमारी जानकारी के अनुसार बहुत कम सम्पत्तिधारक व्यापारी (लगभग 4000 से 4500) अपने अतिरिक्त/अवैध निर्माण को नियमित करा पाए हैं। जबकि दिल्ली में अतिरिक्त/अवैध निर्माण की संख्या लाखों में है अतः भवनों के संशोधित नक्शे/अतिरिक्त निर्माण/अवैध निर्माण को मास्टर प्लान 2021/दिनांक 22.09.2006 की अधिसूचना के अनुसार स्वयं घोषित योजना (Self Assessment Scheme) के आधार पर नियमित करने की सरल व्यवस्था की जानी चाहिए इस सम्बन्ध में हम कई बार दि.न.नि. को निवेदन कर चुके हैं। (प्रति संलग्न है)।

अतः मैं हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि उपरोक्त सुझावों, समस्याओं एवं तथ्यों पर विशेष ध्यान देते हुये आवश्यक कदम उठाये जाये। जिससे दिल्ली की जनता को राहत एवं न्याय मिले।

धन्यवाद

Copy to :

1. Shri Tajender Khanna LG Delhi
2. Vice Chairmen DDA INA Delhi

निवेदन  
प्रधान/महासचिव  
सुभाष मलिक





293  
REGN. NO. 40234 OF 2001

# PRASHANT VIHAR SHOPS & ESTABLISHMENT ASSOCIATION (R)

OFFICE : A-13, PRASHANT VIHAR, DELHI - 110085 PHONE : 011-27568595, 27860488

Ref. No. PVA/929

Dated 17/2/09

To  
Shri Ajay Makan  
Hon'able Minister of State for Urban Development  
Delhi.

**Sub.: Request for Restoration of cancelled lease Deeds & Withdrawal of cases of misuse / prosecution.**

Sir,

On behalf of Prashant Vihar Shops & Establishment Association (Regd.) we would be very thankful for your esteemed continuous and dedicated efforts by issuing the Master Plan 2021. Under the Master Plan, lacs of peoples have got relief from sealing. Further, I want to draw your kind attention toward the cancellation of lease deed by DDA for alleged misuse of properties for commercial use in plots in Rohini.

Now in Master Plan relief has been given allowing commercial/ Mixed use on 2183 roads as per notification 07<sup>th</sup> September and 15<sup>th</sup> September under the Master Plan 2021.

Further it is our humble request to kindly look into the matter and direct the concerned Authorities for Restoration of the Cancelled Lease Deed, waiving off damaged charges so that the public is not deprived of the benefits which has been bestowed through the said notification. In the meantime we request for withdrawal of eviction notices issued to Property No. A-13, A-53, A-54, A-75, B-37, C-1/14 and B-373 and restore the lease deed of above mentioned plots in Prashant Vihar at earliest.

Thanking you,

Yours faithfully  
For Prashant Vihar Shops &  
Establishment Association (R)

*Subhash Malik*  
(Subhash Malik)



# PRASHANT VIHAR SHOPS & ESTABLISHMENT ASSOCIATION (R)

Off. : A-13, Prashant Vihar, Delhi-110085 Phone : 27568595 / 2860488

Ref No. ....

Dated 28/2/2021

To  
Shri Ajay Maken  
Hon'ble Minister of State for Urban Development  
Delhi.

Sub: Request for Restoration of cancelled lease Deeds & Withdrawal of charges  
misuse / prosecution.

Sir,

On behalf of Prashant Vihar Shops & Establishment Association (Regd.), I am thankful that with your esteemed continuous and dedicated efforts issuance of notification of Master Plan- 2021 has been possible with relief to lacs of people of Delhi who were since struggling for a common cause of livelihood. We further beg to draw your kind attention towards the cancellation of lease deeds by the DDA for alleged misuse of properties for commercial use on plots in Rohini / Other DDA colonies in Delhi. Heavy penalty as damaged charges has been imposed in these cases and in some other cases, even eviction notices have been issued by the DDA.

A Large number of prosecution cases for misuse are going on in the courts & action in some other cases is under process by the DDA.

Now in that Master plan relief is given allowing commercial / mixed land use on 2183 roads as per notification issued on 7<sup>th</sup> September and 15<sup>th</sup> September 2006 and therefore now no eviction proceedings will take place on such notified roads. Therefore, in view of the development, damaged charges levied by the DDA should be waived off and so called cancelled lease-deeds should be restored immediately without any further delay.

We further submit that all cases of prosecution pending in the court should be withdrawn and no further cases should be processed on these roads.

Now we request your honour to kindly look into the matter and direct the concerned Authorities for Restoration of the Cancelled Lease Deed, waiving off damaged charges so that the public is not deprived of the benefits which has been bestowed through the said notification. In the meantime we request for withdrawal of eviction notices issued to Property No. A-13, A-53, A-75, B-37, C-1/14, B-373 and D-29 and stopping eviction proceedings also against these properties forthwith on notified roads in Prashant Vihar.

Thanking you,

Yours faithfully  
For Prashant Vihar Shops &  
Establishment Association(R)

(Ved Mittal) 28/2

9810149311 / 9818133449

VC (DDA)  
Kindly do  
the needful  
The roads  
are already  
notified and  
they enjoy immunity  
through  
MPO 2021  
Ajay Maken



# CONFEDERATION OF ALL INDIA TRADERS

An Apex body of Trade Associations & Federations of India)  
317 Desh Bandu Gupta Road, Karol Bagh New Delhi-110005 (INDIA)  
Ph. +91+11+45032665, Fax: +91+11+45032664, E-mail: caitindia@yahoo.co.in



January 22, 2007

**Shri Dinesh Rai**  
**Vice Chairman,**  
**Delhi Development Authority**  
**New Delhi**

**Sub: Request for Restoration of Cancelled Lease Deeds & Withdrawal of cases of misuse / prosecutions.**

Dear Shri Rai Ji,

I wish to draw your kind attention towards the cancellation of lease deeds by the DDA for alleged misuse of properties for commercial use on plots in Rohini / Other DDA Colonies in Delhi. Heavy penalty as damaged charges has been imposed in these cases and in some other cases; **even eviction notices have been issued by the DDA.**

A large number of prosecution cases for misuse are going on in the courts & action in some other cases is under process by the DDA.

In wake of notification on dated 07-09-2006 and 15-09-2006 allowing commercial / mixed land use of Properties on 2183 roads in Delhi, damaged charges as levied by the DDA should be waived off and so called cancelled lease deeds should be restored immediately without any further delay to meet the end of justice & all cases of prosecution pending in the court should be withdrawn and no further cases should be processed on these roads.

Therefore it will be appreciated if concerns authorities may be directed to restore cancelled lease deed & for waiving of damaged charges. It will be further appreciated if a convenient appointment is accorded to discuss the matter in person.

Thanking you, with kind regards

**Praveen Khandelwal**  
**Secretary General**  
**Cell: 9891015165-9312099771**

290

www.dda.org.in

**DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY  
( Receipt & Despatch Cell )**

**Acknowledgement**

Receipt Number : REC / M / 07 / 2.896      Date: 07-6-07 4:37:11PM  
Letter Date : 7/6/07  
Subject : REQUEST  
DDA file Number : NIL  
Received From : PRASHANT VIHAR SHOP 7 ESTABLIS  
Addressed To : M VICE CHAIRMAN, DDA

**Enclosures Attached :-**

Serial no.	code	Copy	Description
1	24	2	MISCELLANEOUS
Total Pages		2	

1. The correctness of the above enclosures are subject to verification by the concerned Department

2. For any type of clarification and inquiry, please contact the branch officer concerned on any working Monday & Thursday between 2.30 PM to 5.00 PM.

Received By : **UDAY BHANA**





# PRASHANT VIHAR SHOPS & ESTABLISHMENT ASSOCIATION (R)

Off. : A-13, Prashant Vihar, Delhi-110085 Phone : 7568595, 7860488

Ref. No. V.R./1306/06

Dated 10th Dec 06

To

Sh. Jai Pal Reddy,  
Union Minister for Urban Development  
Nirman Bhawan  
New Delhi.

Sub. : Request for Restoration of Cancelled Lease Deeds & Withdrawal of cases of misuse / prosecution.

Sir,

We beg to draw your kind attention towards the cancellation of lease deeds by the DDA for alleged misuse of properties for commercial use on plots in Rohini / Other DDA Colonies in Delhi. Heavy penalty as damaged charges has been imposed in these cases and in some other cases, even eviction notices have been issued by the DDA.

A large number of prosecution cases for misuse are going on in the courts & action in some other cases is under process by the DDA.


Now in the changed circumstances, as the Govt. is serious to grant relief to the public & has also issued notification on dated 07.09.2006 & 15.09.2006 allowing commercial / mixed land use of Properties on 2183 roads in Delhi. Therefore, in view of this development, damaged charges as levied by the DDA should be waived off and so called cancelled lease-deeds should be restored immediately without any further delay.

We further submit that all cases of prosecution pending in the courts should be withdrawn and no further cases should be processed on these roads.

Now we request your honour to kindly look into the matter and direct the concerned Authorities for Restoration of the Cancelled Lease Deeds, waiving of damaged charges so that the public is not deprived of the benefits which has been bestowed through the said notification.

Thanking you,

Yours faithfully,  
For Prashant Vihar Shops &  
Establishment Association(R)

  
(Sh. Ved Mittal)  
Gen. Secretary



# PRASHANT VIHAR SHOPS & ESTABLISHMENT ASSOCIATION (R)

Off. : A-13, Prashant Vihar, Delhi-110085 Phone : 27568595, 27860488

Ref. No. ....

Dated.....25/5/07.....

Shri Ajay Makan  
Minister of State for Urban Development  
Govt. of India  
New Delhi

Sub: Request for considering problems relating to regularisation of shops on notified roads under MPD-2021.

Sir,

Your kind honour after due consideration have provided relief to the people of Delhi by declaring the commercial / mixed land use on 2183 roads in Delhi through notification dated 07.09.2006 and MPD-2021. But in the present scenario , we presume that due to non clarification / confusion on certain policies / points the relief given to the general public has not proved fruitful.

1. CONVERSION CHARGES / PARKING CHARGES

As the association have been requesting to your honour from time to time that conversion charges are very high and need consideration that it should be one time and reasonable instead of recurring charges / annual.

2. In some areas of Rohini like Prashant Vihar / Rohini, sufficient parking sites are already in existence. There seems no necessity to develop more parking sites on the notified commercial / mixed land use roads. In these areas parking charges should be waived off. Wherever parking sites are required the parking charges should be nominal and justified.

3. Due to unaffordable conversion charges / parking charges it is practically not possible for the shopkeepers in general to deposit the necessary conversion charges/ parking charges with the MCD before the last date i.e. 30.06.2007.



4. According to the clause 10.9 (III) of notification dated 07.09.2006 " No modification to the buildings for using residential premises for non-residential activities, under the mixed land use policy shall be permitted unless the allottee / owner has obtained sanction of revised building plans and has paid necessary fees or charges". In this context it is stated that almost 99% unauthorised constructions / buildings existing on notified roads have not been regularised due to unclear regularisation policies of MCD. It is requested that Moratorium should be extended for one more year.

It is requested that time extension in this case should be granted till justified (one time conversion charges and reasonable parking charges are not declared).

Thanking you,

Yours sincerely



(VED MITTAL)

General Secretary

**COPY TO:**

1. Commissioner MCD, Town Hall, Delhi
2. Addl. Commissioner MCD, Town Hall, Delhi



# PRASHANT VIHAR SHOPS & ESTABLISHMENT ASSOCIATION (R)

OFFICE : A-13, PRASHANT VIHAR, DELHI - 110085 PHONE : 011-27568595, 27860488

Ref. No. ....

Dated .....

1. आयुक्त महोदय,  
दिल्ली नगर निगम
2. अतिरिक्त आयुक्त (इंजीनियरिंग) महोदय  
दिल्ली नगर निगम

विषय:— अतिरिक्त निर्माण/अवैध निर्माण के नियमितीकरण से सम्बंधित समस्याओं के निवारण तथा दि०न०नि० के आर्थिक सुधार के सम्बन्ध में

महोदय,

हम आपका ध्यान ऐसी समस्या की ओर दिलाना चाहते हैं जो कि भविष्य में एक अत्यन्त गंभीर समस्या का रूप धारण कर सकती है। वह है भवनों में अतिरिक्त निर्माण/अवैध निर्माण का नियमितीकरण जो कि दिल्ली के नागरिकों तथा व्यापारियों के लिये निश्चित रूप से परेशानी का कारण बन रहा है। इस संबंध में दिनांक 07.09.2006 एवं 22.09.2006 को जारी की गई, अधिसूचना तथा मास्टर प्लान 2021 के द्वारा राहत देने की कोशिश की गई थी, परन्तु वास्तव में यह राहत अब तक केवल लगभग 4000-4500 लोगों तक ही सीमित रही है। जबकि दिल्ली में अवैध निर्माण वाली सम्पतियाँ लाखों की संख्या में हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अवैध निर्माण के नियमितीकरण की योजनाओं को जनता में सही से प्रचारित नहीं किया गया तथा न ही नियमितीकरण की प्रक्रिया को सरल किया गया। परिणाम स्वरूप अब तक अधिकतर सम्पत्तिधारक अपने अवैध निर्माण को नियमित नहीं करा पाए हैं।

इस विषय में हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जिन व्यापारियों को दिनांक 07.09.2006 की अधिसूचना/मास्टर प्लान 2021 के द्वारा मिश्रित/कर्मशियल भू-प्रयोग की अनुमति दी गई है, उनको भी इस अधिसूचना एवं मास्टर प्लान के अनुसार अतिरिक्त निर्माण/संशोधित भवन का नक्शा नियमित कराना आवश्यक है। हमारी जानकारी के अनुसार बहुत कम व्यापारों को भवन का संशोधित नक्शा नियमित करा पाये हैं क्योंकि नियमितीकरण की प्रक्रिया में कई प्रकार की अड़चने हैं जिन्हें अतिशीघ्र दूर करने की आवश्यकता है।

हम लम्बे समय से लगातार इस विषय में जानकारी लेने का प्रयास करते रहे हैं। कई बार आर.टी.आई.एक्ट के अन्तर्गत आवेदन/अपील भी की गई परन्तु आज तक भी पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। कई वास्तुकारों से भी जो जानकारी अब तक प्राप्त हुई है, वह भी भ्रमित तथा अधूरी है। जनता में सही व पूरी जानकारी ना होने के कारण भी बहुत कम सम्पत्तिधारक नियमितीकरण करा पाए हैं।



पिछले दिनों समाचार पत्रों के माध्यम (कृपया संलग्न पृष्ठ सं.....देखें) से ज्ञात हुआ है कि पिछले दो सालों में (अक्टूबर 2008 से अक्टूबर 2010 तक) दिल्ली में 1906 सम्पत्तियों के अवैध/अतिरिक्त निर्माणों का नियमितीकरण हुआ है जिससे दि०न०नि० को 35 करोड़ रुपये का राजस्व, नियमितीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त हुआ यानि एक सम्पत्ति से औसतन 1,83,630/- रुपये प्राप्त हुए। जबकि दिल्ली में (एम.वी.सी.-3 के अनुसार) लगभग 45 लाख सम्पत्तियां हैं जिनमें से वास्तव में लगभग 90 प्रतिशत सम्पत्तियों में कुछ ना कुछ अवैध निर्माण अवश्य है परन्तु फिर भी यदि हम इन सम्पत्तियों में मौजूद अवैध/अतिरिक्त निर्माण की संख्या कम से कम पांच लाख मान ले तो  $500000 \times 1,83,630/- = 91815000000/-$  रुपये की धनराशि दिल्ली नगर निगम को प्राप्त हो सकती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी तथा इससे जनता को सीलिंग एवं तोड़फोड़ से राहत के साथ-साथ दि०न०नि० को भरपूर राजस्व भी मिल सकता है जो कि दिल्ली नगर निगम की योजनाओं तथा राजधानी के विकास को तेज गाति दे सकता है।

इसके लिए दि०न०नि० को नियमितीकरण हेतु एक सरल, उदार एवं स्वयं - आंकलन आधार पर सेल्फ एसेसमेन्ट स्कीम को पुनः लागू करके दिल्ली में मौजूद सभी प्रकार की सम्पत्तियों (रिहायशी, कमर्शियल, डी.डी.ए. मार्किटें, मिश्रित एवं कर्मशियल भू-प्रयोग भवन, औद्योगिक आदि) में मौजूद अवैध/अतिरिक्त निर्माण को सम्बन्धित अधिसूचनाओं एवं मास्टर प्लान 2021 के आधार पर नियमितीकरण की दिशा में एक सार्थक कदम उठाना चाहिए। इस सम्बन्ध में कुछ मुख्य निम्नलिखित कदम उठाने अति आवश्यक हैं :-

- (क) नियमितीकरण योजना में सबसे बड़ी समस्या जो अब तक आई है कि नियमितीकरण कराने के लिए एक भवन के प्रत्येक भाग के सभी सम्पत्तिधारकों को संयुक्त रूप से नक्शा जमा कराना पड़ता है जो कि अधिकतर मामलों में व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हो पाता है। अतः जिस प्रकार कनवर्जन शुल्क/पार्किंग शुल्क जमा कराने के लिए सम्पत्तिधारक स्वयं केवल अपने स्वामित्व एवं उपयोग वाले स्थान का ही शुल्क जमा कराता है (उसी के आधार पर दि०न०नि० ने उसे कार्य करने /प्रयोग की इजाजत दी हुई है) उसी प्रकार सम्पत्तिधारक द्वारा केवल अपनी ही सम्पत्ति के (पोरशन वाइज) संशोधित नक्शों एवं नियमितीकरण शुल्क को जमा कराकर स्वयं आंकलन/सेल्फ एसेसमेन्ट द्वारा नियमितीकरण की व्यवस्था होनी चाहिए। हम यहां यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि दि०न०नि० पहले ही प्लोटों के सब-डिवीजन का प्रस्ताव पास कर चुका है। (कृपया संलग्न पृष्ठ सं०.....देखें)
- (ख) पूरे भवन/फ्लोर वाइज/कई फ्लोर के स्वामित्व वाली सम्पत्तियों (कृपया संलग्न पृष्ठ सं.....देखें) में मौजूद अवैध/अतिरिक्त निर्माण को स्व-आंकलन/सेल्फ एसेसमेन्ट आधार पर नियमितीकरण की पुनः व्यवस्था होनी चाहिए तथा कम्प्लीशन सर्टिफिकेट भी दिया जाना चाहिए।

- (ग) जोड़ो (दो मिले हुए प्लॉट)/छज्जो वाले मामलों में भी नियमितीकरण हेतु स्व-आंकलन आधार पर व्यवस्था होनी चाहिए। जोड़ों एवं छज्जो के सम्बन्ध में भी दि०न०नि० प्रस्ताव पास कर चुका है अतः नियमित कालोनियों में भी 1 मीटर तक के छज्जों को भी नियमित किया जाए (यदि आवश्यकता हो तो सम्पत्तिधारक से यह शपथपत्र लिया जा सकता है कि इस सम्बन्ध में भविष्य में जो भी अन्तिम निर्णय होगा सम्पत्तिधारक उसे मानेगा)।
- (घ) नियमितीकरण योजना को सरल एवं उदार किया जाना चाहिए जिसके अन्तर्गत जनता की परेशानी को दूर करने हेतु प्रत्येक जोन में एकल खिड़की व्यवस्था हो जिस पर तुरन्त नक्शा तथा नियमितीकरण शुल्क जमा करके हाथो-हाथ नियमितीकरण किया जाए तथा पंजीकृत आर्किटेक्ट से भी नियमितीकरण एवं नक्शा पास कराने की छूट हो जिससे जनता को भ्रष्टाचार से राहत मिले।
- (ङ) पूरे भवन के साथ-साथ फ्लोरवाइस नक्शे ऑनलाईन पास कराने की तथा कम्प्लीशन सर्टिफिकेट पंजीकृत आर्किटेक्ट से जारी कराने की व्यवस्था हो जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे। (कृपया संलग्न पृष्ठ सं.....) देखें
- (च) इस सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित अधिसूचनाओं, आदेशों एवं स्व-आंकलन नीति की सरल पुस्तिका बनाई जाए (जिसकी कई बार मांग भी की गई है) तथा जनता में इन योजनाओं का पूर्णतः प्रचार-प्रसार किया जाए तथा सभी विवरण वेबसाइट पर भी उपलब्ध हों।
- (छ) पिछले दिनों दि०न०नि० ने नक्शा पास करने हेतु 100 मीटर एवं इससे बड़े रिहायशी एवं अन्य प्लॉटों के ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग बनाना अनिवार्य कर दिया है इसमें कई प्रकार की व्यावहारिक दिक्कतें आएंगी यह अनिवार्यता 250 मीटर एवं इससे बड़े प्लॉटों के नवनिर्माण पर ही लागू होनी चाहिए तथा 250 मीटर से छोटे प्लॉटों को इससे छूट होनी चाहिए। (संलग्न पृष्ठ सं०.....)

अन्त में हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि उपरोक्त तथ्यों पर विशेष ध्यान देने हुए इस सम्बन्ध में जल्द से जल्द गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए जिससे जनता को लाभ व राहत के साथ-साथ दिल्ली नगर निगम की आर्थिक स्थिति में आवश्यक सुधार हो तथा दिल्ली का विकास हो।

धन्यवाद

संलग्न :-

प्रति प्रेषित :- (आवश्यक कार्यवाही हेतु)

निवेदक

प्रधान/महासचिव



रिपोर्ट समयबद्ध जारी करने जैसी मांगों को लेकर नार्दन रेलवे मेन्स यूनियन की एक सभा बड़ौदा हाउस स्थित उत्तर रेलवे मुख्यालय में की गई। इसी सभा में यूनियन के नेताओं ने नेतावनी देते हुए कहा-यदि अंतरिम सहित की जल्दी घोषणा नहीं की गई तो कर्मचारी जोरदार राष्ट्रवापी आंदोलन छेड़ेंगे।

**& JEWELLERY**

**Learn Gemology**  
**Diamond Grading**  
**Jewellery Designing**

Tel-011- 41724700, 9891049735

## सार्वजनिक सूचना

### दिल्लीवासियों के लिए अवैध निर्माण को नियमित करवाने का सुनहरा अवसर !

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम बनाम कल्याण संस्थान सोशल वेलफेयर एवं अन्य के मामले में दिनांक 16 मार्च, 2007 को दिए गए निर्देशों में दिल्ली नगर निगम को यह अनुमति प्रदान कर दी है कि वह अवैध निर्माण को नियमित करवाने के उन आवेदनों को भी स्वीकार करे जिनमें माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आवेदन के साथ Non-compoundable deviations को गिराने का शपथ-पत्र न लगा हो। इन निर्देशों के अनुपालन में, दिल्ली नगर निगम ने रिहायशी भू-खंड विकास (Residential Plotted Development) एवं अन्य नियोजित विकास क्षेत्रों में अवैध निर्माण को नियमित करने की योजना प्रारम्भ की है। दिल्लीवासी अपने भवनों में किए गए अवैध निर्माण को उस सीमा तक नियमित करा सकते हैं जिसकी अनुमति मास्टर प्लान-2021 में ग्राउंड कवरेज, एफ.ए.आर. और ऊंचाई से सम्बन्धित भवन नियमों में दी गई है।

दिल्लीवासियों को निम्नलिखित कदम उठाने हैं:

- यह सुनिश्चित करें कि फाइल में निम्नलिखित दस्तावेज लगे हैं -
  - वर्तमान निर्माण के नक्शे के दो सैट जिस पर मालिक व पंजीकृत वास्तुकार के हस्ताक्षर हों।
  - मालिकाना हक के दस्तावेजों की प्रतिलिपि, जो स्वयं सत्यापित हो।
  - भवन अभियंता द्वारा ढांचे की मजबूती का प्रमाण-पत्र।
  - पंजीकृत वास्तुकार का इस आशय का प्रमाण-पत्र कि भवन मास्टर प्लान-2021 के भवन-नियमों के अनुरूप है।
  - मालिक का शपथ-पत्र कि अवैध निर्माण, जो अनुमति की सीमा से बाहर है, दो माह की अवधि के भीतर गिरा दिया जाएगा।
  - वर्तमान भवन की फोटो के तीन सैट।
- दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिनांक 20.11.2006 की अधिसूचना / मास्टर प्लान-2021 के अंतर्गत जमा कराए जाने वाले Betterment Levy, Additional FAR Charges and Penalty / Compounding Charges / Special Compounding Charges के आकलन का विवरण।
- नक्शे की एक कॉपी बिना साइट इन्स्पेक्शन के तुरन्त ही आवेदक को नियमिकरण की मोहर लगाकर सौंप दी जाएगी।

नियमिकरण के आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 मई, 2007 है।

दिल्ली नगर निगम के पास इस बात का पूरा हक सुरक्षित है कि वह वर्तमान निर्माण को सही अथवा गलत पाए जाने हेतु जांच करे और स्वयं निर्धारण करके जमा कराई राशि यदि कम पायी जाती है तो उसकी वसूली करे।

किसी भी अन्य जानकारी/स्पष्टीकरण हेतु सम्बन्धित क्षेत्र के अधिशासी अभियंता (भवन) अथवा टाउन हॉल, मुख्यालय के अधिशासी अभियंता-भवन से सम्पर्क किया जा सकता है।

हस्ता./-

अतिरिक्त आयुक्त (अभियांत्रिक)

भवन विभाग (मुख्यालय)

**दिल्ली नगर निगम**

प्रेस एवं सूचना निदेशालय, दि.न.नि. द्वारा जारी



**1199**  
Rs  
Dep. 6:30 am, 10:15 am &  
2:45 pm (non-stop)

**IndiGo to Kolkata**

**1099\***  
Rs  
Dep. 5:00 am & 3:00 pm

**IndiGo to Hyderabad**

**1399\***  
Rs  
Dep. 7:00 am & 3:45 pm

**IndiGo to Goa**

**1299\***  
Rs  
Dep. 3:20 pm

**IndiGo to Chennai**

**1599\***  
Rs  
Dep. 4:45 am, 7:00 am, 2:45 pm  
& 3:45 pm (non-stop)

**IndiGo to Guwahati**

**1499\***  
Rs  
Dep. 5:30 am

**IndiGo to Bangalore**

**1799\***  
Rs  
Dep. 6:45 am & 2:20 pm  
(non-stop)

**Book now!**  
[www.goindigo.in](http://www.goindigo.in)

Toll free 1 800 180 38 38  
Phone 0 99 10 38 38 38  
or call your travel agent.

\*Subject to availability from our network and subject to applicable taxes and charges. Please check our website for the latest information.

हिन्दी-1199 - 12-4-2007



**Li**  
**a Dil**  
से City No.1

किया जा सकता है। डिजास्टर  
पेश है उस पर स्पेशल रिपोर्ट:

**कॉप्टर**



अनुमोदन लेना होगा। भारतीय भूकंप क्षेत्र  
भूकंप जोन - चार में आती है, जोकि दूसरा  
जो भी एक के रेकार्ड के मुताबिक राजधानी  
में वाले कई भूकंप आए हैं। दिल्ली-हरिद्वार  
परिधि में आने वाले दिल्ली-मुंबई बायपास  
6.5 से 7 तक की तीव्रता के भूकंप

ही ठीक कर राख भूकंप निरोधक और  
अन्य संवेदनशील बाँचों को फिर से परीक्षण  
है। खतरों को पहचानने के आधार पर, जिसमें  
तीव्रता की संभावना, क्षेत्र की भू-आकृति

जिद्दी कॉम्प्लेक्सों  
को कहिए  
अलविदा.

**PCI**



## दिल्ली नगर निगम

### सार्वजनिक सूचना

#### मास्टर प्लान दिल्ली-2021 के प्रावधानों का भूतल, प्रथम और द्वितीय तल के मालिकों द्वारा पालन

बड़ी संख्या में ऐसे आवासीय मकान हैं जिनके तल (फ्लोर) पंजीकृत सेल डीड और पावर  
ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से अलग-अलग व्यक्तियों को बेचे गए हैं। ऐसे मामलों में हमेशा ऐसा  
संभव नहीं है कि मकान के सभी तलों को एक साथ नियमित किया जा सके, क्योंकि संभवतया  
मकान के सभी मालिक-इसे नियमित कराने के लिए एक साथ आगे न आएँ। नियमितीकरण की  
सुविधा देने के लिए अब, हर तल के अलग-अलग मालिक दिल्ली नगर निगम में स्व-आकलन  
(Self-assessment basis) आधार पर नियमितीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

अब, अतिरिक्त कवरेज का लाभ अलग-अलग मालिक को मास्टर प्लान दिल्ली-2021 के  
अनुसार प्रत्येक तल पर अनुमत्य भवन आवरण के अंदर मौजूदा निर्मित (कवर्ड) क्षेत्र के  
अनुपात में दिया जाएगा। ये शर्तियाँ (Modalities) भूतल, प्रथम और द्वितीय तल के  
नियमितीकरण के इच्छुक मालिकों पर लागू होंगी।

वर्तमान में तृतीय और इससे ऊपर वाले तलों के नियमितीकरण की अनुमति नहीं है।

प्रक्रिया विधि:

क. आवेदक को आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:

- (i) तल (तलों) के वर्तमान निर्माण के प्लान, जिन पर प्लैट स्थित है, के दो सेट जो  
मालिक और पंजीकृत वास्तुकार से विधिवत हस्ताक्षरित हों।
- (ii) स्वयं सत्यापित स्वामित्व दस्तावेज की प्रति।
- (iii) संरचना अभियंता (Structural Engineer) का संरचना स्थायित्व प्रमाण पत्र  
(Structural Stability Certificate)।
- (iv) पंजीकृत वास्तुकार का प्रमाण पत्र कि कुल निर्मित क्षेत्र, जिस पर यह तल बनाया  
गया है, मास्टर प्लान दिल्ली-2021 के अनुसार अनुपातिक रूप से अनुमत्य भवन  
आवरण के अंदर है।
- (v) इस आशय का क्षतिपूर्ति बंधपत्र कि शीर्षक (Title) अथवा अन्य प्रकार के किसी  
विवाद की स्थिति में निगम को कोई हानिमुक्त रखा जायेगा।
- (vi) अलग-अलग कोणों से लिए गए फोटो के तीन सेट।

ख. दिल्ली विकास प्राधिकरण की अधिसूचना दिनांक 20.11.2006 के अनुसार  
स्व-आकलन आधार पर बेहतर लेवी (Betterment Levy) / अतिरिक्त एफएआर  
प्रभार (FAR Charges) और दण्ड (Penalty) / चक्रवृद्धि प्रभार (Compounding  
Charges) / विशेष चक्रवृद्धि प्रभार (Special Compounding Charges) के  
भुगतान हेतु निम्नानुसार गणना करें:

दरें रु. प्रति वर्ग मीटर में

	3500/-	1400/-	700/-	490/-
1. नए निर्माण				
2. अधिकृत निर्माण का नियमितीकरण				
(क) स्वीकृत ऊँचाई के अंदर अतिरिक्त कवरेज	4020/-	1610/-	805/-	564/-
(ख) स्वीकृत से ऊपर किन्तु अनुमत्य ऊँचाई के अंदर अतिरिक्त कवरेज (23.7.98 के अनुसार)	4375/-	1750/-	875/-	613/-
(ग) 23.07.1998 के अनुसार अनुमत्य ऊँचाई से ऊपर किन्तु 15 मीटर के अंदर अतिरिक्त कवरेज	4900/-	1960/-	980/-	686/-

ग. नियमितीकरण के लिए प्लान की एक प्रति विधिवत मुहर लगाकर स्थल सत्यापन  
(साइट वेरीफिकेशन) किए बिना तुरंत ही आवेदक को सौंप दी जाएगी।

तथापि, दिल्ली नगर निगम के पास वर्तमान निर्माण के अनुसार जमा किए गए दस्तावेजों के  
सही होने का सत्यापन करने और स्व-आकलन के आधार पर गणना की गई राशि में कमी  
होने पर उसका हारा करने का अधिकार सुरक्षित है।

अन्य किसी जानकारी/स्पष्टीकरण के लिए संबंधित जोन के अधिशासी अभियंता (भवन) से  
या अधिशासी अभियंता (भवन) मुख्यालय से टाउन हॉल में सम्पर्क किया जा सकता है।

हस्ता/-

अतिरिक्त आयुक्त (अभियांत्रिक)

प्रेस एवं सूचना निदेशालय, दि.न.नि. द्वारा जारी



संचालित करने के लिए लाली सहित तीन सदस्यीय एक समिति का गठन किया था।

रूप से ही रहत मिल सकेंगी।

म आदिमाटिक ब्रक लगाना।

## नए बिल्डिंग बाइलॉज का तोहफा मिलेगा केंद्र से

लोगों को निगम और अन्य निकायों के दफ्तरों के चक्कर काटने से मिलेगी निजात

प्रभात कुमार

नई दिल्ली

पुराने पड़ चुके कड़े नियमों/उपनियमों को वजह से राजधानी में मकान बनाने के लिए नक्शा पास करने से लेकर निर्माण पूरा होने का प्रमाण-पत्र हासिल करने के लिए आज भी लोगों को निगम व अन्य निकायों के दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। लोगों को इन परेशानियों से रहित दिलाने के लिए केंद्र सरकार दिल्ली के लिए नए बिल्डिंग बाइलॉज बनाने पर विचार कर रही है। इसका खुलासा केंद्र सरकार ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में दायर अपने हलफनामे में किया है।

न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी की अध्यक्षता वाली विशेष खंडपीठ के समक्ष सरकार ने राजधानी में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के लिए गैर-सरकारी संयुक्त 'कल्याण संस्थान' की ओर से दखिल जनहित याचिका पर अपना पक्ष रखते हुए दायर किया है। सरकार ने यह जवाब मकान पूरा होने का प्रमाण-पत्र समय सीमा के भीतर ऑनलाइन दिये जाने के

दिल्ली नगर निगम के प्रस्ताव के बावत एक में संशोधन किये जाने के बारे में हाईकोर्ट द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में दिया है।

### नया था निगम का प्रस्ताव

दरअसल दिल्ली नगर निगम ने अपने विभाग में बढ़ते भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए मकान का निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र एक सप्ताह के भीतर जारी करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था करने की इच्छा जताई थी। निगम वर्तमान में मकान की जांच करने के लिए अधिकारियों के ग्रीक पर जाने के आवश्यक प्रावधान को हटाना चाहती है और इसके बदले में कोई भी व्यक्ति अपने मकान का निर्माण पूरा होने के बारे में पंजीकृत आर्किटेक्ट के हलफनामे के साथ आवेदन करने एक सप्ताह के भीतर प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान किया था। इसके लिए निगम ने कहा था कि यह तभी संभव होगा जब केंद्र सरकार वर्तमान कानून में संशोधन करेगा। इसके बाद हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा था।

### दिक्कतें दिल्ली की

■ नियमानुसार रिहायशी इमारतों की ऊंचाई 15 मीटर तक जबकि ज्यादातर दिल्ली में दिखती हैं इससे कहीं ऊंची इमारतें

■ निगम भूतल और इसके ऊपर तीन मंजिलों की इजाजत देते हैं लेकिन दिल्ली में चार-पांच मंजिला इमारतें आम हैं।

■ शहर में प्लानिंग है पुरानी। मकानों के बंटवारे के बाद मालिक तो बढ़ और बदल गए लेकिन बंटी हुई संपत्ति का नक्शा पास नहीं करता निगम

■ प्लोर परिया रेशो (एफएआर) की सीमा तो तय है लेकिन इसके आनुपातिक बंटवारे में आती हैं दिक्कतें

■ मास्टर प्लान दिल्ली 2021 के प्रावधान ज्यादातर इमारतों को ठहराते हैं आपत्तिजनक

## कई जगह लगा जाम

नई दिल्ली। राजधानी में गुरुवार सुबह चीनी प्रधानमंत्री के लिए लगे वीआईपी रूट के कारण जाम लग गया। सुबह का वक्त होने के कारण लोग अपने-अपने काम पर जाने के लिए निकले थे, इस दौरान ही राजघाट जाने के लिए चीनी प्रधानमंत्री रूट लगाया गया था। इस कारण लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ा। सुबह करीब 10 बजे से 12 बजे के बीच इंडिया गेट, तिलक मार्ग, रिग रोड व राजघाट पर लोग जाम में फंसे रहे, जबकि दोपहर दो बजे के बाद शाम तक संसद मार्ग, टॉलस्टाय मार्ग, कस्तूरबा गांधी मार्ग, बागखम्बा रोड व मंडी हाउस तक जाम लगा रहा। सुबहवार रात कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी जाम का सामना करना पड़ा। सात रेसकोर्स पर चीनी प्रधानमंत्री के लिए आयोजित रात्रिभोज में उन्हें पहुंचना था। (क.सं.)



Helpline No.: 098115-70149

कील

17-12-10  
हिंदुस्तान



बैंक ऑफ बड़ो  
Bank of Baroda

100% financing

## DDA HOUSING Scheme

Pay ₹ 4500 for availing finance ₹ 1.50 Lac  
₹ 1500 for availing finance of ₹ 0.50 lac

Scheme closes on 24.12.2010

- No extra charges (except stamp duty charge)
- All Branches of Delhi, Gurgaon, Faridabad will remain open on Sunday work upto 6pm on Saturday (18.12.2010)
- Interest will be charged from Closing Date of

Helpline No.

South Delhi: 9717831999, West Delhi: 9810331983,  
9711422738, Central Delhi: 9968277676, 9811568571  
Ghaziabad: 9999318239, Faridabad: 9911399937  
All areas: 9958638811, 9250316497, 9971798948,

## नगर निगम बढ़ा सकता है टोल टैक्स

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम की ओर से टोल टैक्स बढ़ाने का मन बना लिया गया है। नए वित्तीय वर्ष में

**BIG BOYS**

Watch the Belly D



## एक नजर

## फांसी लगाकर दी जान

उत्तम नगर इलाके के मोहन गार्डन निवासी वनपाल (20) ने गुरुवार की शाम घर में पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए डीडीयू अस्पताल भेजा गया है। पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। खुदकुशी के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

## खुदकुशी की

छाया इलाके में सुनीता (27) ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। उसकी शादी वर्ष 1999 में फैलाश के साथ हुई थी। उनके तीन बच्चे हैं। पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। सुनीता के शव को पोस्टमार्टम के लिए डीडीयू अस्पताल भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

## समाज सेवा करेंगे छात्र

अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के छात्र तकनीक की दुनिया में नए कीर्तिमान स्थापित करने के साथ समाज में जागरूकता फैलाने के लिए भी काम करेंगे। आईआईटी दिल्ली का संगठन एआईसीईसी दिल्ली विरुद्धविद्यालय के छात्रों के साथ मिलकर समाज सेवा भी करेंगे। इसके तहत छात्रों द्वारा एक हफ्ते का कोफेक्ट वीक मनाया जाएगा। जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा समाज में जागरूकता फैलाई जाएगी। एआईसीईसी दिल्ली के बैनर तले ये छात्र काम करेंगे।

## रेलगाड़ियां विलम्ब

इलाहाबाद के पास एक मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने के कारण दिल्ली को आने वाली दो दर्जन से अधिक रेलगाड़ियां 20 घंटे से भी अधिक विलम्ब से चल रही हैं। कोहरे के कारण रेलगाड़ियां फटने से ही विलम्ब से चल रही हैं और मालगाड़ी के पटरी से उतरने से रेल यातायात और बाधित हो गया।

पुलिस ने किसी तरह रोका, चौख-चौख कर देने लगी गालियां

हिन्दुस्तान

देहरादून/दिल्ली

दरिद्र की हद पार करने वाले राजेश के प्रति लोगों में किस कदर गुस्सा है, इस बात का प्रमाण गुरुवार को मिला। लोगों की जुबां पर न सिर्फ उसके लिए बद दुआएं हैं बल्कि मौका मिलने



चार दुकानों से जुटाए सबूत

पुलिस ने गुरुवार को कानून प्लेस

# 1906 प्रॉपर्टी नियमित 35 करोड़ की कमाई

कार्यालय संवाददाता

नई दिल्ली

अवैध निर्माण के बाद तले दबे राजधानी में पिछले दो साल में दिल्ली नगर निगम ने महज 1906 प्रॉपर्टी के मालिकों ने अपने मकान के अवैध निर्माण को नियमित करवाये। निगम ने इन प्रॉपर्टी मालिकों से जुमाना स्वरूप 35 करोड़ से अधिक रकम प्राप्त हुई। इसका खुलासा दिल्ली नगर निगम ने हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामा में किया है।

न्यायमूर्ति ए के सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष निगम की ओर से अधिवक्ता अजय अरोड़ा व कपिल दत्ता ने बताया कि पिछले दो सालों में (अक्टूबर 2008 से अक्टूबर 2010) नोडल कमेटी के आदेश पर 11347 संपत्तियों को बुक करने सीलिंग व डिमोलिशन की कार्रवाई की गई।

उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त 10249 संपत्तियों को अवैध निर्माण के आरोप में बुक की गई हैं और जांच की जा रही है कि किस प्रकार की कार्रवाई किया जा सकता है। अधिवक्ता अरोड़ा ने हाईकोर्ट को यह भी बताया है कि फरवरी 2009 से अक्टूबर 2010 तक निगम के पास मकान का नक्शा पास करने के लिए 6863 आवेदन आए और इनमें से 6474 का निपटारा कर

## दो प्रॉपर्टी सील, 8 में तोड़फोड़

दिल्ली नगर निगम की ओर से गुरुवार को भी शाहदस साउथ जेन में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान पांडव नगर में स्थित एफ 13 और एफ 244 की प्रॉपर्टी में सीलिंग की गई। फर्मा बजार क्षेत्र में जेन की टीम ने 8 अवैध निर्माण तोड़ दिए। अजय मल्लू, नकल गली, विरवास नगर पांडव नगर मंडावली फजलपुर में निगम के दफ्तर में घबराहट की कार्रवाई की।

दिया गया जबकि अन्य पर निर्णय लिया जाना बाकी था। नगर निगम ने यह अलफनामा राजधानी में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई का आदेश देने के लिए गैर सरकारी संगठन कल्याण संस्थान की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर दिया है।

मामले की सुनवाई चार मार्च को होगी। निगम ने कोर्ट को यह भी बताया कि राजधानी में अवैध निर्माण पर लगाम लगाने के लिए 1266 हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है और इस पर कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकते हैं।

शर्मा जी से पूछो...



प्रसिद्ध हस्त्य कवि सुरेन्द्र शर्मा

यदि आपके मन में भी कोई अटपटा सा सवाल आ रहा है तो आप उस सवाल का चटपटा जवाब पाने के लिए अपने प्रश्न शर्मा जी से पूछ सकते हैं हमारा पता है:

शर्मा जी से पूछो

हिन्दुस्तान, 18-20 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001

या ई मेल भेजें:

feedback@livehindustan.com

## बीमारी से पं मंजिल से

नई दिल्ली। आर्थिक तंगी व बीमारी 30 वर्षीय एक मरीज इस कदर परेश हो गया कि उसने बुधवार सुबह जीवोप अस्पताल की सातवीं मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। उसे दस दि पहले ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके दिल का ऑपरेशन हुआ था। घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। खुदकुशी व परिवार सदस्य में है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेज मामले की जांच आरंभ कर दी है। खुदकुशी करने वाले मरीज नसीम यमुनापार के कर्मचारी

## दिनांक 20.12.2010 से 5 अंकों रेलगाड़ियों की संख्या

बेहतर रेल प्रबंधन और यात्री सुविधाओं को और सु रेलगाड़ियों के नम्बर को पाँच अंकों का किया जा रहा है।

दिनांक 20.12.2010 से दुरंतो, राजधानी, शताब्दी, जन साधारण, गरीब रथ, सुपरफास्ट सहित सभी मेल/एक्सप्रेस चार अंक संख्या की शुरुआत में '1' अंक जोड़कर पाँच उदाहरण के लिए :-

रेलगाड़ी का वर्तमान नंबर	रेलगाड़ी का नाम
2001/2002	मोपाल-नई दिल्ली-मोपाल शताब्दी एक्सप्रेस
2053/2054	हरिद्वार-अमृतसर-हरिद्वार जनशताब्दी एक्सप्रेस
2203/2204	सहरसा-अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एसी एक्सप्रेस
2213/2214	यशवंतपुर-दिल्ली सराय रोहिल्ला-यशवंतपुर दुरंतो एक्सप्रेस
2217/2218	कोचुवेली-चंडीगढ़-कोचुवेली केरला सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस



21-5-09

P.K

279

5

## उपविभाजित प्लॉटों पर बने मकानों के नक्शे पास करने की तैयारी

नई दिल्ली, (नगर प्रतिनिधि): नई दिल्ली नगर निगम राजधानी दिल्ली में स्थित उपविभाजित प्लॉटों पर बने मकानों के नक्शे पास करने की कवायद शीघ्र शुरू करेगा। इससे दिल्ली के करीब 50 लाख लोग लाभान्वित होंगे। नगर निगम स्थायी समिति की बैठक में आज सदस्यों द्वारा दिल्ली में उपविभाजित प्लॉटों पर बने मकानों के नक्शे पास न किए जाने से लोगों को हो रही परेशानी को नगर निगम को आर्थिक नुकसान होने का मामला उठाए जाने पर अतिरिक्त आयुक्त इंजीनियरिंग

नरेश कुमार ने बताया कि ऐसे प्लॉटों पर बने मकानों पर फिलहाल नक्शे पास नहीं किए जा सकते। क्योंकि इनके लिए विशेष भवन उपनियम नहीं बने हैं।

उन्होंने बताया कि आज इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान केन्द्रीय बाहरी विकास मंत्रालय को निर्देश दिए हैं कि इसी साल जून माह के अंत तक विशेष भवन उपनियम बनाए जाएं जो दिल्ली के नये मास्टर प्लान में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप हो।

गाजीपुर बूचड़खाने की जल्दी ही दिक्कतें दूर होंगी : मेहरा : निगमायुक्त कंवल सिंह मेहरा ने पूर्वी दिल्ली स्थित गाजीपुर बूचड़खाने को

विश्वस्तर का बताते हुए आज कहा कि फिलहाल इसको चलाने में आ रही दिक्कतें जल्द ही दूर कर दी जाएंगी।

निगम की स्थायी समिति की यहां बैठक में बूचड़खाने को लेकर विपक्ष के सदस्यों द्वारा उठाये गये सवाल का जवाब देते हुए श्री मेहरा ने कहा कि इसको स्थापित करने में विश्व स्तर की प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले निकाली गई निविदा में इसे चलाने में आर्थिक रूप से कुछ दिक्कतें आ रही थीं किंतु अब इन दिक्कतों को दूर करने के लिए कदम उठाये गए हैं और जल्दी ही दिल्ली के लोगों को इस बूचड़खाने से बढ़िया गुणवत्ता वाला मांस उपलब्ध होने लगेगा।

### IM BOARD, FATEHABAD E NO. 01/2009

ment of Rs. 250/- for works upto Rs. 10.00 lacs and Rs. 1000/- for works undersigned for the following works date & place of receiving & opening will be issued upto 02.06.2009 by 1.30 PM & no tender form will be L and shall be opened on the same day in New Grain market, Fatehabad so ever may like to be present. to Haryana PWD common schedule items of works and in case of other

Amount	Time Limit	Date of Tender
1,300/-	3 Months	02.06.09
1,800/-	3 Months	02.06.09
1,600/-	3 Months	02.06.09
7,100/-	3 Months	02.06.09

igs of work can be seen in the office  
ations given in the detailed notice  
of enlistment/renewal of enlistment  
me of Executive Engineer, HSAM  
h), PWD Irrigation, HUDA, HSIDC,  
der in HSAM under a appropriate  
d enlistment in the Board.  
form will only be issued to those

ed form shall not be entertained.  
g bills of the contractors subject to

to be summarily rejected.  
to the requirement of Engineer-in-

ler without assigning any reason.  
p. societies/unemployed graduate

lay, then the tenders will be opened

tificate of authority than progress  
the magnitude for which they are  
society authorizing the person for

Rs. 5.00 lacs and for above will be  
ed.

the tune of Rs. 5.00 lacs and three  
of work which ever occur earlier.  
of tender forms.

unconditional.  
submission of tender, failing which

be deducted as per instructions of

m of the office.

Sd/-  
EXECUTIVE ENGINEER

## नावल्टी सिनेमा की जगह वाणिज्यिक परिसर के निर्माण को हरी झंडी

नई दिल्ली, (नगर प्रतिनिधि): पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के निकट स्थित नावल्टी सिनेमा, मैजैस्टिक और जुबली सिनेमा को तरह अब इतिहास के पन्नों में ओझल हो जायेगा। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति ने सिनेमा स्थल पर वाणिज्यिक परिसर बनाये जाने को आज मंजूरी दे दी। निगम के इस फैसले का विरोध करते हुए विभिन्न समाज सेवा संगठनों ने आन्दोलन करने का निर्णय लिया है। स्थायी समिति में मंजूर प्रस्ताव के तहत नावल्टी सिनेमा की 1389 वर्ग गज भूमि को 99 वर्षों के लिए वाणिज्यिक उपयोग के लिए पट्टे पर दिया जायेगा। निगम को लंबी कानूनी लड़ाई के बाद हाल ही में नावल्टी सिनेमा की भूमि वापस मिली है। प्रस्ताव के तहत परियोजना के एकमुश्त लाइसेंस शुल्क के लिए पांच करोड़ रुपए की राशि के अलावा 15 लाख रुपए वार्षिक शुल्क लिया जायेगा। निगम को तीस वर्ष के दौरान इस जमीन से साढ़े नौ करोड़ रुपए राजस्व की प्राप्ति होगी। यह परिसर डिजाइन-

नवाओ, अपनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करी के आधार पर बनाया जायेगा। परियोजना का ठेका खुली निविदा के आधार पर आवंटित किया जायेगा और बोलीदाता का समाप्त वित्त वर्ष में कारोबार 200 करोड़ रुपए से कम नहीं होना चाहिए।

बोलीदाता पिछले तीन साल से लाभ कमाने वाली कंपनी रही हो। उधर इस प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के विरोध में स्वयं सेवा संगठनों ने आंदोलन चलाने का फैसला किया है। दिल्ली बचाओ बनाओ समिति के अध्यक्ष संदीप निराला ने समिति के इस फैसले को पुरानी दिल्ली की जनता के साथ ज्यादातर बताते हुए।

## दिल्ली-गया के बीच स्पेशल ट्रेन

नई दिल्ली, (मैट्रो): रेल यात्रियों की बढ़ती भीड़ के मद्देनजर उत्तर रेलवे ने दिल्ली-गया के बीच एक विशेष साप्ताहिक ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह विशेष ट्रेन गया से प्रत्येक वीरवार और दिल्ली से प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी।

उत्तर रेलवे प्रवक्ता के मुताबिक गया-दिल्ली साप्ताहिक ट्रेन प्रत्येक वीरवार को सायं 7.25 गया से चलेगी और अगले दिन 11.50 बजे दिल्ली जंक्शन पहुंचेगी। यह विशेष सेवा 21 मई से 26 जून तक जारी रहेगी।

## बीएलएड क्रेश कोर्स 3 जून से

नई दिल्ली, (मैट्रो): क्या आप दिल्ली विश्वविद्यालय से बीएलएड कार्यक्रम करना चाहते हैं और इसमें दाखिले के लिए महंगी कोचिंग नहीं लेना चाहते तो इस आपकी मदद कर सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (इसू) बीएलएड में दाखिले के इच्छुक छात्रों को सस्ती कोचिंग उपलब्ध करवा रहा है। इसू की ओर से आयोजित बीएलएड क्रेश कोर्स 3 जून से 14 जून तक होगा। यह क्रेश कोर्स इसू आफिस के पीछे स्टडी सेंटर में होगा। इसू उपाध्यक्ष मनोहर नागर ने बताया कि नए छात्रों को निजी कोचिंग सेंटरों की महंगी कोचिंग से बचाने के लिए इसू ने क्रेश कोर्स शुरू करने का कदम उठाया है। उन्होंने बताया कि क्रेश कोर्स के माध्यम से नए छात्रों को एनएसयूआई से जोड़ना है। बीएलएड क्रेश कोर्स की फीस 100 से 200 रुपए के बीच होगी।



### बाल सेवा

महिला एवं बाल वर्ष 2009 के राल सेवा के लिए किए जाएंगे जिन

- 1) बाल विकास
- 2) बाल सुरक्षा
- 3) बाल कल्याण संस्थानों के पेड़ रुपये का नकद

इच्छुक व्यक्ति, कार्य किया हो, विकास विभाग, आवेदन निदेशक 12.06.2009 को

सू.प्र.नि./0258/2009-



### बाल

महिला एवं 2009 हेतु तीन प्रदान करने का

"बाल कल्याण प्रदान किए जा सर्वश्रेष्ठ कार्य कि किसी व्यक्ति त प्राप्त करने पर (तीन लाख रुपए रु. 1.00 लाख)

राष्ट्रीय राल वाले व्यक्ति/ विभाग, पोर्टा निर्धारित आवेद विकास विभाग फार्म उनके जाने चाहिए।

DIP/260/09-10

पो



# अतिरिक्त निर्माण को रेग्युलर करने की कवायद शुरू

वरिष्ठ संवाददाता ॥ नई दिल्ली

एमसीडी ने नए मास्टर प्लान के अनुसार, रिहायशी, कमर्शियल व इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में बढ़ाए गए अतिरिक्त निर्माण (एफएआर) को तुरंत प्रभाव से रेग्युलर करने की कवायद शुरू कर दी है। इस बाबत ऐसी प्रॉपर्टी के मालिक एमसीडी के जौनल कार्यालयों में संपर्क कर एफएआर या नए निर्माण को रेग्युलर करवा सकते हैं। एमसीडी ने उनकी मदद के लिए गाइड लाइंस भी तैयार किए हैं। एमसीडी की स्टैंडिंग कमिटी के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के अनुसार, एफएआर के लिए प्रस्तावित रेट्स केंद्र सरकार ने नोटिफाई कर दिए हैं। इसके



बाद रिहायशी, कमर्शियल व इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के मालिक उस हिस्से को भी नियमित करवा सकते हैं, जिन्हें अब तक अवैध माना जा रहा था। इस बाबत एमसीडी के जौनल डिप्टी कमिश्नर को आदेश दिए गए हैं कि वे केंद्र सरकार द्वारा मंजूर किए गए कंन्वेन्शन, मिक्सड लैंड यूज व अन्य शुल्कों को वसूल कर मामला निपटाएं। विजेंद्र का कहना है कि इस

योजना से दिल्ली के लाखों लोगों को राहत मिलेगी और उन्हें सीलिंग व तोड़फोड़ की आशंका से छुटकारा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग कमिटी ने जिस प्रॉपर्टी को अवैध व अनियमित करार दिया था, वे रेग्युलर हो जाएंगी। उन्होंने बताया कि मामला सिर्फ एफएआर को रेग्युलर करने का नहीं है। बल्कि मास्टर प्लान के अनुसार, जिस अवैध निर्माण को निश्चित धनराशि लेकर नियमित करने का बात कही गई थी, अब उस प्रॉपर्टी भी रेग्युलर किया जा सकेगा। अब ऐसे नए या अतिरिक्त निर्माण मिक्सड यूज के तहत रेग्युलर हो सकेंगे, जो रिहायशी प्रॉपर्टी में किए गए हैं।

## सीलिंग से राहत

- एमसीडी के जौनल कार्यालयों में संपर्क करना होगा
- एफएआर के लिए प्रस्तावित रेट्स सरकार ने नोटिफाई किया
- कंन्वेन्शन, मिक्सड यूज व अन्य शुल्क वसूलकर निपटारा होगा

## फिर छाया कोहरा, फिर लेट हुई फ्लाइट्स

स ॥ नई दिल्ली : आईजीआई एयरपोर्ट पर कोहरे की वजह से 50 से ज्यादा फ्लाइट्स 20 मिनट से लेकर चार घंटे तक की देरी से आई और गई। एक इंटरनेशनल फ्लाइट का मार्ग बदला गया और एक को कैसल किया गया।

एयरपोर्ट सूचों के मुताबिक, रनवे पर कोहरे का असर रविवार रात करीब 11:30 बजे दिखाई देना शुरू हो गया था। करीब डेढ़ घंटे बाद दोनों रनवे की विजिबिलिटी काफी कम हो गई और रनवे नंबर-29 पर यह 650 तक आ गई। सोमवार सुबह 10:05 बजे के बाद ही विजिबिलिटी में सुधार आना शुरू हुआ। जिन एयरक्राफ्ट्स में कैट-1, 2, 3ए और उंची की सुविधा नहीं थी, वे इस दौरान न तो टेकऑफ कर पाई और न ही लैंड। कोहरे की वजह से मस्कट से दिल्ली आने वाली एयरइंडिया की फ्लाइट को जयपुर भेजा गया, जबकि जेट एयरवेज की दिल्ली से मुंबई जाने वाली फ्लाइट को कैसल कर दिया गया। इस दौरान 113 फ्लाइट्स को ऑफसेट किया गया।

इसके अलावा, 12 डोमेस्टिक और 7 इंटरनेशनल फ्लाइट के समय में भी बदलाव किया गया। 50 से ज्यादा फ्लाइट्स के लेट होने के अलावा यात्रियों को उनका सामान मिलने में भी देरी हुई।

## दो नेपालियों की हत्या, साथी फरार

स ॥ समयपुर बादली : राजा विहार को जे.जे. कॉलोनी में एक मकान से सोमवार सुबह राम प्रसाद (40) और कांचा (22) नाम के दो नेपालियों की लाशें बरामद की गईं। दोनों के शरीर पर चाकू के वार और मारपीट के निशान मौजूद थे। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। इनके साथ ही रहने वाला इनका एक अन्य नेपाली साथी राजू (22) वारदात के बाद से फरार है। पुलिस को शक है कि शायद उसी ने इस वारदात को अंजाम दिया है।

## एक टिकट पर 6 वर्ल्ड हेरिटे

रिची वर्मा (टीएनएन) ॥ नई दिल्ली

यूरोपियों को बहुत जल्द नए साल का तीहफा मिलने वाला है। वर्ल्ड हेरिटेज के तहत आने वाली ऐतिहासिक इमारतों (मॉन्यूमेंट्स) को पर्वटिक सिर्फ एक टिकट के जरिए ही देख सकेंगे। यानी अगर आप लाल किले के साथ कुतुब मीनार, हुमायूँ का मकबरा और आगरा में आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी और ताज महल समेत कई वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को देखना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक जगह से एक टिकट लेना है और आप उससे

सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बंदोबस्त के लागू होने। रहा तो इसे उन सभी जगहों से ज्यादा बतल यह प्रस्ताव एएसआई के कल्चरल मिनिस्ट्री ने सि मिनिस्ट्री को संभालने टीएनएन को बताया कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में लग कर वक्त न बर्बाद व

## Tribute

Paying homage to the departed soul

## UTHAVANI

With profound grief & sorrow we regret to inform the sad demise of Mr. Naresh Kumar Gupta, Husband of Smt. Radha Devi on 18.07.09. Uthavani will be held on 20.07.09, 10 AM to 10.30 AM at A-30, Radha Krishna Mandir, CG Colony, Delhi-07.

### In Grief:

Mr. Naresh Kumar Gupta

(Bhabhi) Maya Devi, (Brother's) Ram Nivas Gupta, Bhim, San Gupta, Padam, San Gupta, (Son & Daughter in Law) Aman & Rajni Gupta, (Daughter in Law) Rajni Gupta, (Daughter & Son in Law) Nirmal & Rajiv Mittal, (Grand Son in Law) Prakash Mittal, (Grand Daughter in Law) Pooja Mittal, (Grand Son in Law) Anshu Mittal, (Grand Daughter in Law) Anshu Mittal, (Grand Son in Law) Anshu Mittal, (Grand Daughter in Law) Anshu Mittal.

Bajrang Electric Co. & Anand Electric Co.

## इंडियामार्ट.कॉम को इंटेल् कैपिटल से फं

एनबीटी ॥ नई दिल्ली

देश की प्रमुख ऑनलाइन ब्रोडबी मार्केट प्लेस कंपनी इंडियामार्ट.कॉम को इंटेल् कैपिटल से फंडिंग मिली है। इंटेल् कैपिटल दुनिया की प्रमुख वेंचर कैपिटल कंपनी है। इंडियामार्ट.कॉम भारतीय सप्लायर्स और इंटरनेशनल बायर्स को इंटरनेट, प्रिंट मीडिया और ट्रेड शो के जरिए करीब लाती है। इंटेल् कॉर्पोरेशन की अंतरराष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट कंपनी इंटेल्

तौर पर देखा जा रहा है। इस निवेश कोशिस से बाजार पर कंपनी की पकड़ और मजबूत हो सकेगी और भारत के छोटे और मध्यम उद्योगपतियों का हौसला मजबूत होना तय है। इंटेल् ने दिसंबर 2005 में 25 करोड़ डॉलर का इंटेल् कैपिटल इंडिया टेक्नॉलॉजी फंड बनाया था। इस फंड का इस्तेमाल भारत की टेक कंपनियों में निवेश के लिए किया जाता है ताकि लोकल स्तर पर साउथ टेक्निकल रिसर्च को प्रोत्साहन मिले कैपिटल

रि  
आ  
का

प्रमुख संवाददाता

राजपथ पर 7 वाली पेरड को होने वाली रिहा ने बदले हुए फैसला किया। से निकलेगी इ रिहर्सल के दी कर सकेगी। वजह से बसों पहले ही टाई कर दिया जाएगा डीटीसी प्रव दिन यह पेरड से शुरू होगी अ होगी। इस पेरड विनय मार्ग को सचिवालय व बसों को कृष्णा कर दिया जाएगा राजाजी मार्ग होने अरविंदो मार्ग लालकिला, पुरम जाने वाली बसों



सम्पत्ति का लोको को मिलेगा बड़े हुए एएआए का लाभ

एवं ब्रा. श्रेणी की कालोनियों में ३५० रुपए प्रति ब्रा. मीटर, डा. एवं ब्रा. श्रेणी की कालोनियों में १४० रुपए प्रति ब्रा. मीटर, ए. एक. एवं डी. श्रेणी की कालोनियों में ५० रुपए प्रति ब्रा. मीटर से अधिक प्रति ब्रा. मीटर के आकार वाली सम्पत्तियों के लिए ७०० रुपए, डबल श्रेणी की कालोनियों के लिए ५० रुपए और एक वाली सम्पत्तियों के लिए ४९० रुपए प्रति ब्रा. मीटर, अनधिकृत, निम्न जो. के नियमों के अनुसार एवं डी. श्रेणी की कालोनियों में ४०० रुपए प्रति ब्रा. मीटर, सी. व डी. श्रेणी की कालोनियों में १६१० रुपए प्रति ब्रा. मीटर, ए. एक. एवं डी. श्रेणी की कालोनियों में ५० रुपए प्रति ब्रा. मीटर तक वाली सम्पत्तियों पर ६५४ रुपए

रुपए प्रति वर्ग मीटर, ई एक. एवं जी. श्रेणी की कालोनियों में 50 वर्ग मीटर तक की समानियों पर 613 रुपए प्रति वर्ग मीटर, 50 वर्ग मीटर से अधिक बड़ी समानियों पर 875 रुपए, 23 जुलाई 1928, के अनुसार अनुसूच ऊंचाई से अधिक लेकिन 15 मीटर के अन्दर अतिरिक्त क्षेत्र हेतु ए. व. बी. श्रेणी कालोनियों में 4900 रुपए प्रति वर्ग मीटर, सी. एवं डी. श्रेणी कालोनियों में 1960 रुपए प्रति वर्ग मीटर, ई एक. एवं जी. श्रेणी कालोनियों में 50 वर्ग

[illegible]

आधुनिक भूगोल में स्थित खातों के लिए अतिरिक्त एक या दो आर की दरों में दक्षिणी एवं दक्षिणी में 20 हजार 590 उत्तरी, पूर्वी पश्चिमी तथा राहणी में 1 हजार 441 रुपए, मरला में 9750 रुपए अमृतसर, सैनी के खातों जिसमें हमसाल के खात भी सम्मिलित हैं के अतिरिक्त एक या दो आर की दरें दक्षिणी एवं दक्षिणी में 29 हजार 528 रुपए उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी तथा राहणी में 13 हजार रुपए मरला में 9691 रुपए होगी।

अनुभवी ठेकेदारों/गमों से निविदायें दो भागों में लेकर एक प्रा-निर्वाक 22:1.09 को 15 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो सभी निम्न शर्तों पर स्वीकार करणी/मनोनीत

A high-contrast, black and white photograph of a dense, textured surface. The image is characterized by a complex interplay of light and shadow, creating a rich, almost abstract pattern. The texture appears to be a combination of fine, irregular fibers or threads, possibly from a book cover or a piece of heavy fabric. The lighting is dramatic, with deep blacks and bright whites, emphasizing the three-dimensional quality of the surface. The overall effect is one of intense detail and visual complexity.

## सेवानिवृत्त आयु बढ़ाने के लिए याचिका

नई दिल्ली, (विधि संवाददाता): आईआईटी (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी) के प्राध्यापकों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में गुहार लगाई कि सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च सेवाविवृत की आयु अत्यंत उच्च करके सेवाविवृत की आयु 62 वर्ष की आयु से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी जाए। न्यायमूर्ति कैलाश गंधी ने गाइडिल सहित 25 वरिष्ठ प्राध्यापकों ने याचिका दायर कर कहा है कि सरकार ने अपने मार्च 2007 फैसले के अंतर्गत सभी उच्च शैक्षिक संस्थानों में शिक्षकों के आभाव के कारण प्राध्यापकों की सेवाविवृत की आयु 62 वर्ष से 65 वर्ष कर दी थी लेकिन बाद में मार्च

अनुभवों ठेकेदारों/फर्मों से निविदाएँ दो भागों में सेटर पैक पर दिनांक 22.1.09 को, 15 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिन अथवा स्थावरकर्ता/मनोनीत

[illegible]

# एनडीपीएल ने बाढ़ी पालिसियां

नई दिल्ली, (संदेश) : उत्तर और उत्तर-पश्चिम इलाके में बिजली सप्लाई कटने, ज़ाली निजी बिजली कंपनी एनडीपीएल ने सोमवार को खले उपभोक्तियों में रहने वाले अपने एजिस्टर्ड उपभोक्ता को एक-एक लाख रुपये की बीमा पॉलिसियां बांटी। ज्ञात रहे कि एनडीपीएल ने अपने उपभोक्ताओं के लिए इस पॉलिसी की घोषणा छह माह पहले की थी, जिसे आज अंतिम किया जा रहा है। एनडीपीएल उपभोक्ता के पैसे पर एक-एक लाख रुपये की ये पॉलिसियां एक-एक लाख रुपये की ये पॉलिसियां जो बिजली सप्लाई में खले हुए उपभोक्ताओं को मुफ्त दी जा रही हैं।

अनुभवों/हेकदारों/फर्मों से निविदायें दो भागों में स्टेडर पैड पर दिनांक: 24.2.09 को 15 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं।  
पहली बिन्दुअवहोदशाकार/मनेजिंग सावकारी द्वारा सार्वजनिक रूप से निविदा दाखल/प्रतिनिधियों को उपस्थित 15:30 बजे खोली जायेगी।

संज्ञा- निविदाओं हेतु धनराशि राशि  
रुपय १०0-आठ सौ पचास आठ के रूप में  
प्रत्येक स्थायी के एक से दिये जायें।  
अथवा अनिवार्य है। निविदा के प्रथम भाग  
में शोधर धनराशि तथा द्वितीय भाग में  
कार्य से सम्बन्धित मूल्य अति होगे।

शोधर या शोधात्मकता के पास संस्था निविदा  
उत्तरने किसी भी अर्थ को बिना कोई  
व्यक्तिगत बताने स्थीका/अस्थीका करने  
के अधिकार सुरक्षित है।

निविदा सूचना SO-TS-46, कार्य का  
वर्णन— Digital meter 9x190mm,  
frequency meter, मात्रा— 04 Nos.,  
धनराशि— 200.00

निविदा सूचना SO-TS-47, कार्य का  
वर्णन— MCB 3x4x16 Amp. मात्रा— 08  
Nos., विवरण— MCB 4X6X4 ALP,  
धनराशि— 200.00





**PASSPORT** Facilities of same add change tatkal sewa new renewal ECNR/PCC at your door step. V. S. Tour# 0638038/39, 9313754419.

MA, B.Ed LLB(DD) working Father Retd. GM BHEL. Contact M: 9968987497 Email: cqaars@yahoo.co.in BHP must. Subcaste no bar

**MUSLIM**

**SUITABLE** match for Sun ni muslim Shaikh 27/53" girl MBBS from Nepal Preparing for M.C.I Contact: 09997486168, 09412544722 Email: neversay dearmam@gmail.com

Booking an ad never got so easy!

**Authorised Times Space Centers**  
You can now book your classified ads at any of our Authorised Times Space Centers as listed below:

**FARIDABAD:** B.K. Chowk : R. K. Advertising ☎: 0129-4033253, 9810456253 Ballabgarh: DGS Media ☎: 9810688237, 9810549048 Kalyan Singh Chowk : BSS Advertising & Marketing ☎: 9818078183, 9811502088 Neelam Flyover: Durga Advertising ☎: 9811195834 NIT: Ritika Ads ☎: 0129-2429890, 9350309890 Sector 15: Pulse Advertising Solutions ☎: 9810462255, 4022255 Sector 31: Karan Advertising & Marketing ☎: 9810318205, 0129-4151205

**GHAZIABAD:** Ambedkar Road: Universal Advertising ☎: 0120-2798518, 9312364247 Gobindpuram: Prince Publicity ☎: 0120-2764012, 9868457701 Hapur More: Tirupati Balaji Advertising & Marketing ☎: 9871855198, 9310522380 Vaibhav Khand/ Indrapuram: Shree Advertising ☎: 93213270050, 9818902981 Sahibabad: Media Mantra Advertising ☎: 9560211002, 0120-3018902 Vaishali: Green Channel Communication ☎: 9899721820, 9310321820, Prachar Sewa Kendra ☎: 9818857715, 0120-2772275

**GURGAON:** Civil Lines: Shanti Advertising Agency ☎: 9811685522 DLF City : Bhavya Enterprises ☎: 0124-4059245, 9958584466 Palam Vihar: Oasis Advertising ☎: 0124-4064901, 9811929792 Sadar Bazar : Bansal & Co. ☎: 0124-2329442, 9818957999 Sector 14: Fortune Ads & Comm. ☎: 0124-4082252, 9810083817 Shushant Lok: Ad-Edge ☎: 9311779792, 9811779792 Signature Tower South City-I: Adonix Advertising ☎: 9810366113, 4257450 Sohna Road: Shivay Adver-tising ☎: 9810834415

**NOIDA:** Film City: Bharat International, ☎: 0120-3918954, 9811771711 Greater Noida: Media Network, ☎: 0120-4291029, 9310919359 S.S. Advertisers ☎: 9810792253 Sector 22: N.K. Comm-unications & Marketing ☎: 0120-4548859, 9810425581 Sec-27/Alta Mid: Aashirwad Media Associates ☎: 9891371063, 9312541624 Sec - 29, RDX Advertising ☎: 0120-2453602, 9810662089 Sec. 31: The Sai Media ☎: 0120-4216117, 9810506092 Sector 34 : Bottomline Advertising ☎: 0120-4311221, 9810611221

**BAHADUR SARH:** Shyamji Complex: Rohini Advertising ☎: 9560715566, 9136155972

**KARNAL:** Club Market: Grover advertising agency ☎: 0184-4044026, 99896694026

**PANIPAT:** Gohana Road: Royal Advertising ☎: 92151-40800 Om Ad Agency ☎: 9729302332, 9467725177

**SONEPAT:** Geeta Bhawan Chowk: Girish Advertising Agency ☎: 9896333534, 9215333534 Railway Road: Sethi ad. Agency ☎: 09896399025

**MERUT:** Prominent Communication ☎: Ph: 0121-2523498, 0121-2403151 Kunika Advertising ☎: 4023820 09818373200 RR Classifieds ☎: 0121-2641338, 2401294, 09412203620 Shyam Enterprises ☎: 9720004668, 9412206644, 0121-2646464 Singhal Advertising ☎: 0121-2660066, 2665166, 9837168466 Chhabra Advertising ☎: 0121-2662558 Mob: 9897062558

**MODI NAGAR:** The Neo Generations Group ☎: 9837491271 For any TSC Enquiry or to avail the Agency Booking System facility for booking classifieds advertisements from your office please call : Subhabrata : 9871461442, Ramit : 9810735151, or 011-23302355, 23492079 or e-mail to subhabrata.bardham@timesgroup.com for booking online login to www.ads2book.com

**TIMESCLASSIFIEDS**

दो घोषित करने से रोककर दिल्ली वालों को नुकसान पहुंचाया है। बीजेपी का कहना है कि उस वक़्त डीईआरसी बिजली की दरें कम करने जा रही थीं लेकिन

ऐन मौके पर दिल्ली सरकार ने उसे रोक दिया। अब अर्जेंटी बनसल ने ही कह दिया है कि दिल्ली सरकार ऐसा नहीं कर सकती थी।

प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और विपक्ष के नेता विजय कुमार मल्होत्रा ने अलग-अलग बयानों में ही है कि दिल्ली सरकार की इस हरकत

3-12-10

## कुछ ले-देकर ही क्यों बन पाता है मकान सरकार के नियम कायदे भी जिम्मेदार

रामेश्वर दयाल ॥ नई दिल्ली

राजधानी में आखिर अवैध निर्माण को बढ़ावा क्यों मिल रहा है और क्या कारण है कि लोगों को नक्शा पास करने के लिए सालों धक्के खाने पड़ते हैं और आखिर में ले-देकर ही अपना मकान बनवाना पड़ता है। असल में इसके लिए नया मास्टर प्लान तो दोषी है ही, एमसीडी का पुराना यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज भी लोगों को नक्शा पास करवाने में रोड़ा अटका रहा है। इन दोनों में बदलाव संभव है, लेकिन एमसीडी अधिकारी इसके लिए पहल नहीं करते ताकि भ्रष्टाचार जारी रहे।

इस मामले में एमसीडी के टाउन प्लानिंग विभाग और विधि विभाग को हमेशा कटघरे में खड़ा किया जाता रहा है।

नए मास्टर प्लान से बढ़ीं मुश्किलें राजधानी में किसी भी तरह की प्रॉपर्टी का नक्शा पास करने या उसे नियमित करने का अधिकार एमसीडी के पास है। एमसीडी के पास यह भी अधिकार है कि वह नए मास्टर प्लान के प्रावधानों को लागू करे, ताकि दिल्ली का सही तरह से स्ट्रक्चरल विकास हो सके। लेकिन एमसीडी के बिल्डिंग बायलॉज और मास्टर प्लान के कुछ नियम इतने दुरुह हैं कि नक्शा पास करवाना किसी बड़े युद्ध को जीतना है। पहले मास्टर प्लान की बात करें। उसमें यह प्रावधान है कि अगर किसी प्लॉट के दो या उससे अधिक टुकड़े (सब डिविजन) हो जाते हैं तो किसी भी हालत में उसका नक्शा पास नहीं किया जा सकता। अब जिस तरह से परिवार बढ़ रहे हैं या उनमें झगड़े होकर जमीन जायदद का बंटवारा हो रहा है तो उस जमीन का नक्शा पास न होना खासा पेशानी का कारण है।

एमसीडी का बिल्डिंग बायलॉज गड़बड़ अब एमसीडी के बिल्डिंग बायलॉज की बात करें। अगर किसी ने कोई पुराना मकान या जमीन आधिकारिक तौर पर खरीद ली है तो एमसीडी में उसका नक्शा पास कराने के लिए उस मकान के पुराने मालिकों की पूरी चेन का दस्तावेज एमसीडी का सौंपना होगा या पुराने मालिकों से उसका एनओसी लाना होगा। इसके अलावा किसी व्यक्ति ने अगर किसी मकान की छत

घाट दिखाया। कंपनियों ने पांग को भी कि बिजली की दरों में बढ़ोतरी की जाए लेकिन बिजली कंपनियों की यह दलील डीईआरसी के गले नहीं उतरी। आयोग ने खातों की जांच कराई तो पता चला कि गत साल 3577 करोड़ रुपये का फलतू मुनाफा कमाया। इसी वजह से डीईआरसी बिजली की दरों को कम करने की राय दे रही थी लेकिन सरकार ने डीईआरसी को इस बारे में आदेश देने से इनकार कर दिया।

खरीद ली है तो उसे नीचे बने मकानों के मालिकों से एनओसी लेना होगा, जो काफी पेशानी वाला काम है। एक नियम यह भी है कि हर फ्लोर का अलग से नक्शा पास कराना होगा। राजधानी में एक नियम यह भी है कि अगर कहीं पुरातत्व महत्व का स्ट्रक्चर है तो उसके आसपास 300 गज के दायरे में कोई निर्माण नहीं हो सकता। जबकि इस नियम की खुलेआम धमियां उड़ाई जा रही हैं और एमसीडी के भ्रष्टाचार के कारण ऐसे स्ट्रक्चरों के आसपास स्लम जैसी स्थिति बन गई है। पुरानी दिल्ली, कटवारिया सराय, मुनिरका आदि इलाके इसके उदाहरण हैं।

टाउन प्लानिंग व लॉ डिपार्टमेंट घेरे में इस मामले में एमसीडी के इंजीनियरिंग विभाग के आला अधिकारी अपने ही टाउन प्लानिंग विभाग और विधि विभाग पर भ्रष्टाचार और लापरवाही का आरोप लगाते हैं। अफसरों का कहना है कि जब नया मास्टर प्लान बन रहा था तो इन विभागों को कहा गया था कि वे सब डिविजन वाले मामले को नए मास्टर प्लान से हटवाएं, लेकिन उसके अफसरों ने वहां कोई पक्ष ही नहीं रखा। जब कोई व्यक्ति कानूनी तरीके से कोई प्रॉपर्टी खरीद लेता है तो पुराने मालिकों की चेन का दस्तावेज क्यों जरूरी है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति किसी मकान की छत खरीद लेता है तो उसे नीचे के मकान मालिकों से एनओसी की क्या जरूरत है। अगर ये दोनों विभाग बहुत पहले से एमसीडी के बिल्डिंग बायलॉज को बदलवाने के लिए केंद्र सरकार से गुजारिश करते तो आज ऐसी हालत नहीं होती। इंजीनियरिंग विभाग का यह भी कहना है कि अगर किसी पुरातात्विक महत्व के स्ट्रक्चर के आसपास कोई छोटी-मोटी हिदायतों इमारत बन रही है तो उससे स्ट्रक्चर को क्या नुकसान होने वाला है। इस पक्ष को भी कभी केंद्र सरकार के सामने नहीं रखा गया। विभाग का यह भी कहना है कि राजधानी में हर इलाके का अलग अलग लेआउट प्लान बना हुआ है। लेकिन टाउन प्लानिंग विभाग ने उसे आज तक ऑनलाइन नहीं किया, जिससे लोगों इसका पता नहीं लग पाता। ऐसे में वे एमसीडी इंजीनियरों का कहना मानकर चढ़ावा चढ़ाने पर मजबूर हो जाते हैं।



# भियंताओं की सूची तैयार

ऐसे निर्माणों को भी निशाना बना रहा है, जहां अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। बिल्डिंग विभाग के

**भाग से बेदखल किया जायेगा : दागी इडफोड नहीं कर सकेंगे**

अभियंताओं ने ही इमारत बनाने वालों से सांठगांठ कर अवैध निर्माण होने दिया है और अब वे ही इसे तोड़ने में लगे हैं। इस कारण निगम के उच्च अधिकारियों को संदेह है कि ऐसे इंजीनियरों की कार्यप्रणाली को लेकर कहीं लोग न्यायालय में दस्तक न दे दें, अगर मामला

न्यायालय में गया तो निगम खूब खरीखोटी सुनने को मिलेगी। इस कारण दागी इंजीनियरों को बिल्डिंग विभाग से हटाने का निर्णय लिया गया है। निगम निर्माण समिति के अध्यक्ष जगदीश ममगाई के अनुसार बिल्डिंग विभाग में ऐसे इंजीनियरों की संख्या करीब 30 है, जिन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। भ्रष्ट आचरण के कारण किसी इंजीनियर को सीबीआई ने दबोचा है या कोई भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के हथ्थे चढ़ा है। बावजूद इसके मजे से दागी

अभियंता भवन विभाग में जमे हुए हैं। दिल्ली नगर निगम में जप्रतिनिधियों और अन्य लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि दागी अभियंता अपने इलाकों में अवैध निर्माण को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। शिकायतों के मद्देनजर निर्णय लिया गया है कि इन अभियंताओं को तुरंत प्रभाव से वेकर्स, प्लानिंग, सफाई आदि विभागों में भेज दिया जाए। यह भी निर्णय लिया गया है कि जो इमारत अवैध बनना शुरू होती है, उसे शुरूआती दौर में रोक दिया जाए ताकि निगम की छवि साफ हो।

**शुल्क लेकर अवैध भवनों को नियमित करने का आदेश दिया**

नई दिल्ली, (पैट्रो): दिल्ली नगर निगम अब सब डिवीजन प्लॉट व जोड़ों के नक्शे जल्द से जल्द पास करने व मास्टर प्लान 2021 के अंतर्गत 15 मीटर तक ऊंचे निर्मित भवनों को शुल्क लेकर नियमित करने का कार्य जल्द ही शुरू करेगा। इस बाबत आदेश जारी करते हुए निगम निर्माण समिति के अध्यक्ष जगदीश ममगाई ने कहा कि दिल्ली में एक लाख से अधिक भवन तकनीकी कारणों से नियमित नहीं हैं, जिनके चलते संपत्ति स्वामियों के सिर पर सदैव तलवार लटकी रहती है। ममगाई ने कहा कि दिल्ली में तेजी से बढ़ती जनसंख्या के मुकाबले आवासीय इकाइयों का अभाव है, इसके लिए सदि निर्मित भवन का ढांचा सुदृढ़ है तो उन्हें शुल्क लेकर नियमित किया जाना चाहिए। इस आशय का प्रस्ताव दिल्ली नगर निगम पाले में है। उन्होंने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री जयपाल रेड्डी से अपील की है कि इस संबंध में अधिसूचना तुरंत जारी की जाए और अधिक विलंब करने से दिल्लीवासियों को तोड़फोड़ व सीलिंग का सामना करना पड़ सकता है। निर्माण समिति अध्यक्ष ने निगम के भवन विभाग से सभी आपराधिक मामलों में लिप्त अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दागी अधिकारियों को हटाने से आम जनता का निगम के प्रति भरोसा बढ़ेगा।

## दिल्ली की सुरक्षा के लिए कारगर योजना बनाए जाने की जरूरत : शीला

नई दिल्ली, (नगर प्रतिनिधि): दिल्ली में बढ़ती आपराधिक घटनाओं और सुरक्षा व्यवस्था का लेकर चिंतित मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित ने दिल्ली की सुरक्षा को और चाक-चौबंद करने के लिए ठोस कारगर योजना बनाए जाने की बात कही है। साथ ही यहां के महत्वपूर्ण बाजारों, सिनेमाघरों, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर और अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए ताकि चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जा सके। यह बात आज यहां जर्मन के प्रतिनिधिमंडल से आपदा प्रबंधन और सुरक्षा तकनीक पर विचार-विमर्श करने के बाद मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कही। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन एवं सुरक्षा से संबंधित उपकरणों एवं तकनीक के लिए दिल्ली सरकार और जर्मनी के बीच आपसी सहयोग एवं सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाएगा इससे आपदा प्रबंधन के दौरान दिल्ली और जर्मनी को लाभ मिलेगा।

प्रतिनिधिमंडल में जर्मनी की सुरक्षा एवं तकनीकी कंपनियों के सीईओ व अन्य अधिकारी मौजूद थे। दिल्ली सचिवालय में हुई इस मुलाकात में आपदा प्रबंधन एवं सुरक्षा संबंधी विषयों पर गहन चर्चा की गई। जर्मनी

प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे फेडरल मिनिस्ट्री आफ इकोनामिक्स एंड टैक्नालोजी के पार्लियामेंट स्टेट सैक्रेटरी अर्नस्ट ब्रूग बैचर ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रतिनिधिमंडल आपदा प्रबंधन और सुरक्षा उपकरणों से संबंधित अहम मुद्दों एवं सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए भारत दौर पर है। प्रतिनिधिमंडल ने भारत के गृह सचिव से मुलाकात कर सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की है।

### उद्योग भवन में आग लगी

नई दिल्ली, (पैट्रो): सरकारी कार्यालयों में आग लगने की घटनाओं में बीती रात और वृद्धि हो गई। केंद्र सरकार के उद्योग मंत्रालय का कार्यालय उद्योग भवन आग की चपेट में आ गया। भवन के प्रथम तल में लगी आग में कागजात और फर्नीचर जल कर राख हो गया। आग से हुए नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। दमकल विभाग के मुताबिक आग लगने की दूसरी घटना करोलबाग इलाके में लिबर्टी सिनेमा हॉल के पास स्थित एक प्लास्टिक गोदाम की है। चार मंजिला इस भवन में लगी आग को काबू करने में पांच घंटे का समय लगा।

### डी.यू. में नुक्कड़ नाटक

नई दिल्ली, (पैट्रो): दिल्ली विश्वविद्यालय में आज रक्तदान शिविर का आयोजन और नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर डूसू की उपाध्यक्ष प्रिया डबास ने बताया कि नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता में आत्मा राम सनातन धर्म कालेज ने पहला पुरस्कार जीता और राजधानी कालेज ने द्वितीय पुरस्कार।

इस अवसर पर सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने रक्तदान किया। बाद में वृक्षारोपण भी किया गया।

### उत्तर पश्चिम रेलवे

NIT : 28/NIT/Vinyl Wrapping / 10

भारत के गणपति की ओर से तीन वर्ष की अवधि के लिए जोधपुर मंडल पर संचालित यात्री गाड़ी सं 2479/2480, 2466/2465 व 491/492 के सवारी हिस्सों की बाहरी सतह पर विनाइल रेपिंग के माध्यम से विज्ञापन प्रदर्शन करने हेतु दो पेंकिट टेन्डर पद्धति के अंतर्गत एक मात्र अधिकार की अनुमति प्रदान करने के लिए मुहरबंद लिफाफे में अनुभवी विज्ञापन एजेंसी/स्लाइट से खुली निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा सं.	कार्य का नाम एवं स्थान	कार्य की अवधि	आंशिक मूल्य	बयाना राशि	निविदा का मूल्य
28	जोधपुर मंडल पर संचालित यात्री गाड़ी सं. 2479/2480, 2466/2465, 491/492 के सवारी हिस्सों की बाहरी सतह पर विनाइल रेपिंग के माध्यम से विज्ञापन प्रदर्शन करने हेतु।	तीन वर्ष	Rs. 22,46,640/- (प्रत्येक वर्ष के लिए)	Rs. 45,000/-	Rs. 3000/-

1. कार्यालय का पता जहाँ से निविदा फार्म प्राप्त किया जा सकता है : नुक्कड़ निविदाकार (निविदा फार्म 04.01.2011 तक वाणिज्य शाखा, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, जोधपुर में किसी भी कार्य दिवस में व दिनांक 04.01.2011 के 17.00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। निविदा फार्म उत्तर पश्चिम रेलवे की वेबसाइट [www.northwesternrailway.gov.in](http://www.northwesternrailway.gov.in) से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इस स्थिति में निविदाकार को निविदा के साथ फार्म की कीमत तथा बयाना राशि के मूल दस्तावेज लगाने होंगे। निविदा उपयुक्त बयाना राशि, निविदा फार्म की कीमत के दस्तावेज तथा सशर्त पैडर (Conditional Tender) अस्वीकार्य है तथा निरस्त करने योग्य होंगे। 2. निविदा प्राप्त करने/खोलने की तिथि एवं समय : निविदा वाणिज्य शाखा, उ.प.रे. जोधपुर में रहे निविदा बक्स में दिनांक 05.01.2011 को 15.00 बजे तक स्वीकार की जायेगी तथा उसी दिन तत्पश्चात् निविदाकार या उसके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी। यदि निविदा खुलने की तिथि को किसी कार्यवश अन्वकाश रहता है तो निविदा प्रगते कार्य दिवस को उसी समय खोली जायेगी। 3. वेबसाइट तथा नोटिस बोर्ड जहाँ से निविदा के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है : निविदा के संबंध में पूरी जानकारी वेबसाइट [www.northwesternrailway.gov.in](http://www.northwesternrailway.gov.in) से अथवा वाणिज्य शाखा, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय उत्तर पश्चिम रेलवे, जोधपुर के कार्यालय के बाहर लगे नोटिस बोर्ड में प्राप्त की सकती है।

जोधपुर - हिमाल - जोधपुर हॉलीड स्वेगल सवारी गाड़ी जोधपुर से प्रस्थान 11.00 (प्रतिदिन), हिमाल से प्रस्थान 05.15 (प्रतिदिन)

### वाणिज्य विज्ञापन हेतु खुली निविदा आमंत्रण

Date : 06.12.2010

भारत के गणपति की ओर से तीन वर्ष की अवधि के लिए जोधपुर मंडल पर संचालित यात्री गाड़ी सं 2479/2480, 2466/2465 व 491/492 के सवारी हिस्सों की बाहरी सतह पर विनाइल रेपिंग के माध्यम से विज्ञापन प्रदर्शन करने हेतु दो पेंकिट टेन्डर पद्धति के अंतर्गत एक मात्र अधिकार की अनुमति प्रदान करने के लिए मुहरबंद लिफाफे में अनुभवी विज्ञापन एजेंसी/स्लाइट से खुली निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा सं.	कार्य का नाम एवं स्थान	कार्य की अवधि	आंशिक मूल्य	बयाना राशि	निविदा का मूल्य
28	जोधपुर मंडल पर संचालित यात्री गाड़ी सं. 2479/2480, 2466/2465, 491/492 के सवारी हिस्सों की बाहरी सतह पर विनाइल रेपिंग के माध्यम से विज्ञापन प्रदर्शन करने हेतु।	तीन वर्ष	Rs. 22,46,640/- (प्रत्येक वर्ष के लिए)	Rs. 45,000/-	Rs. 3000/-

1. कार्यालय का पता जहाँ से निविदा फार्म प्राप्त किया जा सकता है : नुक्कड़ निविदाकार (निविदा फार्म 04.01.2011 तक वाणिज्य शाखा, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, जोधपुर में किसी भी कार्य दिवस में व दिनांक 04.01.2011 के 17.00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। निविदा फार्म उत्तर पश्चिम रेलवे की वेबसाइट [www.northwesternrailway.gov.in](http://www.northwesternrailway.gov.in) से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इस स्थिति में निविदाकार को निविदा के साथ फार्म की कीमत तथा बयाना राशि के मूल दस्तावेज लगाने होंगे। निविदा उपयुक्त बयाना राशि, निविदा फार्म की कीमत के दस्तावेज तथा सशर्त पैडर (Conditional Tender) अस्वीकार्य है तथा निरस्त करने योग्य होंगे। 2. निविदा प्राप्त करने/खोलने की तिथि एवं समय : निविदा वाणिज्य शाखा, उ.प.रे. जोधपुर में रहे निविदा बक्स में दिनांक 05.01.2011 को 15.00 बजे तक स्वीकार की जायेगी तथा उसी दिन तत्पश्चात् निविदाकार या उसके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी। यदि निविदा खुलने की तिथि को किसी कार्यवश अन्वकाश रहता है तो निविदा प्रगते कार्य दिवस को उसी समय खोली जायेगी। 3. वेबसाइट तथा नोटिस बोर्ड जहाँ से निविदा के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है : निविदा के संबंध में पूरी जानकारी वेबसाइट [www.northwesternrailway.gov.in](http://www.northwesternrailway.gov.in) से अथवा वाणिज्य शाखा, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय उत्तर पश्चिम रेलवे, जोधपुर के कार्यालय के बाहर लगे नोटिस बोर्ड में प्राप्त की सकती है।

जोधपुर - हिमाल - जोधपुर हॉलीड स्वेगल सवारी गाड़ी जोधपुर से प्रस्थान 11.00 (प्रतिदिन), हिमाल से प्रस्थान 05.15 (प्रतिदिन)

## करते रहने का संकल्प

1 जन्म दिवस

करोल बाग युवा कांग्रेस, सरदार



**दिल्ली नगर निगम**





Estd: 1990

# CONFEDERATION OF ALL INDIA TRADERS

(An Apex Body of Trade Federations, Associations & Small Scale Sector of India)

"Vyapar Bhawan", 925/1 Naiwala, Karol Bagh, New Delhi-110 005, Ph. 91+11+45032665, Telefax: +91+11+45032664, e-mail: caitindia@yahoo.co.in

## OFFICE OF UDM

Dy. No. 4120

Date 23/11/11

16 Nov., 2011

Shri Kamal Nath  
Hon'ble Union Minister for Urban Development  
Govt. of India  
New Delhi

by  
23/11  
PS to UDM  
Sec (UD)

Respected Kamal Nath Ji,

Please find enclosed here a representation of our Affiliated Association Prashant Vihar Shops & Establishment Association on Mid Term Review of Master Plan -2021

Thanking you. With regards

Truly yours

Praveen Khandelwal  
Secretary General  
Cell: 9891015165

BE PROUD TO BE A TRADER

गर्व से कहो हम व्यापारी हैं ।



**PRASHANT VIHAR SHOPS & ESTABLISHMENT ASSOCIATION (R)**

OFFICE : A-13, PRASHANT VIHAR, DELHI - 110085 PHONE : 011-27568595, 27860488

Ref. No. PVA/27/11

Dated 16-11-11

(4129)  
OFFICE OF UDM

Dy. No. 4129

Date 23/11/11

To,

Sh. Kamal Nath

Minister of Urban Development of India

Nirman Bhawan, New Delhi-110001

विषय:- मास्टर प्लान 2021 में संशोधन के संबंध में कुछ मुख्य सुझाव एवं अन्य संबंधित समस्याओं के निवारण हेतु निवेदन

माननीय महोदय,

समाचार पत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार/डी.डी.ए. दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में सुधार हेतु जनता से सुझाव आमंत्रित किये गये हैं इस संबंध में हमारे कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं।

**1 . 4.4.3 Control for Building/Buildings within Residential Premises**

क. अतिरिक्त निर्माण के नियमितकरण हेतु लाई गई दिनांक 22.09.2006 को अधिसूचना का लाभ लाखों सम्पत्तियों को अभी तक नहीं मिला है। (जिसके कई कारण रहे हैं) अतः हमारा सुझाव है कि मास्टर प्लान के इस भाग में वर्णित धारा संख्या A Residential Plot-Plotted Housing की क्रम संख्या 2 एवं 4 में वर्णित दिनांक 22.09.2006 के स्थान पर वर्तमान तिथि अंकित की जाए। जिससे जनता इसका लाभ उठा सके।

ख. इसी भाग के Terms/Condition की क्रम संख्या (IV) में सब डिवीजन की इजाजत दी जाए क्योंकि दिल्ली में लाखों की संख्या में सम्पत्तियां प्लॉटवाइज एवं पोरशनवाइज बिक चुकी है जिन्हें नियमित करने हेतु इन सम्पत्तियों के सब डिवीजन की इजाजत देना अति आवश्यक है।

ग. क्रम संख्या (VI) बैसमेन्ट के संबंध में हमारा सुझाव है कि जो सम्पत्तियां Mixed Use Regulations (Chapter 15.0) के अर्न्तगत आती हैं उनके बैसमेन्ट को FAR में नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

घ. क्रम संख्या (VIII) के पार्किंग के संबंध में हमारा सुझाव है कि जो प्रावधान 07.02.2007 को मौजूद थे वह जारी रखे जाए।

पिछले दिनों दि.न.नि. ने नक्शा पास करने हेतू 100 मी० एवं इससे बड़े रिहायशी एवं मिक्स यूज **Regulations** के अन्तर्गत मौजूद भवनों के ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग बनाना अनिवार्य कर दिया है। जबकि यह सर्वविदित है कि जो भवन बन चुके हैं और उसके विभिन्न भागों के विभिन्न मालिक हैं। वहां यह पार्किंग बनाना सम्भव नहीं है। अतः हमारा सुझाव है कि पार्किंग की अनिवारता 250 मीटर और इस से बड़े प्लॉटों के नव निर्माण पर ही लागू होने चाहिए तथा 250 मीटर से छोटे प्लॉटों पर दी गई छूट जारी रहनी चाहिए। क्योंकि दिल्ली नगर निगम 20 मीटर से बड़ी (24 कैटेगिरी) की सम्पत्तियों को छोड़ के बाकी सभी उपयोग कर्ताओं से पार्किंग शुल्क वसूलता है।

ड. क्रम संख्या (XVII) के सम्बन्ध में इस संबन्ध में हमारा सुझाव है कि नियमित कालोनियों में 250 मीटर तक के प्लॉटों एवं 3 मी० से ऊर्ची ऊंचाई पर मौजूद 1 मीटर तक के छज्जों को भी नियमित करने की इजाजत दी जाए क्योंकि इस प्रकार के छज्जे दिल्ली में बहुत बड़ी मात्रा में बने हुए हैं जिन्हें आज तोड़ा जाना सम्भव नहीं है। जो छज्जे कवड हैं उसे FAR में जोड़ा जाए और जो छज्जे कवड नहीं हैं उसे FAR में नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

## 2. 15.0 Mixed use Regulations के सम्बन्ध में

क. कैटेगिरी C, D, E एवं F में मौजूद 13.5 मी० और इससे ऊपर की सभी सड़कों/एरिया जहां पर 50 प्रतिशत से अधिक दूकानें/कार्यालय या अन्य गतिविधियां मौजूद हैं, जिसकी लोकल शॉपिंग सेंटर में इजाजत है। ऐसी सभी सड़कों/एरिया को पूर्णतः कर्मशियल घोषित किया जाना चाहिए।

ख. 15.4 की क्रम संख्या (IV) का वास्तव में कोई औचित्य नहीं है अतः इसे हटाया जाना चाहिए।

ग. छज्जों के सम्बन्ध में हमारा सुझाव है कि नियमित कालोनियों में Mixed Use Regulations के अन्तर्गत मौजूद सम्पत्तियों में 3 मी० से ऊर्चे 1 मीटर तक के छज्जों को नियमितिकरण की श्रेणी में रखा जाए। क्योंकि व्यवहारिक रूप से इन्हें आज तोड़ा जाना सम्भव नहीं है। जो छज्जे कवड हैं उन्हें FAR में जोड़ा जाए। तथा जो छज्जे कवड नहीं हैं उन्हें FAR में नहीं जोड़ा जाना चाहिये।

घ. पार्किंग शुल्क के सम्बन्ध में दिल्ली नगर निगम ने एकाएक इस वर्ष से नोटिफाइड सड़को पर मौजूद 20 मीटर तक की 24 कैटेगिरी की छोटी दुकानों से पार्किंग चार्ज वसूल करना शुरू कर दिया है जबकि इनको पार्किंग चार्ज से कानूनन छूट मिली हुई है डी.डी.ए. द्वारा जारी नोटिफिकेशन The DDA (Fixation of Charge for Mixed use and Commercial use of Premises) Regulations 2006 एवं 2007 की धारा 7.3 में लिखा है **“No development Charges for Parking Shall be Payable by small shopowners of area upto 20 sqm. Dealing with the items/activities as defined in para 15.6.3 of the Master Plan for Delhi 2021 in respect of any category of colonies.”** जिस में यह पूर्णतः स्पष्ट है कि दिल्ली की किसी भी कैटेगिरी की



कालोनियों में इन 20 मीटर तक की 24 कैटेगिरी (15.6.3 में वर्णित) की सभी दुकानों को पार्किंग शुल्क ना देने की छूट प्राप्त है जो कि भारत सरकार/शहरी विकास मंत्रालय की सहमति से डी.डी.ए. ने इन सभी (उपयोगकर्ताओं/सम्पत्तिधारकों) को प्रदान की है चाहे वे नोटिफाइड सड़कों पर मौजूद हों, इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव करना वास्तव में समानता के सवैधानिक अधिकार का खुला उल्लंघन है।

उपरोक्त लिखित सुझावों के अतिरिक्त मास्टर प्लान एवं भवन नियमों से सम्बन्धित कुछ अन्य समस्याएं हैं जिनका निवारण भी जल्द से जल्द किये जाना अति आवश्यक है। सम्बन्धित समस्याएं एवं सुझाव निम्नलिखित हैं।

कैन्सिल लीज डीड वाली सम्पत्तियां एवं प्रोसिक्यूशन्स केसों के सम्बन्ध में जिन भवनों की लीज डीड कैन्सिल है/प्रक्रिया में है, इनमें ऐसी सम्पत्तियां जिनको मास्टर प्लान 2021 दिनांक 07.02.2006/15.09.2006 के अनुसार मिश्रित/कर्मिश्यल भू प्रयोग की अनुमति मिल चुकी है या दिनांक 22.09.2006 की अधिसूचना से राहत मिली है ऐसी सम्पत्तियों की लीज डीड नियमित की जाए तथा डमैज/मिसयूज चार्ज आदि एवं प्रोसिक्यूशन्स केसों (कोर्ट केस) समाप्त किये जाए। इस सम्बन्ध में हम कई बार निवेदन कर चुके हैं तथा तत्कालीन माननीय मंत्री महोदय ने उस पर आदेश भी जारी किये थे परन्तु उसके बाद इस सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं हुई है।

काफी प्रयास के बाद मास्टर प्लान 2021 एवं 22.09.2006 की अधिसूचना के द्वारा दिल्ली के नागरिकों को राहत देने का प्रयास किया गया था परन्तु हमारी जानकारी के अनुसार बहुत कम सम्पत्तिधारक व्यापारी (लगभग 4000 से 4500) अपने अतिरिक्त/अवैध निर्माण को नियमित करा पाए हैं। जबकि दिल्ली में अतिरिक्त/अवैध निर्माण की संख्या लाखों में है अतः भवनों के संशोधित नक्शे/अतिरिक्त निर्माण/अवैध निर्माण को मास्टर प्लान 2021/दिनांक 22.09.2006 की अधिसूचना के अनुसार स्वयं घोषित योजना (Self Assessment Scheme) के आधार पर नियमित करने की सरल व्यवस्था की जानी चाहिए इस सम्बन्ध में हम कई बार दि.न.नि. को निवेदन कर चुके हैं। (प्रति संलग्न है)।

अतः मैं हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि उपरोक्त सुझावों, समस्याओं एवं तथ्यों पर विशेष ध्यान दत हुय आवश्यक कदम उठाये जाय। जिससे दिल्ली का जनता का राहत एवं न्याय मिले।

धन्यवाद

Copy to :

1. Shri Tajender Khanna LG Delhi
2. Vice Chairmen DDA INA Delhi

निवेदन  
प्रधान/महासचिव  
सुभाष मलिक



270

REGN. No. 40234 OF 2001

# PRASHANT VIHAR SHOPS & ESTABLISHMENT ASSOCIATION (R)

OFFICE : A-13, PRASHANT VIHAR, DELHI - 110085 PHONE : 011-27568595, 27860488

Ref. No. PVA/929

Dated 17/2/09

To  
Shri Ajay Makan  
Hon'able Minister of State for Urban Development  
Delhi.

Sub.: Request for Restoration of cancelled lease Deeds & Withdrawal of cases of misuse / prosecution.

Sir,

On behalf of Prashant Vihar Shops & Establishment Association (Regd.) we would be very thankful for your esteemed continuous and dedicated efforts by issuing the Master Plan 2021. Under the Master Plan, lacs of peoples have got relief from sealing. Further, I want to draw your kind attention toward the cancellation of lease deed by DDA for alleged misuse of properties for commercial use in plots in Rohini.

Now in Master Plan relief has been given allowing commercial/ Mixed use on 2183 roads as per notification 07<sup>th</sup> September and 15<sup>th</sup> September under the Master Plan 2021.

Further it is our humble request to kindly look into the matter and direct the concerned Authorities for Restoration of the Cancelled Lease Deed, waiving off damaged charges so that the public is not deprived of the benefits which has been bestowed through the said notification. In the meantime we request for withdrawal of eviction notices issued to Property No. A-13, A-53, A-54, A-75, B-37, C-1/14 and B-373 and restore the lease deed of above mentioned plots in Prashant Vihar at earliest.

Thanking you,

Yours faithfully  
For Prashant Vihar Shops &  
Establishment Association (R)

  
(Subhash Malik)





# PRASHANT VIHAR SHOPS & ESTABLISHMENT ASSOCIATION (R)

Off. : A-13, Prashant Vihar, Delhi-110085 Phone : 27568595, 27860488

269

Ref No. TC

Dated 28/2/2021

Shri Ajay Maken  
Hon'ble Minister of State for Urban Development  
Delhi.

Subj: Request for Restoration of cancelled lease Deeds & Withdrawal of cases of misuse / prosecution.

Sir,

On behalf of Prashant Vihar Shops & Establishment Association (Regd.), I am thankful that with your esteemed continuous and dedicated efforts issuance of notification of Master Plan- 2021 has been possible with relief to lacs of people of Delhi who were since struggling for a common cause of livelihood. We further beg to draw your kind attention towards the cancellation of lease deeds by the DDA for alleged misuse of properties for commercial use on plots in Rohini / Other DDA colonies in Delhi. Heavy penalty as damaged charges has been imposed in these cases and in some other cases, even eviction notices have been issued by the DDA.

A Large number of prosecution cases for misuse are going on in the courts & action in some other cases is under process by the DDA.

Now in that Master plan relief is given allowing commercial / mixed land use on 2183 roads as per notification issued on 7<sup>th</sup> September and 15<sup>th</sup> September 2006 and therefore now no eviction proceedings will take place on such notified roads. Therefore, in view of the development, damaged charges levied by the DDA should be waived off and so called cancelled lease-deeds should be restored immediately without any further delay.

We further submit that all cases of prosecution pending in the court should be withdrawn and no further cases should be processed on these roads.

Now we request your honour to kindly look into the matter and direct the concerned Authorities for Restoration of the Cancelled Lease Deed, waiving off damaged charges so that the public is not deprived of the benefits which has been bestowed through the said notification. In the meantime we request for withdrawal of eviction notices issued to Property No. A-13, A-53, A-75, B-37, C-1/14, B-373 and D-29 and stopping eviction proceedings also against these properties forthwith on notified roads in Prashant Vihar.

Thanking you,

Yours faithfully  
For Prashant Vihar Shops &  
Establishment Association(R)

(Yed Mittal) 28/2

9810149311 / 9818533449


VC (DDA)  
Kindly do  
the needful  
The roads  
are already  
notified and  
they enjoy immunity  
through  
MSP 2021  
Ajay Maken

# CONFEDERATION OF ALL INDIA TRADERS

An Apex body of Trade Associations & Federations of India

217 Desh Bandu Gupta Road, Karol Bagh New Delhi-110005 (INDIA)

Ph. +91+11+45032665, Fax: +91+11+45032664, E-mail: caitindia@yahoo.co.in



January 22, 2007

**Shri Dinesh Rai**  
Vice Chairman,  
Delhi Development Authority  
New Delhi

**Sub: Request for Restoration of Cancelled Lease Deeds & Withdrawal of cases of misuse / prosecutions.**

Dear Shri Rai Ji,

I wish to draw your kind attention towards the cancellation of lease deeds by the DDA for alleged misuse of properties for commercial use on plots in Rohini / Other DDA Colonies in Delhi. Heavy penalty as damaged charges has been imposed in these cases and in some other cases; **even eviction notices have been issued by the DDA.**

A large number of prosecution cases for misuse are going on in the courts & action in some other cases is under process by the DDA.

In wake of notification on dated 07-09-2006 and 15-09-2006 allowing commercial / mixed land use of Properties on 2183 roads in Delhi, damaged charges as levied by the DDA should be waived off and so called cancelled lease deeds should be restored immediately without any further delay to meet the end of justice & all cases of prosecution pending in the court should be withdrawn and no further cases should be processed on these roads.

Therefore it will be appreciated if concerns authorities may be directed to restore cancelled lease deed & for waiving of damaged charges. It will be further appreciated if a convenient appointment is accorded to discuss the matter in person.

Thanking you, with kind regards

**Praveen Khandelwal**  
Secretary General  
Cell: 9891015165-9312099771



267

www.dda.org.in

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY  
( Receipt & Despatch Cell )

Acknowledgement

Receipt Number : REC / M / 07 / 2,896 Date: 07-6-07 4:37:11PM  
Letter Date : 7/6/07  
Subject : REQUEST  
DDA file Number : NIL  
Received From : PRASHANT VIHAR SHOP 7 ESTABLIS  
Addressed To : M VICE CHAIRMAN, DDA

Enclosures Attached :-

Serial no.	code	Copy	Description
1	24	2	MISCELLANEOUS
Total Pages		2	

1. The correctness of the above enclosures are subject to verification by the concerned Department

2. For any type of clarification and inquiry, please contact the branch officer concerned on any working Monday & Thursday between 2.30 PM to 5.30 PM.

Received By : UDAY BHANA



# PRASHANT VIHAR SHOPS & ESTABLISHMENT ASSOCIATION (R)

Off. : A-13, Prashant Vihar, Delhi-110085 Phone : 7568595, 7860488

Ref. No. VR/1306/06

Dated 10th Dec. 06

To

Sh. Jai Pal Reddy,  
Union Minister for Urban Development  
Nirman Bhawan  
New Delhi.

Sub. : Request for Restoration of Cancelled Lease Deeds & Withdrawal of cases of misuse / prosecution.

Sir,

We beg to draw your kind attention towards the cancellation of lease deeds by the DDA for alleged misuse of properties for commercial use on plots in Rohini / Other DDA Colonies in Delhi. Heavy penalty as damaged charges has been imposed in these cases and in some other cases, even eviction notices have been issued by the DDA.

A large number of prosecution cases for misuse are going on in the courts & action in some other cases is under process by the DDA.


Now in the changed circumstances, as the Govt. is serious to grant relief to the public & has also issued notification on dated 07.09.2006 & 15.09.2006 allowing commercial / mixed land use of Properties on 2183 roads in Delhi. Therefore, in view of this development, damaged charges as levied by the DDA should be waived off and so called cancelled lease-deeds should be restored immediately without any further delay.

We further submit that all cases of prosecution pending in the courts should be withdrawn and no further cases should be processed on these roads.

Now we request your honour to kindly look into the matter and direct the concerned Authorities for Restoration of the Cancelled Lease Deeds, waiving of damaged charges so that the public is not deprived of the benefits which has been bestowed through the said notification.

Thanking you,

Yours faithfully,  
For Prashant Vihar Shops &  
Establishment Association(R)

  
(Sh. Ved Mittal)  
Gen. Secretary





# PRASHANT VIHAR SHOPS & ESTABLISHMENT ASSOCIATION (R)

Off. : A-13, Prashant Vihar, Delhi-110085 Phone 27568595, 27860488

265

Ref. No. ....

Dated.....25/5/07.....

Shri Ajay Makan  
Minister of State for Urban Development  
Govt. of India  
New Delhi

Sub: Request for considering problems relating to regularisation of shops on notified roads under MPD-2021.

Sir,

Your kind honour after due consideration have provided relief to the people of Delhi by declaring the commercial / mixed land use on 2183 roads in Delhi through notification dated 07.09.2006 and MPD-2021. But in the present scenario , we presume that due to non clarification / confusion on certain policies / points the relief given to the general public has not proved fruitful.

1. CONVERSION CHARGES / PARKING CHARGES

As the association have been requesting to your honour from time to time that conversion charges are very high and need consideration that it should be one time and reasonable instead of recurring charges / annual.

2. In some areas of Rohini like Prashant Vihar / Rohini, sufficient parking sites are already in existence. There seems no necessity to develop more parking sites on the notified commercial / mixed land use roads. In these areas parking charges should be waived off. Wherever parking sites are required the parking charges should be nominal and justified.

3. Due to unaffordable conversion charges / parking charges it is practically not possible for the shopkeepers in general to deposit the necessary conversion charges/ parking charges with the MCD before the last date i.e. 30.06.2007.

Contd...2

4. According to the clause 10.9 (III) of notification dated 07.09.2006 " No modification to the buildings for using residential premises for non-residential activities, under the mixed land use policy shall be permitted unless the allottee / owner has obtained sanction of revised building plans and has paid necessary fees or charges". In this context it is stated that almost 99% unauthorised constructions / buildings existing on notified roads have not been regularised due to unclear regularisation policies of MCD. It is requested that Moratorium should be extended for one more year.

It is requested that time extension in this case should be granted till justified (one time conversion charges and reasonable parking charges are not declared).

Thanking you,

Yours sincerely



(VED MITTAL)

General Secretary

COPY TO:

1. Commissioner MCD, Town Hall, Delhi
2. Addl. Commissioner MCD, Town Hall, Delhi





# PRASHANT VIHAR SHOPS & ESTABLISHMENT ASSOCIATION (R)

OFFICE : A-13, PRASHANT VIHAR, DELHI - 110085 PHONE : 011-27568595, 27860488

Ref. No. ....

Dated .....

1. आयुक्त महोदय,  
दिल्ली नगर निगम
2. अतिरिक्त आयुक्त (इंजीनियरिंग) महोदय  
दिल्ली नगर निगम

विषय:- अतिरिक्त निर्माण/अवैध निर्माण के नियमितीकरण से सम्बंधित समस्याओं के निवारण तथा दि०न०नि० के आर्थिक सुधार के सम्बन्ध में

महोदय,

हम आपका ध्यान ऐसी समस्या की ओर दिलाना चाहते हैं जो कि भविष्य में एक अत्यन्त गंभीर समस्या का रूप धारण कर सकती है। वह है भवनों में अतिरिक्त निर्माण/अवैध निर्माण का नियमितीकरण जो कि दिल्ली के नागरिकों तथा व्यापारियों के लिये निश्चित रूप से परेशानी का कारण बन रहा है। इस संबंध में दिनांक 07.09.2006 एवं 22.09.2006 को जारी की गई, अधिसूचना तथा मास्टर प्लान 2021 के द्वारा राहत देने की कोशिश की गई थी, परन्तु वास्तव में यह राहत अब तक केवल लगभग 4000-4500 लोगों तक ही सीमित रही है। जबकि दिल्ली में अवैध निर्माण वाली सम्पतियाँ लाखों की संख्या में हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अवैध निर्माण के नियमितीकरण की योजनाओं को जनता में सही से प्रचारित नहीं किया गया तथा न ही नियमितीकरण की प्रक्रिया को सरल किया गया। परिणाम स्वरूप अब तक अधिकतर सम्पत्तिधारक अपने अवैध निर्माण को नियमित नहीं करा पाए हैं।

इस विषय में हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जिन व्यापारियों को दिनांक 07.09.2006 की अधिसूचना/मास्टर प्लान 2021 के द्वारा मिश्रित/कर्मशियल भू-प्रयोग की अनुमति दी गई है, उनको भी इस अधिसूचना एवं मास्टर प्लान के अनुसार अतिरिक्त निर्माण/संशोधित भवन का नक्शा नियमित कराना आवश्यक है। हमारी जानकारी के अनुसार बहुत कम व्यापारी ही भवन का संशोधित नक्शा नियमित करा पाये हैं क्योंकि नियमितीकरण की प्रक्रिया में कई प्रकार की अड़चने हैं जिन्हें अतिशीघ्र दूर करने की आवश्यकता है।

हम लम्बे समय से लगातार इस विषय में जानकारी लेने का प्रयास करते रहे हैं। कई बार आर.टी.आई.एक्ट के अन्तर्गत आवेदन/अपील भी की गई परन्तु आज तक भी पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। कई वास्तुकारों से भी जो जानकारी अब तक प्राप्त हुई है, वह भी भ्रमित तथा अधूरी है। जनता में सही व पूरी जानकारी ना होने के कारण भी बहुत कम सम्पत्तिधारक नियमितीकरण करा पाए हैं।

पिछले दिनों समाचार पत्रों के माध्यम (कृपया संलग्न पृष्ठ सं.....देखें) से ज्ञात हुआ है कि पिछले दो सालों में (अक्टूबर 2008 से अक्टूबर 2010 तक) दिल्ली में 1906 सम्पत्तियों के अवैध/अतिरिक्त निर्माणों का नियमितीकरण हुआ है जिससे दि०न०नि० को 35 करोड़ रुपये का राजस्व, नियमितीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त हुआ यानि एक सम्पत्ति से औसतन 1,83,630/- रुपये प्राप्त हुए। जबकि दिल्ली में (एम.वी.सी.-3 के अनुसार) लगभग 45 लाख सम्पत्तियां हैं जिनमें से वास्तव में लगभग 90 प्रतिशत सम्पत्तियों में कुछ ना कुछ अवैध निर्माण अवश्य है परन्तु फिर भी यदि हम इन सम्पत्तियों में मौजूद अवैध/अतिरिक्त निर्माण की संख्या कम से कम पांच लाख मान ले तो  $500000 \times 1,83,630/- = 91815000000/-$  रुपये की धनराशि दिल्ली नगर निगम को प्राप्त हो सकती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी तथा इससे जनता को सीलिंग एवं तोड़फोड़ से राहत के साथ-साथ दि०न०नि० को भरपूर राजस्व भी मिल सकता है जो कि दिल्ली नगर निगम की योजनाओं तथा राजधानी के विकास को तेज गति दे सकता है।

इसके लिए दि०न०नि० को नियमितीकरण हेतु एक सरल, उदार एवं स्वयं - आंकलन आधार पर सेल्फ एसेसमेन्ट स्कीम को पुनः लागू करके दिल्ली में मौजूद सभी प्रकार की सम्पत्तियों (रिहायशी, कमर्शियल, डी.डी.ए. मार्किटें, मिश्रित एवं कर्मशियल भू-प्रयोग भवन, औद्योगिक आदि) में मौजूद अवैध/अतिरिक्त निर्माण को सम्बन्धित अधिसूचनाओं एवं मास्टर प्लान 2021 के आधार पर नियमितीकरण की दिशा में एक सार्थक कदम उठाना चाहिए। इस सम्बन्ध में कुछ मुख्य निम्नलिखित कदम उठाने अति आवश्यक हैं :-

- (क) नियमितीकरण योजना में सबसे बड़ी समस्या जो अब तक आई है कि नियमितीकरण कराने के लिए एक भवन के प्रत्येक भाग के सभी सम्पत्तिधारकों को संयुक्त रूप से नक्शा जमा कराना पड़ता है जो कि अधिकतर मामलों में व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हो पाता है। अतः जिस प्रकार कनवर्जन शुल्क/पार्किंग शुल्क जमा कराने के लिए सम्पत्तिधारक स्वयं केवल अपने स्वामित्व एवं उपयोग वाले स्थान का ही शुल्क जमा कराता है (उसी के आधार पर दि०न०नि० ने उसे कार्य करने /प्रयोग की इजाजत दी हुई है) उसी प्रकार सम्पत्तिधारक द्वारा केवल अपनी ही सम्पत्ति के (पोरणन वाइज) संशोधित नक्शों एवं नियमितीकरण शुल्क को जमा कराकर स्वयं आंकलन/सेल्फ एसेसमेन्ट द्वारा नियमितीकरण की व्यवस्था होनी चाहिए। हम यहां यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि दि०न०नि० पहले ही प्लॉटों के सब-डिवीजन का प्रस्ताव पास कर चुका है। (कृपया संलग्न पृष्ठ सं०.....देखें)
- (ख) पूरे भवन/फ्लोर वाइज/कई फ्लोर के स्वामित्व वाली सम्पत्तियों (कृपया संलग्न पृष्ठ सं.....देखें) में मौजूद अवैध/अतिरिक्त निर्माण को स्व-आंकलन/सेल्फ एसेसमेन्ट आधार पर नियमितीकरण की पुनः व्यवस्था होनी चाहिए तथा कम्प्लीशन सर्टिफिकेट भी दिया जाना चाहिए।



- (ग) जोड़ो (दो मिले हुए प्लॉट)/छज्जो वाले मामलों में भी नियमितीकरण हेतु स्व-आंकलन आधार पर व्यवस्था होनी चाहिए। जोड़ों एवं छज्जो के सम्बन्ध में भी दि०न०नि० प्रस्ताव पास कर चुका है अतः नियमित कालोनियों में भी 1 मीटर तक के छज्जों को भी नियमित किया जाए (यदि आवश्यकता हो तो सम्पत्तिधारक से यह शपथपत्र लिया जा सकता है कि इस सम्बन्ध में भविष्य में जो भी अन्तिम निर्णय होगा सम्पत्तिधारक उसे मानेगा)।
- (घ) नियमितीकरण योजना को सरल एवं उदार किया जाना चाहिए जिसके अन्तर्गत जनता की परेशानी को दूर करने हेतु प्रत्येक जोन में एकल खिड़की व्यवस्था हो जिस पर तुरन्त नक्शा तथा नियमितीकरण शुल्क जमा करके हाथो-हाथ नियमितीकरण किया जाए तथा पंजीकृत आर्किटेक्ट से भी नियमितीकरण एवं नक्शा पास कराने की छूट हो जिससे जनता को भ्रष्टाचार से राहत मिले।
- (ङ) पूरे भवन के साथ-साथ फ्लोरवाइस नक्शे ऑनलाईन पास कराने की तथा कम्प्लीशन सर्टिफिकेट पंजीकृत आर्किटेक्ट से जारी कराने की व्यवस्था हो जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे। (कृपया संलग्न पृष्ठ सं.....) देखें
- (च) इस सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित अधिसूचनाओं, आदेशों एवं स्व-आंकलन नीति की सरल पुस्तिका बनाई जाए (जिसकी कई बार मांग भी की गई है) तथा जनता में इन योजनाओं का पूर्णतः प्रचार-प्रसार किया जाए तथा सभी विवरण वेबसाइट पर भी उपलब्ध हों।
- (छ) पिछले दिनों दि०न०नि० ने नक्शा पास करने हेतु 100 मीटर एवं इससे बड़े रिहायशी एवं अन्य प्लॉटों के ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग बनाना अनिवार्य कर दिया है इसमें कई प्रकार की व्यावहारिक दिक्कतें आएंगी यह अनिवार्यता 250 मीटर एवं इससे बड़े प्लॉटों के नवनिर्माण पर ही लागू होनी चाहिए तथा 250 मीटर से छोटे प्लॉटों को इससे छूट होनी चाहिए। (संलग्न पृष्ठ सं०.....)

अन्त में हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि उपरोक्त तथ्यों पर विशेष ध्यान देते हुए इस सम्बन्ध में जल्द से जल्द गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए जिससे जनता को लाभ व राहत के साथ-साथ दिल्ली नगर निगम की आर्थिक स्थिति में आवश्यक सुधार हो तथा दिल्ली का विकास हो।

धन्यवाद

संलग्न :-

प्रति प्रेषित :- (आवश्यक कार्यवाही हेतु)

निवेदक

प्रधान/महासचिव



रिपोर्ट समयबद्ध जारी करने जैसी मांगों को लेकर नार्दन रेलवे मेन्स यूनियन को एक सभा बड़ीदा हाउस स्थित उत्तर रेलवे मुख्यालय में की गई। इसी सभा में यूनियन के नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा-यदि अंतरिम सहव की जल्दी घोषणा नहीं की गई तो कर्मचारी जोरदार राष्ट्रव्यापी आंदोलन उड़ेगे।

**& JEWELLERY**

Learn Gemology  
Diamond Grading  
Jewellery Designing

Tel-011- 41724700, 9891049735

## सार्वजनिक सूचना

### दिल्लीवासियों के लिए अवैध निर्माण को नियमित करवाने का सुनहरा अवसर !

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम बनाम कल्याण संस्थान सोशल वेलफेयर एवं अन्य के मामले में दिनांक 16 मार्च, 2007 को दिए गए निर्देशों में दिल्ली नगर निगम को यह अनुमति प्रदान कर दी है कि वह अवैध निर्माण को नियमित करवाने के उन आवेदनों को भी स्वीकार करे जिनमें माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आवेदन के साथ Non-compoundable deviations को गिराने का शपथ-पत्र न लगा हो। इन निर्देशों के अनुपालन में, दिल्ली नगर निगम ने रिहायशी भूखंड विकास (Residential Plotted Development) एवं अन्य नियोजित विकास क्षेत्रों में अवैध निर्माण को नियमित करने की योजना प्रारम्भ की है। दिल्लीवासी अपने भवनों में किए गए अवैध निर्माण को उस सीमा तक नियमित करा सकते हैं जिसकी अनुमति मास्टर प्लान-2021 में ग्राउंड कवरेज, एफ.ए.आर. और ऊंचाई से सम्बन्धित भवन नियमों में दी गई है।

दिल्लीवासियों को निम्नलिखित कदम उठाने हैं:

- यह सुनिश्चित करें कि फाइल में निम्नलिखित दस्तावेज लगे हैं -
  - (i) वर्तमान निर्माण के नक्शे के दो सैट जिस पर मालिक व पंजीकृत वास्तुकार के हस्ताक्षर हों।
  - (ii) मालिकाना हक के दस्तावेजों की प्रतिलिपि, जो स्वयं सत्यापित हो।
  - (iii) भवन-अभियंता द्वारा ढांचे की मजबूती का प्रमाण-पत्र।
  - (iv) पंजीकृत वास्तुकार का इस आशय का प्रमाण-पत्र कि भवन मास्टर प्लान-2021 के भवन-नियमों के अनुरूप है।
  - (v) मालिक का शपथ-पत्र कि अवैध निर्माण, जो अनुमति की सीमा से बाहर है, दो माह की अवधि के भीतर गिरा दिया जाएगा।
  - (vi) वर्तमान भवन की फोटो के तीन सैट।
- ख. दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिनांक 20.11.2006 की अधिसूचना / मास्टर प्लान-2021 के अंतर्गत जमा कराए जाने वाले Betterment Levy, Additional FAR Charges and Penalty / Compounding Charges / Special Compounding Charges के आकलन का विवरण।
- ग. नक्शे की एक कॉपी बिना साइट इन्स्पेक्शन के तुरन्त ही आवेदक को नियमिकरण की मोहर लगाकर सौंप दी जाएगी।

नियमिकरण के आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 मई, 2007 है।

दिल्ली नगर निगम के पास इस बात का पूरा हक सुरक्षित है कि वह वर्तमान निर्माण को सही अथवा गलत पाए जाने हेतु जांच करे और स्वयं निर्धारण करके जमा कराई राशि यदि कम पायी जाती है तो उसकी वसूली करे।

किसी भी अन्य जानकारी/स्पष्टीकरण हेतु सम्बन्धित क्षेत्र के अधिशासी अभियंता (भवन) अथवा टाउन हॉल, मुख्यालय के अधिशासी अभियंता-भवन से सम्पर्क किया जा सकता है।

हस्ता./-

अतिरिक्त आयुक्त (अभियांत्रिक)

भवन विभाग (मुख्यालय)



**दिल्ली नगर निगम**

प्रेस एवं सूचना निदेशालय, दि.न.नि. द्वारा जारी

Rs. 1199  
Dep. 6:30 am, 10:15 am & 2:45 pm \* (non-stop)

**IndiGo to Kolkata**

Rs. 1099  
Dep. 5:00 am & 3:00 pm

**IndiGo to Hyderabad**

Rs. 1399  
Dep. 7:00 am & 3:45 pm

**IndiGo to Goa**

Rs. 1299  
Dep. 3:20 pm

**IndiGo to Chennai**

Rs. 1599  
Dep. 4:45 am, 7:00 am, 2:45 pm & 3:45 pm \* (non-stop)

**IndiGo to Guwahati**

Rs. 1499  
Dep. 5:30 am

**IndiGo to Bangalore**

Rs. 1799  
Dep. 6:45 am & 2:20 pm \* (non-stop)

**Book now!**  
[www.goindigo.in](http://www.goindigo.in)

Toll free 1 800 180 38 38  
Phone 0 99 10 38 38 38  
or call your travel agent.

\*Flight subject to availability  
Schedule subject to regulatory requirements  
Please flights originate from Delhi

12-4-2007



**Li**  
**a Dil**  
से City No.1

किया जा सकता है। डिजाइटर  
पेश है उस पर स्पेशल रिपोर्ट

**कॉप्टर**



अनुमोदन लेना होगा। भारतीय भूकंप क्षेत्र  
भूकंप ज़ोन - चार में आती है, जोकि दूसरे  
अभी तक के रेकार्ड के मुताबिक राजधानी  
वाले कई भूकंप आए हैं। दिल्ली-हरिद्वार  
परिधि में आने वाले दिल्ली-मुद्रादाबाद  
6.5 से 7 तक की तीव्रता के भूकंप

ही तैयार किए गए भूकंप मैनुअल और  
सारे सर्वेक्षणों को फिर से परामर्श  
है। खतरों को पहचानने के आधार पर जिसमें  
तीव्रता की संभावना, क्षेत्र की भू-आकृति

जिंदी कॉलोनी  
को कहिए  
अलविदा.

**PCI**



## दिल्ली नगर निगम

### सार्वजनिक सूचना

#### मास्टर प्लान दिल्ली - 2021 के प्रावधानों का मूतल, प्रथम और द्वितीय तल के मालिकों द्वारा पालन

बड़ी संख्या में ऐसे आवासीय मुखण्ड हैं जिनके तल (फ्लोर) पंजीकृत सेल दीड और पावर  
ऑफ अंशों के माध्यम से अलग-अलग व्यक्तियों को बेचे गए हैं। ऐसे मामलों में हमेशा ऐसा  
संभव नहीं है कि मवन के सभी तलों को एक साथ नियमित किया जा सके, क्योंकि संभवतया  
मवन के सभी मालिक इसे नियमित कराने के लिए एक साथ आगे न आएँ। नियमितकरण की  
सुविधा देने के लिए अब, हर तल के अलग-अलग मालिक दिल्ली नगर निगम में स्व-आकलन  
(Self-assessment basis) आधार पर नियमितकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

अब अतिरिक्त कवरज का लाभ अलग-अलग मालिक को मास्टर प्लान दिल्ली - 2021 के  
अनुसार प्रत्येक तल पर अनुमत्य भवन आवरण के अंदर मौजूदा निर्मित (क्वडी) क्षेत्र के  
अनुपात में दिया जाएगा। ये शर्तियाँ (Modalities) मूल, प्रथम और द्वितीय तल के  
नियमितकरण के इच्छुक मालिकों पर लागू होंगी।

वर्तमान में तृतीय और इससे ऊपर वाले तलों के नियमितकरण की अनुमति नहीं है।

प्रक्रिया विधि:

क. आवेदक को आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:

- तल (तलों) के वर्तमान निर्माण के प्लान, जिन पर फ्लैट स्थित है, के दो सेट जो  
मालिक और पंजीकृत वास्तुकार से विधिवत हस्ताक्षरित हों।
- स्वयं सत्यापित स्वामित्व दस्तावेज की प्रति।
- संरचना अभियंता (Structural Engineer) का संरचना स्थायित्व प्रमाण पत्र  
(Structural Stability Certificate).
- पंजीकृत वास्तुकार का प्रमाण पत्र कि कुल निर्मित क्षेत्र, जिस पर यह तल बनाया  
गया है, मास्टर प्लान दिल्ली - 2021 के अनुसार अनुपातिक रूप से अनुमत्य भवन  
आवरण के अंदर है।
- इस आशय का सतिपूर्ति बचपत्र कि शीर्षक (Title) अथवा अन्य प्रकार के किसी  
विवाद की स्थिति में निगम को कोई हानिमुक्त रखा जायेगा।
- अलग-अलग कोणों से लिए गए फोटो के तीन सेट।

ख. दिल्ली विकास प्राधिकरण की अधिसूचना दिनांक 20.11.2006 के अनुसार  
स्व-आकलन आधार पर बेहतरी लेवी (Betterment Levy) / अतिरिक्त एकड़आर  
प्रभार (FAR Charges) और दण्ड (Penalty) / चक्रवृद्धि प्रभार (Compounding  
Charges) / विशेष चक्रवृद्धि प्रभार (Special Compounding Charges) के  
भुगतान हेतु निम्नानुसार गणना करें:

दरें रु. प्रति वर्ग मीटर में

	नए निर्माण	3500/-	1400/-	700/-	490/-
2. अनधिकृत निर्माण का नियमितकरण					
(क) स्वीकृत ऊँचाई के अंदर अतिरिक्त कवरज	4020/-	1610/-	805/-	564/-	
(ख) स्वीकृत से ऊपर किन्तु अनुमत्य ऊँचाई के अंदर अतिरिक्त कवरज (23.7.98 के अनुसार)	4375/-	1750/-	875/-	613/-	
(ग) 23.07.1998 के अनुसार अनुमत्य ऊँचाई से ऊपर किन्तु 15 मीटर के अंदर अतिरिक्त कवरज	4900/-	1960/-	980/-	686/-	

ग. नियमितकरण के लिए प्लान की एक प्रति विधिवत मुहर लगाकर स्थल सत्यापन  
(साइट वेरीफिकेशन) किए बिना तुरंत ही आवेदक को सौंप दी जाएगी।

तथापि, दिल्ली नगर निगम के पास वर्तमान निर्माण के अनुसार जमा किए गए दस्तावेजों के  
सही होने का सत्यापन करने और स्व-आकलन के आधार पर गणना की गई राशि में कमी  
होने पर उसका हवा करने का अधिकार सुरक्षित है।

अन्य किसी जानकारी/स्पष्टीकरण के लिए संबंधित जोन के अधिशासी अभियंता (मवन) से  
या अधिशासी अभियंता (मवन) मुख्यालय से टाउन हॉल में सम्पर्क किया जा सकता है।

हस्ता/-

अतिरिक्त आयुक्त (अभियांत्रिक)

प्रेस एवं सूचना निदेशालय, दि.न.नि. द्वारा जारी



संचालित करने के लिए लाली सोहत वन  
सदस्यीय एक समिति का गठन किया था।

रूप से ही रहत मिल सकेगी।

में ऑटोमेटिक ब्रेक लगाना।

## नए बिल्डिंग बाइलॉज का तोहफा मिलेगा केंद्र से

लोगों को निगम और अन्य  
निकायों के दफ्तरों के चक्कर  
काटने से मिलेगी निजात

प्रभात कुमार

नई दिल्ली

पुराने पड़ चुके कड़े नियमों/उपनियमों की वजह से राजधानी में मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराने से लेकर निर्माण पूरा होने का प्रमाण-पत्र हासिल करने के लिए आज भी लोगों को निगम व अन्य निकायों के दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। लोगों को इन परेशानियों से राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार दिल्ली के लिए नए बिल्डिंग बाइलॉज बनाने पर विचार कर रही है। इसका खुलासा केंद्र सरकार ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में दायर अपने हलफनामे में किया है।

न्यायमूर्ति ए. के सीकरी की अध्यक्षता वाली विशेष खंडपीठ के समक्ष सरकार ने राजधानी में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के लिए गैर-सरकारी संगठन 'कल्याण संस्थान' की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर अपना पक्ष रखते हुए दायर किया है। सरकार ने यह जवाब मकान पूरा होने का प्रमाण-पत्र समय सीमा के भीतर ऑनलाइन दिये जाने के

दिल्ली नगर निगम के प्रस्ताव के बावत एक में संशोधन किये जाने के बारे में हाईकोर्ट द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में दिया है।

### क्या था निगम का प्रस्ताव

दरअसल दिल्ली नगर निगम ने अपने विभाग में बढ़ते भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए मकान का निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र एक सप्ताह के भीतर जारी करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था करने की इच्छा जताई थी। निगम वर्तमान में मकान की जांच करने के लिए अधिकारियों के मौके पर जाने के आवश्यक प्रावधान को हटाना चाहती है और इसके बदले में कोई भी व्यक्ति अपने मकान का निर्माण पूरा होने के बारे में पंजीकृत आर्किटेक्ट के हलफनामे के साथ आवेदन करने एक सप्ताह के भीतर प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान किया था। इसके लिए निगम ने कहा था कि यह तभी संभव होगा जब केंद्र सरकार वर्तमान कानून में संशोधन करेगा। इसके बाद हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा था।

### दिकर्तें दिल्ली की

■ नियमानुसार रिहायशी इमारतों की ऊंचाई 15 मीटर तक जबकि ज्यादातर दिल्ली में दिखती हैं इससे कहीं ऊंची इमारतें

■ नियम भूल और इसके ऊपर तीन मंजिलों की इजाजत देते हैं लेकिन दिल्ली में चार-पांच मंजिला इमारतें आम हैं।

■ शहर में प्लाटिंग है पुरानी। मकानों के बंटवारे के बाद मालिक तो बढ़ और बदल गए लेकिन बंटी हुई संपत्ति का नक्शा पास नहीं करता निगम

■ पल्लों परिया-रेशो (एफएआर) की सीमा तो तय है लेकिन इसके आनुपातिक बंटवारे में आती हैं दिकर्तें

■ मास्टर प्लान दिल्ली 2021 के प्रावधान ज्यादातर इमारतों को ठहराते हैं आपतिजनक

## कई जगह लगा जाम

नई दिल्ली। राजधानी में गुरुवार सुबह चीनी प्रधानमंत्री के लिए लगे वीआईपी रूट के कारण जाम लग गया। सुबह का वक्त होने के कारण लोग अपने-अपने काम पर जाने के लिए निकले थे, इस दौरान ही राजघाट जाने के लिए चीनी प्रधानमंत्री रूट लगाया गया था। इस कारण लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ा। सुबह करीब 10 बजे से 12 बजे के बीच इंडिया गेट, तिलक मार्ग, रिंग रोड व राजघाट पर लोम जाम में फंसे रहे, जबकि दोपहर दो बजे के बाद शाम तक संसद मार्ग, टॉलस्टाय मार्ग, कस्तूरबा गांधी मार्ग, बाराखम्बा रोड व मंडी हाउस तक जाम लगा रहा। सुबह रात कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी जाम का सामना करना पड़ा। सात रैसकोर्स पर चीनी प्रधानमंत्री के लिए आयोजित रात्रिभोज में उन्हें पहुंचना था। (का.सं.)



Helpline No.: 098115-70149 कील

17-12-10  
हिन्दुस्तान



बैंक ऑफ बड़ो  
Bank of Baroda

100% financing

## DDA HOUSING Scheme

Pay ₹ 4500 for availing finance ₹ 1.50 Lac  
₹ 1500 for availing finance of ₹ 0.50 lac

Scheme closes on 24.12.2010

- No extra charges (except stamp duty charge)
- All Branches of Delhi, Gurgaon, Faridabad will remain open on Sunday work upto 6pm on Saturday (18.12.2010)
- Interest will be charged from Closing Date of

Helpline No.

South Delhi : 9717831999, West Delhi : 9810331983,  
9711422738, Central Delhi : 9968277676, 981156854  
Ghaziabad : 9999318239, Faridabad : 9911399937  
All areas : 9958638811, 9250316497, 9971798948,

## नगर निगम बढ़ा सकता है टोल टैक्स

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम की ओर से टोल टैक्स बढ़ाने का मन बना लिया गया है। नए वित्तीय वर्ष में

**BIG BOYS**

Watch the Belly D



## एक नजर

### फांसी लगाकर दी जान

उत्तम नगर इलाके के मोहन गार्डन निवासी, वनपाल (20) ने गुरुवार की शाम घर में पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए डीडीयू अस्पताल भेजा गया है। पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। खुदकुशी के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

### खुदकुशी की

● ख्याला इलाके में सुनीता (27) ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। उसकी शादी वर्ष 1999 में कैलाश के साथ हुई थी। उनके तीन बच्चे हैं। पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। सुनीता के शव को पोस्टमार्टम के लिए डीडीयू अस्पताल भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

### समाज सेवा करेंगे छात्र

● अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के छात्र तकनीक की दुनिया में नए कौशलमान स्थापित करने के साथ समाज में जागरूकता फैलाने के लिए भी काम करेंगे। आईआईटी दिल्ली का संगठन एआईईसीईसी दिल्ली विद्यविद्यालय के छात्रों के साथ मिलकर समाज सेवा भी करेगा। इसके तहत छात्रों द्वारा एक हफ्ते का कोर्सेट वीक मनाया जाएगा। जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा समाज में जागरूकता फैलाई जाएगी। एआईईसीईसी दिल्ली के बैनर तले ये छात्र काम करेंगे।

### रेलगाड़ियां विलम्ब

● इलाहाबाद के पास एक मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने के कारण दिल्ली को आने वाली दो टर्मिनस से अधिक रेलगाड़ियां 20 घंटे से भी अधिक विलम्ब से चल रही हैं। कोंडरे के कारण रेलगाड़ियां पहले से ही विलम्ब से चल रही हैं और मालगाड़ी के पटरी से उतरने से रेल यातायात और बाधित हो गया।

# 1906 प्रॉपर्टी नियमित 35 करोड़ की कमाई

कार्यालय संवाददाता

नई दिल्ली

अवैध निर्माण के बाढ़ तले दबे राजधानी में पिछले दो साल में दिल्ली नगर निगम ने महज 1906 प्रॉपर्टी के मालिकों ने अपने मकान के अवैध निर्माण को नियमित करवाये। निगम ने इन प्रॉपर्टी मालिकों से जुमाना स्वरूप 35 करोड़ से अधिक रकम प्राप्त हुई। इसका खुलासा दिल्ली नगर निगम ने हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामा में किया है।

न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष निगम की ओर से अधिवक्ता अजय अरोड़ा व कपिल दत्ता ने बताया कि पिछले दो सालों में (अक्टूबर 2008 से अक्टूबर 2010) नोडल कमेटी के आदेश पर 11347 संपत्तियों को बुक करने सीलिंग व डिमोलिशन की कार्रवाई की गई।

उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त 10249 संपत्तियों को अवैध निर्माण के आरोप में बुक की गई है और जांच की जा रही है कि किस प्रकार की कार्रवाई किया जा सकता है। अधिवक्ता अरोड़ा ने हाईकोर्ट को यह भी बताया है कि फरवरी 2009 से अक्टूबर 2010 तक निगम के पास मकान का नक्शा पास करने के लिए 6863 आवेदन आए और इनमें से 6474 का निपटारा कर

## दो प्रॉपर्टी सील 8 में तोड़फोड़

दिल्ली नगर निगम की ओर से गुरुवार को भी शाहदरा साउथ जेन में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान प्रॉपर्टी नंबर 13 और 244 बी प्रॉपर्टी में सीलिंग की गई। फरी बजार में न. जेन की टीम ने 8 अवैध निर्माणों को अजय नली नकल गली विश्वास नगर प्रॉपर्टी नंबर 13 और 244 बी प्रॉपर्टी में निगम के दस्त ने ध्वस्तकरण की कार्रवाई की।

दिया गया जबकि अन्य पर निर्णय लिया जाना बाकी था। नगर निगम ने यह अलफनामा राजधानी में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई का आदेश देने के लिए गैर सरकारी संगठन कल्याण संस्थान की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर दिया है।

मामले की सुनवाई चार मार्च को होगी। निगम ने कोर्ट को यह भी बताया कि राजधानी में अवैध निर्माण पर लगाम लगाने के लिए 1266 हेल्पलाइन नम्बर शुरू किया है और इस पर कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकते हैं।

## शर्मा जी से पूछो...



प्रसिद्ध हास्य कवि सुरेन्द्र शर्मा

यदि आपके मन में भी कोई अटपटा सा सवाल आ रहा है तो आप उस सवाल का चटपटा जवाब पाने के लिए अपने प्रश्न शर्मा जी से पूछ सकते हैं हमारा पता है:

शर्मा जी से पूछें

हिन्दुस्तान, 18-20 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001

या ई मेल भेजें:

feedback@livehindustan.com

## बीमारी से पं मंजिल से

नई दिल्ली। आर्थिक तंगी व बीमारी 30 वर्षीय एक मरीज इस कदर परेश हो गया कि उसने बुधवार सुबह जीवोप अस्पताल की सातवीं मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। उसे दस दि पहले ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके दिल का ऑपरेशन हुआ था घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। खुदकुशी का परिहार सप्ते में है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच आरंभ कर दी है। खुदकुशी करने वाले मरीज नमीन रायुतापार के कैंसर पुर

## राजेश को पीटने के लिए दौड़ी महिला

पुलिस ने किसी तरह रोका, चीख-चीख कर देने लगी गालियां

हिन्दुस्तान

देहरादून/दिल्ली

देरिदगी की हद पार करने वाले राजेश के प्रति लोगों में किस कदर गुस्सा है, इस बात का प्रमाण गुरुवार को मिला। लोगों की जुबां पर न सिर्फ उसके लिए बद दुआएं हैं बल्कि मौका मिलने



चार दुकानों से जुटाए सबूत

पुलिस ने गुरुवार को कनाट पुलिस

## दिनांक 20.12.2010 से 5 अं रेलगाड़ियों की सं

बेहतर रेल प्रबंधन और यात्री सुविधाओं को और सु रेलगाड़ियों के नम्बर को पाँच अंकों का किया जा रहा है।

दिनांक 20.12.2010 से दुरंतो, राजधानी, शताब्दी, जन साधारण, गरीब रथ, सुपरफास्ट सहित सभी मेल/एक्सप्रेस चार अंक संख्या की शुरुआत में '1' अंक जोड़कर पाँच अं उदाहरण के लिए :-

रेलगाड़ी का वर्तमान नंबर	रेलगाड़ी का नाम
2001/2002	मोपाल-नई दिल्ली-मोपाल शताब्दी एक्सप्रेस
2053/2054	हरिद्वार-अमृतसर-हरिद्वार जनशताब्दी एक्सप्रेस
2203/2204	सहरसा-अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एसी एक्सप्रेस
2213/2214	यशवंतपुर-दिल्ली सराय रोहिल्ला-यशवंतपुर दुरंतो एक्सप्रेस
2217/2218	कोचुवेली-चंडीगढ़-कोचुवेली केरला सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस



## उपविभाजित प्लॉटों पर बने मकानों के नक्शे पास करने की तैयारी

नई दिल्ली, (नगर प्रतिनिधि): दिल्ली नगर निगम राजधानी दिल्ली में स्थित उपविभाजित प्लॉटों पर बने मकानों के नक्शे पास करने की कवायद शीघ्र शुरू करेगा। इससे दिल्ली के करीब 50 लाख लोग लाभान्वित होंगे।

नगर निगम स्थायी समिति की बैठक में आज सदस्यों द्वारा दिल्ली में उपविभाजित प्लॉटों पर बने मकानों के नक्शे पास न किए जाने से लोगों को हो रही परेशानी के निपटारे को आर्थिक नुकसान होने का भीमला उठाए जाने पर अतिरिक्त आयुक्त इंजीनियरिंग

नरेश कुमार ने बताया कि ऐसे प्लॉटों पर बने मकानों पर फिलहाल नक्शे पास नहीं किए जा सकते। क्योंकि इनके लिए विशेष भवन उपनियम नहीं बने हैं।

उन्होंने बताया कि आज इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान केन्द्रीय बाहरी विकास मंत्रालय को निर्देश दिए हैं कि इसी साल जून माह के अन्त तक विशेष भवन उपनियम बनाए जाएं जो दिल्ली के नये मास्टर प्लान में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप हो।

गाजीपुर बूचड़खाने की जल्दी ही दिक्कतें दूर होंगी : मेहरा : निगमायुक्त कंवल सिंह मेहरा ने पूर्वी दिल्ली स्थित गाजीपुर बूचड़खाने को

विश्वस्तर का बताते हुए आज कहा कि फिलहाल इसको चलाने में आ रही दिक्कतें जल्द ही दूर कर दी जाएंगी।

निगम की स्थायी समिति की यहां बैठक में बूचड़खाने को लेकर विपक्ष के सदस्यों द्वारा उठाये गये सवाल का जवाब देते हुए श्री मेहरा ने कहा कि इसको स्थापित करने में विश्व स्तर की प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले निकाली गई निविदा में इसे चलाने में आर्थिक रूप से कुछ दिक्कतें आ रही थीं किंतु अब इन दिक्कतों को दूर करने के लिए कदम उठाये गए हैं और जल्दी ही दिल्ली के लोगों को इस बूचड़खाने से बढ़िया गुणवत्ता वाला मांस उपलब्ध होने लगेगा।

### AM BOARD, FATEHABAD E NO. 01/2009

ment of Rs. 250/- for works upto Rs. 20.00 lacs and Rs. 1000/- for works undersigned for the following works date & place of receiving & opening will be issued upto 02.06.2009 by 1.30 PM & no tender form will be L and shall be opened on the same ed in New Grain market, Fatehabad o ever may like to be present. to Haryana PWD common schedule ems of works and in case of other

Ernest money	Time Limit	Date of Tender
3,300/-	3 Months	02.06.09

3,800/- 3 Months 02.06.09

4,600/- 3 Months 02.06.09

7,100/- 3 Months 02.06.09

igs of work can be seen in the office

itions given in the detailed notice

of enlistment/renewal of enlistment me of Executive Engineer, HSAM

h), PWD Irrigation, HUDA, HSIDC, der in HSAM under a appropriate d enlistment in the Board.

form will only be issued to those

ed form shall not be entertained. g bills of the contractors subject to

to be summarily rejected.

to the requirement of Engineer-in-

ler without assigning any reason. p. societies/unemployed graduate

lay, then the tenders will be opened

nificate of authority than progress the magnitude for which they are society authorizing the person for

Rs. 5.00 lacs and for above will be ed.

the tune of Rs. 5.00 lacs and three of work which ever occur earlier. of tender forms.

unconditional.

submission of tender, failing which

be deducted as per instructions of

m of the office.

Sd/-  
EXECUTIVE ENGINEER

## नावल्टी सिनेमा की जगह वाणिज्यिक परिसर के निर्माण को हरी झंडी

नई दिल्ली, (नगर प्रतिनिधि): पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के निकट स्थित नावल्टी सिनेमा, पैजेटिक और जुबली सिनेमा की तरह अब इतिहास के पन्नों में ओझल हो जायेगा। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति ने सिनेमा स्थल पर वाणिज्यिक परिसर बनाये जाने को आज मंजूरी दे दी। निगम के इस फैसले का विरोध करते हुए विभिन्न समाज सेवी संगठनों ने आन्दोलन करने का निर्णय लिया है। स्थायी समिति में मंजूर प्रस्ताव के तहत नावल्टी सिनेमा की 1389 वर्ग गज भूमि को 99 वर्षों के लिए वाणिज्यिक उपयोग के लिए पट्टे पर दिया जायेगा। निगम को लंबी कानूनी लड़ाई के बाद हाल ही में नावल्टी सिनेमा की भूमि वापस मिली है। प्रस्ताव के तहत परियोजना के एकमुश्त लाइसेंस शुल्क के लिए पांच करोड़ रुपए की राशि के अलावा 15 लाख रुपए वार्षिक शुल्क लिया जायेगा। निगम को तीस वर्ष के दौरान इस जमीन से साढ़े नौ करोड़ रुपए राजस्व की प्राप्ति होगी। यह परिसर डिजाइन-

बनाओ, अपनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो के आधार पर बनाया जायेगा। परियोजना का ठेका खुली निविदा के आधार पर आवंटित किया जायेगा और बोलीदाता का समाप्त चित्त वर्ष में कारोबार 200 करोड़ रुपए से कम नहीं होना चाहिए।

बोलीदाता पिछले तीन साल से लाभ कमाने वाली कंपनी रही हो। उधर इस प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के विरोध में स्वयं सेवी संगठनों ने आंदोलन चलाने का फैसला किया है। दिल्ली बचाओ बनाओ समिति के अध्यक्ष संदीप निराला ने समिति के इस फैसले को पुरानी दिल्ली की जनता के साथ ज्यादती बताते हुए।

## बीएलएड क्रेश कोर्स 3 जून से

नई दिल्ली, (पैट्रो): क्या आप दिल्ली विश्वविद्यालय से बीएलएड पाठ्यक्रम करना चाहते हैं और इसमें दाखिले के लिए महंगी कोचिंग नहीं लेना चाहते तो इस आपकी मदद कर सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (इसू) बीएलएड में दाखिले के इच्छुक छात्रों को सस्ती कोचिंग उपलब्ध करवा रहा है। इसू की ओर से आयोजित बीएलएड क्रेश कोर्स 3 जून से 14 जून तक होगा। यह क्रेश कोर्स इसू आफिस के पीछे स्टडी सेंटर में होगा। इसू उपाध्यक्ष मनोहर नागर ने बताया कि नए छात्रों को निजी कोचिंग सेंटर्स की महंगी कोचिंग से बचाने के लिए इसू ने क्रेश कोर्स शुरू करने का कदम उठाया है। उन्होंने बताया कि क्रेश कोर्स के माध्यम से नए छात्रों को एनएसयूआई से जोड़ना है। बीएलएड क्रेश कोर्स की फीस 100 से 200 रुपए के बीच होगी।

## दिल्ली-गया के बीच स्पेशल ट्रेन

नई दिल्ली, (पैट्रो): रेल यात्रियों की बढ़ती भीड़ के मद्देनजर उत्तर रेलवे ने दिल्ली-गया के बीच एक विशेष साप्ताहिक ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह विशेष ट्रेन गया से प्रत्येक वीरवार और दिल्ली से प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी।

उत्तर रेलवे प्रवक्ता के मुताबिक गया-दिल्ली साप्ताहिक ट्रेन प्रत्येक वीरवार को सायं 7.25 गया से चलेगी और अगले दिन 11.50 बजे दिल्ली जंक्शन पहुंचेगी। यह विशेष सेवा 21 मई से 26 जून तक जारी रहेगी।



### बाल सेवा

महिला एवं बाल वर्ष 2009 के राल बाल सेवा के लिए जाएंगे जिन्हें

- 1) बाल विकास
- 2) बाल सुरक्षा
- 3) बाल कल्याण

संस्थानों के पेड़ रुपये का नकद इच्छुक व्यक्ति कार्य किया हो, विकास विभाग, आवेदन निदेशक 12.06.2009 को

सू.प्र.नि./0258/2009-



### बाल

महिला एवं 2009 हेतु तीन प्रदान करने का

“बाल कल्याण प्रदान किए जा सर्वश्रेष्ठ कार्य किसी व्यक्ति त प्राप्त करने पर (तीन लाख रुपये रु. 1.00 लाख)

राष्ट्रीय राल वाले व्यक्ति/विभाग, पोर्टा निर्धारित आवेद विकास विभाग फार्म उनके जाने चाहिए।

DIP/260/09-10

पो



# अतिरिक्त निर्माण को रेग्युलर करने की कवायद शुरू

वरिष्ठ संवाददाता ॥ नई दिल्ली

एमसीडी ने नए मास्टर प्लान के अनुसार, रिहायशी, कमर्शियल व इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में बढ़ाए गए अतिरिक्त निर्माण (एफएआर) को तुरंत प्रभाव से रेग्युलर करने की कवायद शुरू कर दी है। इस बाबत ऐसी प्रॉपर्टी के मालिक एमसीडी के जूनल कार्यालयों में संपर्क कर एफएआर या नए निर्माण को रेग्युलर करवा सकते हैं। एमसीडी ने उनकी मदद के लिए गाइड लाइंस भी तैयार किए हैं।

एमसीडी की स्टैंडिंग कमिटी के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के अनुसार, एफएआर के लिए प्रस्तावित टेड्स केंद्र सरकार ने नोटिफाई कर दिए हैं। इसके

बाद रिहायशी, कमर्शियल व इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के मालिक उस हिस्से को भी नियमित करवा सकते हैं, जिन्हें अब तक अवैध माना जा रहा था। इस बाबत

एमसीडी के जूनल डिप्टी कमिशनर को आदेश दिए गए हैं कि वे केंद्र सरकार द्वारा मंजूर किए गए कन्वर्जन, मिक्सड लैंड यूज व अन्य शुल्कों को बसूल कर मामला निपटाएं। विजेंद्र का कहना है कि इस

योजना से दिल्ली के लाखों लोगों को राहत मिलेगी और उन्हें सीलिंग व तोड़फोड़ की आशंका से छुटकारा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग कमिटी ने जिस प्रॉपर्टी को अवैध व अनियमित करार दिया था, वे रेग्युलर हो जाएंगी। उन्होंने बताया कि मामला सिर्फ एफएआर को रेग्युलर करने का नहीं है। बल्कि मास्टर प्लान के अनुसार, जिस अवैध निर्माण को निश्चित धनराशि लेकर नियमित करने की बात कही गई थी, अब उस प्रॉपर्टी भी रेग्युलर किया जा सकेगा। अब ऐसे नए या अतिरिक्त निर्माण मिक्सड यूज के तहत रेग्युलर हो सकेंगे, जो रिहायशी प्रॉपर्टी में किए गए हैं।



## सीलिंग से राहत

एमसीडी के जूनल कार्यालयों में संपर्क करना होगा

एफएआर के लिए प्रस्तावित टेड्स केंद्र सरकार ने नोटिफाई किया

कन्वर्जन, मिक्सड यूज व अन्य शुल्क बसूलकर निपटारा हो सकेगा

## फिर छाया कोहरा, फिर लेट हुई फ्लाइट्स

स ॥ नई दिल्ली : आईजीआई एयरपोर्ट पर कोहरे की वजह से 50 से ज्यादा फ्लाइट्स 20 मिनट से लेकर चार घंटे तक की देरी से आई और गई। एक इंटरनेशनल फ्लाइट का मार्ग बदला गया और एक को कैसल किया गया।

एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक, रनवे पर कोहरे का असर रविवार रात करीब 11:30 बजे दिखाई देना शुरू हो गया था। करीब डेढ़ घंटे बाद दोनों रनवे की विजिबिलिटी काफी कम हो गई और रनवे नंबर-29 पर यह 650 तक आ गई। सोमवार सुबह 10:05 बजे के बाद ही विजिबिलिटी में सुधार आना शुरू हुआ। जिन एयरक्राफ्ट्स में कैट-1, 2, 3ए और उन्नी की सुविधा नहीं थी, वे इस दौरान न तो टेकऑफ कर पाई और न ही लैंड। कोहरे की वजह से मस्कट से दिल्ली आने वाली एयरइंडिया की फ्लाइट को जयपुर भेजा गया, जबकि जेट एयरवेज की दिल्ली से मुंबई जाने वाली फ्लाइट को कैसल कर दिया गया। इस दौरान 113 फ्लाइट्स को ऑफसेट किया गया।

इसके अलावा, 12 डोमेस्टिक और 7 इंटरनेशनल फ्लाइट के समय में भी बदलाव किया गया। 50 से ज्यादा फ्लाइट्स के लेट होने के अलावा यात्रियों को उनका सामान मिलने में भी देरी हुई।

## दो नेपालियों की हत्या, साथी फरार

स ॥ समयपुर बादली : राजा विहार को जेजे कॉलोनी में एक मकान से सोमवार सुबह राम प्रसाद (40) और कांचा (22) नाम के दो नेपालियों को लाशें बरामद की गईं। दोनों के शरीर पर चाकू के वार और भारपीट के निशान मौजूद थे। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। इनके साथ ही रहने वाला इनका एक अन्य नेपाली साथी राजू (22) वारदात के बाद से फरार है। पुलिस को शक है कि शायद उसी ने इस वारदात को अंजाम दिया है।

## एक टिकट पर 6 वर्ल्ड हेरिटेज

रिंची वर्मा (टीएनएन) ॥ नई दिल्ली

पर्यटकों को बहुत जल्द नए साल का गीहफा मिलने वाला है। वर्ल्ड हेरिटेज के तहत आने वाली ऐतिहासिक इमारतों (मॉन्यूमेंट्स) को पर्यटक सिर्फ एक टिकट के जरिए ही देख सकेंगे। यानी अगर आप लाल किले के साथ कुतुब मीनार, हुमायूँ का मकबरा और आगरा में आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी और ताज महल समेत कई वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को देखना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक जगह से एक टिकट लेना है और आप उससे

सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बंदोबस्त के लागू होने। रहा तो इसे उन सभी जगहों से जहाँ एक से ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइटें हैं। कल्चरल मिनिस्ट्री ने रिचिनी वर्मा को संभालने टीएनएन को बताया कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पर लग कर वक्त न बर्बाद व

## इंडियामार्ट.कॉम को इंटेल् कैपिटल से फंड

एनबीटी ॥ नई दिल्ली

देश की प्रमुख ऑनलाइन बी2बी मार्केट प्लेस कंपनी इंडियामार्ट.कॉम को इंटेल् कैपिटल से फंडिंग मिली है। इंटेल् कैपिटल दुनिया की प्रमुख वेंचर कैपिटल कंपनी है। इंडियामार्ट.कॉम भारतीय सप्लायर्स और इंटरनेशनल बायर्स को इंटरनेट, प्रिंट मीडिया और ट्रेड शो के जरिए करीब लाती है। इंटेल् कॉरपोरेशन की अंतरराष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट कंपनी इंटेल्

वैर पर देखा जा रहा है। इस निवेश से बाजार पर कंपनी की पकड़ और मजबूत हो सकेगी और भारत के छोटे और मध्यम उद्योगपतियों का हौसला मजबूत होना तय है। इंटेल् ने दिसंबर 2005 में 25 करोड़ डॉलर का इंटेल् कैपिटल इंडिया टेक्नॉलजी फंड बनाया था। इस फंड का इस्तेमाल भारत की टेक कंपनियों में निवेश के लिए किया जाता है ताकि लोकल स्तर पर टेक्निकल रिसर्च को प्रोत्साहन मिले

कोई को स यह रि और महत्व भरोसे मिलने मा साउथ कैपिटल

**Tribute**  
Paying homage to the departed soul

**UTHAVANI**  
With profound grief & sorrow we regret to inform the sad demise of **Mr. Nareesh Kumar Gupta** Husband of **Smt. Radha Devi** on **18.01.09**.  
Uthavani will be held on **20.01.09, 10 AM to 10.30 AM** at **A-30, Radha Krishan Mandir, CC Colony, Delhi-07**.

**In Grief:**  
Mr. Nareesh Kumar Gupta  
(Bhabhi) Maya Devi, (Brother's) Ram Nareesh Gupta, Bhim Sen Gupta, Padam Sen Gupta, (Son & Daughter in Law) Aman & Rajni Gupta, (Daughter in Law) Gita Gupta, (Daughter & Son in Law) Nimal & Rajiv Mittal, (Grand Son in Law) Prakash Mittal.

**Bajrang Electric Co. & Aman Electric Co.**



P.K- 20/11/09

# सम्पत्ति मालिकों को मिलेगा बड़े हुए एफएआर का लाभ

## एनडीपीएल ने बॉन्डी पालिसियां

नई दिल्ली (संदेश) : उत्तर और उत्तर-पश्चिम इलाके में बिजली सप्लाई करने वाली निजी बिजली कंपनी एनडीपीएल ने सोमवार को लंबे कालोनिियों में रहने वाले अपने एजिस्टेड उपभोक्ताओं को एक-एक लाख रुपये की बॉन्डी पालिसियां बांटीं ज्ञात रहे कि एनडीपीएल ने अपने उपभोक्ताओं के लिए इस पालिसी को मोफता छह माह पहले की थी जिसे आज अमलीजामा पड़ना ही गया। एनडीपीएल प्रवक्ता के मुताबिक एक-एक लाख रुपये की ये सबीध पालिसियां जो कालोनिियों में रहने वाले उपभोक्ताओं को मुफ्त दी जा रही हैं।

नई दिल्ली, (नगर प्रतिनिधि) : तलवार लटकी हुई थ। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मास्टर प्लान 2021 के अनुरूप बड़े हुए एफ.ए.आर. का लाभ सम्पत्ति मालिकों को देव का निर्णय लिया है। सभी क्षेत्रीय आयुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि विहायशी, व्यावसायिक, औद्योगिक एवं संस्थागत क्षेत्रों में सम्पत्तियों को नये मास्टर प्लान के अनुरूप बड़े हुए एफ.ए.आर. के अनुसार जनवजन, मिक्स लैंड यूज एवं अन्य शुल्क प्राप्त कर नियमित करें।

नगर सभा क्षेत्रीय प्रवक्ता के मुताबिक एनडीपीएल ने अपने उपभोक्ताओं को एक-एक लाख रुपये की बॉन्डी पालिसियां बांटीं ज्ञात रहे कि एनडीपीएल ने अपने उपभोक्ताओं के लिए इस पालिसी को मोफता छह माह पहले की थी जिसे आज अमलीजामा पड़ना ही गया। एनडीपीएल प्रवक्ता के मुताबिक एक-एक लाख रुपये की ये सबीध पालिसियां जो कालोनिियों में रहने वाले उपभोक्ताओं को मुफ्त दी जा रही हैं।

एनडीपीएल ने अपने उपभोक्ताओं को एक-एक लाख रुपये की बॉन्डी पालिसियां बांटीं ज्ञात रहे कि एनडीपीएल ने अपने उपभोक्ताओं के लिए इस पालिसी को मोफता छह माह पहले की थी जिसे आज अमलीजामा पड़ना ही गया। एनडीपीएल प्रवक्ता के मुताबिक एक-एक लाख रुपये की ये सबीध पालिसियां जो कालोनिियों में रहने वाले उपभोक्ताओं को मुफ्त दी जा रही हैं।

एनडीपीएल ने अपने उपभोक्ताओं को एक-एक लाख रुपये की बॉन्डी पालिसियां बांटीं ज्ञात रहे कि एनडीपीएल ने अपने उपभोक्ताओं के लिए इस पालिसी को मोफता छह माह पहले की थी जिसे आज अमलीजामा पड़ना ही गया। एनडीपीएल प्रवक्ता के मुताबिक एक-एक लाख रुपये की ये सबीध पालिसियां जो कालोनिियों में रहने वाले उपभोक्ताओं को मुफ्त दी जा रही हैं।

एनडीपीएल ने अपने उपभोक्ताओं को एक-एक लाख रुपये की बॉन्डी पालिसियां बांटीं ज्ञात रहे कि एनडीपीएल ने अपने उपभोक्ताओं के लिए इस पालिसी को मोफता छह माह पहले की थी जिसे आज अमलीजामा पड़ना ही गया। एनडीपीएल प्रवक्ता के मुताबिक एक-एक लाख रुपये की ये सबीध पालिसियां जो कालोनिियों में रहने वाले उपभोक्ताओं को मुफ्त दी जा रही हैं।

एनडीपीएल ने अपने उपभोक्ताओं को एक-एक लाख रुपये की बॉन्डी पालिसियां बांटीं ज्ञात रहे कि एनडीपीएल ने अपने उपभोक्ताओं के लिए इस पालिसी को मोफता छह माह पहले की थी जिसे आज अमलीजामा पड़ना ही गया। एनडीपीएल प्रवक्ता के मुताबिक एक-एक लाख रुपये की ये सबीध पालिसियां जो कालोनिियों में रहने वाले उपभोक्ताओं को मुफ्त दी जा रही हैं।

एनडीपीएल ने अपने उपभोक्ताओं को एक-एक लाख रुपये की बॉन्डी पालिसियां बांटीं ज्ञात रहे कि एनडीपीएल ने अपने उपभोक्ताओं के लिए इस पालिसी को मोफता छह माह पहले की थी जिसे आज अमलीजामा पड़ना ही गया। एनडीपीएल प्रवक्ता के मुताबिक एक-एक लाख रुपये की ये सबीध पालिसियां जो कालोनिियों में रहने वाले उपभोक्ताओं को मुफ्त दी जा रही हैं।

## सेवानिवृत्त आयु बढ़ाने के लिए याचिका

नई दिल्ली, (विधि सवाददाता) : आईआईटी (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी) के प्राध्यापकों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में गृह लगी कि उनकी सेवानिवृत्त की आयु अन्य उच्च शैक्षिक संस्थानों की आयु 62 वर्ष से बढ़ाए जाए। न्यायमूर्ति केलाश गंधी ने गाइडल सहित 25 वर्ष प्राध्यापकों ने याचिका दायर कर कहा है कि सरकार ने अपने 'पाच 2007' फैसले के अंतर्गत सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों के आभाव के कारण प्राध्यापकों की सेवानिवृत्त की आयु 62 वर्ष से 65 वर्ष कर दी थी लेकिन बाद में माजी

अनुभवी ठेकेदारों/कर्मों से निविदाएं दो भागों में लेटर पैड पर दिनांक 24.12.09 को 15 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिन अधोहस्ताक्षर/मनोनीत अधिकारी द्वारा सांख्यिक रूप से सिद्धिदा दाताओं/प्रतिनिधियों की उपस्थित में 15.30 बजे खोली जायेगी।

उक्त निविदाओं हेतु धारा 14 राशि एफ.ए.आर. (सी.डी.आर.) के रूप में अधोहस्ताक्षरी के पक्ष में देय हो सकेगी। कार्य से सम्बन्धित निविदा के प्रथम भाग में धरोहर धनराशि तथा द्वितीय भाग में कार्य से सम्बन्धित मूल्य और होगा।

अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सम्पूर्ण निविदा या उसके किसी भी अंश को बिना कोई कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। निविदा सूचना सं-15-46, कार्य का विवरण - Digital meter 96x96mm, Frequency meter, मात्रा - 04 Nos., धरोहर धनराशि - 200.00 सिविल सूचना सं-15-47, कार्य का विवरण - MCH 3x4.6 Amp, मात्रा - 08 Nos., विवरण - MCH 3x4.6 Amp, मात्रा - 08 Nos., धरोहर धनराशि - 200.00

अनुभवी ठेकेदारों/कर्मों से निविदाएं दो भागों में लेटर पैड पर दिनांक 22.1.09 को 15 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिन अधोहस्ताक्षर/मनोनीत अधिकारी द्वारा सांख्यिक रूप से सिद्धिदा दाताओं/प्रतिनिधियों की उपस्थित में 15.30 बजे खोली जायेगी।

उक्त निविदाओं हेतु धरोहर राशि निविदा दाताओं/प्रतिनिधियों की उपस्थित में 15.30 बजे खोली जायेगी। अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सम्पूर्ण निविदा या उसके किसी भी अंश को बिना कोई कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। निविदा सूचना सं-15-46, कार्य का विवरण - Digital meter 96x96mm, मात्रा - 04 Nos., धरोहर धनराशि - 200.00 सिविल सूचना सं-15-47, कार्य का विवरण - MCH 3x4.6 Amp, मात्रा - 08 Nos., विवरण - MCH 3x4.6 Amp, मात्रा - 08 Nos., धरोहर धनराशि - 200.00

अनुभवी ठेकेदारों/कर्मों से निविदाएं दो भागों में लेटर पैड पर दिनांक 22.1.09 को 15 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिन अधोहस्ताक्षर/मनोनीत अधिकारी द्वारा सांख्यिक रूप से सिद्धिदा दाताओं/प्रतिनिधियों की उपस्थित में 15.30 बजे खोली जायेगी। अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सम्पूर्ण निविदा या उसके किसी भी अंश को बिना कोई कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। निविदा सूचना सं-15-46, कार्य का विवरण - Digital meter 96x96mm, मात्रा - 04 Nos., धरोहर धनराशि - 200.00 सिविल सूचना सं-15-47, कार्य का विवरण - MCH 3x4.6 Amp, मात्रा - 08 Nos., विवरण - MCH 3x4.6 Amp, मात्रा - 08 Nos., धरोहर धनराशि - 200.00



**TRAVEL**

**PASSPORT ASSISTANCE**

PASSPORT Facilities of same add change tathal sewa: new renewal BCNR/PC at your door step. V. S. Tours# 0638038/39, 9313754419.

M.A. B.Ed LLB(DU) working Father's Reid. GM BHEL. Contact M: 9968987497 Email: cqaars@yahoo.co.in BHP must. Subcaste no bar.

#### MUSLIM

SUITABLE match for Sun ni muslim Shaikh 27/53" girl MBBS from Nepal. Preparing for M.C.I Contact: 09997486168, 09412544722 Email: neversay dlearman@gmail.com

**Booking an ad never got so easy!**

#### Authorised Times Space Centers

You can now book your classified ads at any of our Authorised Times Space Centers as listed below:

**FARIDABAD:** B.K. Chowk : R. K. Advertising ☎: 0129-4033253, 9810456253 Ballabgarh: DGS Media ☎: 9810688237, 9810549048 Kalyan Singh Chowk : BSS Advertising & Marketing ☎: 9818078183, 9811502088 Neelam Flyover: Durga Advertising ☎: 9811195834 NIT: Ritika Ads ☎: 0129-2429890, 9350309890 Sector 15: Pulse Advertising Solutions ☎: 9810462255, 4022255 Sector 31: Karan Advertising & Marketing ☎: 9810318205, 0129-4151205

**SHAZIABAD:** Ambedkar Road: Universal Advertising ☎: 0120-2798518, 9312364247 Gohindpuram: Prince Publicity ☎: 0120-2764012, 9868457701 Hapur More: Tirupati Balaji Advertising & Marketing ☎: 9871895198, 9310522380 Varibhav Khand/ Indirapuram: Shree Advertising ☎: 9213270050, 9818902981 Sahibabad: Media Mantra Advertising ☎: 9560211002, 0120-3018902 Vaishali: Green Channel Communication ☎: 9899721820, 9310321820, Prachar Sewa Kendra ☎: 9818857715, 0120-272275

**GURGAON:** Civil Lines: Shanti Advertising Agency ☎: 9811685522 DLF City : Bhavya Enterprises ☎: 0124-4059245, 9958584466 Palam Vihar: Oasis Advertising ☎: 0124-4064901, 9811929792 Sadar Bazar : Bansal & Co. ☎: 0124-2329442, 9818957999 Sector 14: Fortune Ads & Comm. ☎: 0124-4082252, 9810083817 Shushanti Lok: Ad-Edge ☎: 9311779792, 9811779792 Signature Tower South City-I: Adonix Advertising ☎: 9810366113, 4257450 Sohna Road: Shivay Advertis-ing ☎: 9810834415

**NOIDA:** Film City: Bharat International, ☎: 0120-3918954, 9811771711 Greater Noida: Media Network, ☎: 0120-4291029, 9310919359 S.S Advertisers ☎: 9810792253 Sector 22: N.K. Comm-unications & Marketing ☎: 0120-4548859, 9810425581 Sec27/Alta Mkt.: Aashirwad Media Associates ☎: 9891371063, 9312541624 Sec - 29, RDX Advertising ☎: 0120-2453602, 9810662089 Sec. 31: The Sai Media ☎: 0120-4216117, 9810506092 Sector 34 : Bottomline Advertising ☎: 0120-4311221, 9810611221

**BAHADUR SARH:** Shyamji Complex: Rohini Advertising ☎: 9560715566, 9136155972

**KARNAL:** Club Market: Grover advertising agency ☎: 0184-4044026, 99896694026

**PANIPAT:** Gohana Road: Royal Advertising ☎: 92151 40800 Om Ad Agency ☎: 9729302332, 9467725177

**SONEPAT:** Geeta Bhawan Chowk: Girish Advertising Agency ☎: 9896333534, 9215333534 Railway Road: Sethi ad. Agency ☎: 98963399025

**MEERUT:** Prominent Communication ☎: Ph: 0121-2523498, 0121-2403151 Kunika Advertising ☎: 4023820 09818373200 RR Classifieds ☎: 0121-2641338, 2401294, 09412203620 Shivam Enterprises ☎: 9720004668, 9412206644, 0121-2646464 Singhal Advertising ☎: 0121-2660066, 2665166, 9837168466 Chhabra Advertising ☎: 0121-2662558 Mob: 9897062558

**MODI NAGAR:** The Neo Generations Group ☎: 9837491271

For any TSC Enquiry or to avail the Agency Booking System facility for booking classifieds advertisements from your office please call : Subhabrata - 9871461442, Ramit - 9810735151, or 011-23302355, 23492079 or e-mail to subhabrata.bardhan@timesgroup.com for booking online login to www.ads2book.com

**TIMESCLASSIFIEDS**

दो घोषित करने से रोककर दिल्ली वालों को नुकसान पहुंचाया है। बीजेपी का कहना है कि उस वक्त डीईआरसी बिजली की दरें कम करने जा रही थीं लेकिन ऐन मौके पर दिल्ली सरकार ने उसे रोक दिया। अब अदालत ने ही कह दिया है कि दिल्ली सरकार ऐसा नहीं कर सकती थी।

प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और विपक्ष के नेता विजय कुमार मल्होत्रा ने अलग-अलग बयानों में ही है कि दिल्ली सरकार को इस हरकत

3-12-10

## कुछ ले-देकर ही क्यों बन पाता है मकान सरकार के नियम कायदे भी जिम्मेदार

रामेश्वर दयाल ॥ नई दिल्ली

राजधानी में आखिर अवैध निर्माण को बढ़ावा क्यों मिल रहा है और क्या कारण है कि लोगों को नक्शा पास करने के लिए सालों धक्के खाने पड़ते हैं और आखिर में ले-देकर ही अपना मकान बनवाना पड़ता है। असल में इसके लिए नया मास्टर प्लान तो दोषी है ही, एमसीडी का पुराना यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज भी लोगों को नक्शा पास करवाने में पेड़ा अटक रहा है। इन दोनों में बदलाव संभव है, लेकिन एमसीडी अधिकारी इसके लिए पहल नहीं करते ताकि प्रशासन जारी रहे।

इस मामले में एमसीडी के टाउन प्लानिंग विभाग और विधि विभाग को हमेशा कटघरे में खड़ा किया जाता रहा है।

नए मास्टर प्लान से बड़ी मुश्किलें राजधानी में किसी भी तरह की प्रॉपर्टी का नक्शा पास करने या उसे नियमित करने का अधिकार एमसीडी के पास है। एमसीडी के पास यह भी अधिकार है कि वह नए मास्टर प्लान के प्रावधानों को लागू करे, ताकि दिल्ली का सही तरह से स्ट्रक्चरल विकास हो सके। लेकिन एमसीडी के बिल्डिंग बायलॉज और मास्टर प्लान के कुछ नियम इतने दुरुह हैं कि नक्शा पास करवाना किसी बड़े युद्ध को जीतना है। पहले मास्टर प्लान की बात करें। उसमें यह प्रावधान है कि अगर किसी प्लॉट के दो या उससे अधिक टुकड़े (सब डिविजन) हो जाते हैं तो किसी भी हालत में उसका नक्शा पास नहीं किया जा सकता। अब जिस तरह से परिवार बढ़ रहे हैं या उनमें झगड़े होकर जमीन जायदद का बंटवारा हो रहा है तो उस जमीन का नक्शा पास न होना खासा पेशानी का कारण है।

एमसीडी का बिल्डिंग बायलॉज गड़बड़ अब एमसीडी के बिल्डिंग बायलॉज की बात करें। अगर किसी ने कोई पुराना मकान या जमीन आधिकारिक तौर पर खरीद ली है तो एमसीडी में उसका नक्शा पास कराने के लिए उस मकान के पुराने मालिकों की पूरी चेन का दस्तावेज एमसीडी का सौंपना होगा या पुराने मालिकों से उसका एनओसी लाना होगा। इसके अलावा किसी व्यक्ति ने अगर किसी मकान की छत

घाट दिखाया। कंपनियों ने मांग की थी कि बिजली की दरों में बढ़ोतरी की जाए लेकिन बिजली कंपनियों की यह दलील डीईआरसी के गले नहीं उतरी। आयोग ने खालों की जांच कराई तो पता चला कि गत साल 3577 करोड़ रुपये का फालतू मुनाफा कमाया। इसी वजह से डीईआरसी बिजली की दरों को कम करने की राय दे रही थी लेकिन सरकार ने डीईआरसी को इस बारे में आदेश देने से इनकार कर दिया।

खरीद ली है तो उसे नीचे बने मकानों के मालिकों से एनओसी लेना होगा, जो काफी पेशानी वाला काम है। एक नियम यह भी है कि हर फ्लोर का अलग से नक्शा पास कराना होगा। राजधानी में एक नियम यह भी है कि अगर कहीं पुरातत्व महत्व का स्ट्रक्चर है तो उसके आसपास 300 गज के दायरे में कोई निर्माण नहीं हो सकता। जबकि इस नियम को खुलेआम धजिया उड़ाया जा रहा है और एमसीडी के प्रशासन के कारण ऐसे स्ट्रक्चरों के आसपास स्लम जैसी स्थिति बन गई है। पुरानी दिल्ली, कटवारिया सराय, मुनिरका आदि इलाके इसके उदाहरण हैं।

टाउन प्लानिंग व लॉ डिपार्टमेंट घेरे में इस मामले में एमसीडी के इंजीनियरिंग विभाग के आला अधिकारी अपने ही टाउन प्लानिंग विभाग और विधि विभाग पर प्रशासन और लापरवाही का आरोप लगाते हैं। अफसरों का कहना है कि जब नया मास्टर प्लान बन रहा था तो इन विभागों को कहा गया था कि वे सब डिविजन वाले मामले को नए मास्टर प्लान से हटवाएं, लेकिन उसके अफसरों ने वहां कोई पक्ष ही नहीं रखा। जब कोई व्यक्ति कानूनी तरीके से कोई प्रॉपर्टी खरीद लेता है तो पुराने मालिकों की चेन का दस्तावेज क्यों जरूरी है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति किसी मकान की छत खरीद लेता है तो उसे नीचे के मकान मालिकों से एनओसी की क्या जरूरत है। अगर ये दोनों विभाग बहुत पहले से एमसीडी के बिल्डिंग बायलॉज को बदलवाने के लिए केंद्र सरकार से गुजारिश करते तो आज ऐसी हालत नहीं होती। इंजीनियरिंग विभाग का यह भी कहना है कि अगर किसी पुरातात्विक महत्व के स्ट्रक्चर के आसपास कोई छोटी-मोटी रियायतों इमारत बन रही है तो उससे स्ट्रक्चर को क्या नुकसान होने वाला है। इस पक्ष को भी कभी केंद्र सरकार के सामने नहीं रखा गया। विभाग का यह भी कहना है कि राजधानी में हर इलाके का अलग अलग लेआउट प्लान बना हुआ है। लेकिन टाउन प्लानिंग विभाग ने उसे आज तक ऑनलाइन नहीं किया, जिससे लोगों इसका पता नहीं लग पाता। ऐसे में वे एमसीडी इंजीनियरों का कहना मानकर चढ़ावा चढ़ाने पर मजबूर हो जाते हैं।



# भियंताओं की सूची तैयार

ऐसे निर्माणों को भी निशाना बना रहा है, जहां अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। बिल्डिंग विभाग के

**भाग से बेदखल किया जायेगा : दागी इफोड़ नहीं कर सकेंगे**

अभियंताओं ने ही इमारत बनाने वालों से सांठगांठ कर अवैध निर्माण होने दिया है और अब वे ही इसे तोड़ने में लगे हैं। इस कारण निगम के उच्च अधिकारियों को संदेह है कि ऐसे इंजीनियरों की कार्यप्रणाली को लेकर कहीं लोग न्यायालय में दस्तक न दे दें, अगर मामला

न्यायालय में गया तो निगम खूब खरीखोटी सुनने को मिलेगी। इस कारण दागी इंजीनियरों को बिल्डिंग विभाग से हटाने का निर्णय लिया गया है। निगम निर्माण समिति के

अध्यक्ष जगदीश ममगाई के अनुसार बिल्डिंग विभाग में ऐसे इंजीनियरों की संख्या करीब 30 है, जिन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। भ्रष्ट आचरण के कारण किसी इंजीनियर को सीबीआई ने दबोचा है या कोई भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के हथ्थे चढ़ा है। बावजूद इसके मजे से दागी

अभियंता भवन विभाग में जमे हुए हैं। दिल्ली नगर निगम में जप्रतिनिधियों और अन्य लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि दागी अभियंता अपने इलाकों में अवैध निर्माण को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। शिकायतों के मद्देनजर निर्णय लिया गया है कि इन अभियंताओं को तुरंत प्रभाव से वर्क्स, प्लानिंग, सफाई आदि विभागों में भेज दिया जाए। यह भी निर्णय लिया गया है कि जो इमारत अवैध बनना शुरू होती है, उसे शुरूआती दौर में रोक दिया जाए ताकि निगम की छवि साफ हो।

**शुल्क लेकर अवैध भवनों को नियमित करने का आदेश दिया**

नई दिल्ली, (पैट्रो): दिल्ली नगर निगम अब सब डिवीजन प्लॉट व जोड़ों के नक्शे जल्द से जल्द पास करने व मास्टर प्लान 2021 के अंतर्गत 15 मीटर तक ऊंचे निर्मित भवनों को शुल्क लेकर नियमित करने का कार्य जल्द ही शुरू करेगा। इस यावत आदेश जारी करते हुए निगम निर्माण समिति के अध्यक्ष जगदीश ममगाई ने कहा कि दिल्ली में एक लाख से अधिक भवन तकनीकी कारणों से नियमित नहीं हैं, जिनके चलते संपाति स्वामियों के सिर पर सदैव तलवार लटकी रहती है। ममगाई ने कहा कि दिल्ली में तेजी से बढ़ती जनसंख्या के मुकाबले आवासीय इकाइयों का अभाव है, इसके लिए सदि निर्मित भवन का ढांचा सुदृढ़ है तो उन्हें शुल्क लेकर नियमित किया जाना चाहिए। इस आशय का प्रस्ताव दिल्ली नगर निगम पाले में है। उन्होंने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री जयपाल रेड्डी से अपील की है कि इस संबंध में अधिसूचना तुरंत जारी की जाए और अधिक विलंब करने से दिल्लीवासियों को तोड़फोड़ व सीलिंग का सामना करना पड़ सकता है। निर्माण समिति अध्यक्ष ने निगम के भवन विभाग से सभी आपराधिक मामलों में लिप्त अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दागी अधिकारियों को हटाने से आम जनता का निगम के प्रति भरोसा बढ़ेगा।

## दिल्ली की सुरक्षा के लिए कारगर योजना बनाए जाने की जरूरत : शीला

नई दिल्ली, (नगर प्रतिनिधि): दिल्ली में बढ़ती आपराधिक घटनाओं और सुरक्षा व्यवस्था का लेकर चिंतित मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित ने दिल्ली की सुरक्षा को और चाक-चौबंद करने के लिए ठोस कारगर योजना बनाए जाने की बात कही है। साथ ही यहां के महत्वपूर्ण बाजारों, सिनेमाघरों, भोड़भाड़ वाले स्थानों पर और अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए ताकि चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जा सके। यह बात आज यहां जर्मन के प्रतिनिधिमंडल से आपदा प्रबंधन और सुरक्षा तकनीक पर विचार-विमर्श करने के बाद मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कही। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन एवं सुरक्षा से संबंधित उपकरणों एवं तकनीक के लिए दिल्ली सरकार और जर्मनी के बीच आपसी सहयोग एवं सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाएगा इससे आपदा प्रबंधन के दौरान दिल्ली और जर्मनी को लाभ मिलेगा।

प्रतिनिधिमंडल में जर्मनी की सुरक्षा एवं तकनीकी कंपनियों के सीईओ व अन्य अधिकारी मौजूद थे। दिल्ली सचिवालय में हुई इस मुलाकात में आपदा प्रबंधन एवं सुरक्षा संबंधी विषयों पर गहन चर्चा की गई। जर्मनी

प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे फेडरल मिनिस्ट्री आफ इकोनामिक्स एंड टैक्नालोजी के पार्लियामेंट स्टेट सैक्रेटरी अर्नस्ट ब्रूग बैचर ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रतिनिधिमंडल आपदा प्रबंधन और सुरक्षा उपकरणों से संबंधित अहम मुद्दों एवं सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए भारत दौर पर है। प्रतिनिधिमंडल ने भारत के गृह सचिव से मुलाकात कर सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की है।

## उद्योग भवन में आग लगी

नई दिल्ली, (पैट्रो): सरकारी कार्यालयों में आग लगने की घटनाओं में बीती रात और वृद्धि हो गई। केंद्र सरकार के उद्योग मंत्रालय का कार्यालय उद्योग भवन आग की चपेट में आ गया। भवन के प्रथम तल में लगी आग में कागजात और फर्नीचर जल कर राख हो गया। आग से हुए नुस्सान का जायजा लिया जा रहा है। दमकल विभाग के मुताबिक आग लगने की दूसरी घटना करोलबाग इलाके में लिबर्टी सिनेमा हाल के पास स्थित एक प्लास्टिक गोदाम की है। चार मंजिला इस भवन में लगी आग को काबू करने में पांच घंटे का समय लगा।

## डी.यू. में नुक्कड़ नाटक

नई दिल्ली, (पैट्रो): दिल्ली विश्वविद्यालय में आज रक्तदान शिविर का आयोजन और नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर डूसू की उपाध्यक्ष प्रिया डबास ने बताया कि नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता में आत्मा राम सनातन धर्म कालेज ने पहला पुरस्कार जीता और राजधानी कालेज ने द्वितीय पुरस्कार।

इस अवसर पर सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने रक्तदान किया। बाद में वृक्षारोपण भी किया गया।

## उत्तर पश्चिम रेलवे

## वाणिज्य विज्ञापन हेतु खुली निविदा आमंत्रण

NIT : 28/NIT/Vinyl Wrapping / 10

Date : 06.12.2010

भारत के गणराज्य की ओर से तीन वर्ष की अवधि के लिए जोधपुर पंडल पर संचालित गाड़ी सं 2479/2480, 2466/2465 व 491/492 के सवारो डिब्बों की बाहरी सतह पर विनाइल रेपिंग के माध्यम से विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु दो पॉकेट टेन्डर पद्धति के अंतर्गत एक मात्र अधिकारी की अनुमति प्राप्त करने के लिए पुरावद लिफाफे में अनुभवी विज्ञापन एजेंसी/स्नाईट से खुली निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा सं.	कार्य का नाम एवं स्थान	कार्य की अवधि	आंशिक मूल्य	ब्याना राशि	निविदा फार्म का मूल्य
28	जोधपुर पंडल पर संचालित गाड़ी सं. 2479/2480, 2466/2465, 491/492 के सवारो डिब्बों की बाहरी सतह पर विनाइल रेपिंग के माध्यम से विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु।	तीन वर्ष	Rs. 22,48,640/- (प्रथम वर्ष के लिए)	Rs. 45,000/-	Rs. 3630/-

1. कार्यालय का पता जहाँ से निविदा फार्म प्राप्त किया जा सकता है : इच्छुक निविदाकार निविदा फार्म 04.01.2011 तक वाणिज्य शाखा, पंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, जोधपुर में किसी भी कार्य दिवस में व दिनांक 04.01.2011 के 17.00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। निविदा फार्म उत्तर पश्चिम रेलवे की वेबसाइट [www.northwesternrailway.gov.in](http://www.northwesternrailway.gov.in) से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इस स्थिति में निविदाकार को निविदा के साथ फार्म की कीमत तथा ब्याना राशि के मूल दस्तावेज लगाने होंगे। बिना उपर्युक्त ब्याना राशि, निविदा फार्म की कीमत के दस्तावेज तथा सराई टेंडर (Conditional Tender) अस्वीकार्य है तथा निरस्त करने योग्य होंगे। 2. निविदा प्राप्त करने/खोलने की तिथि एवं समय : निविदा वाणिज्य शाखा, उ.प.रे. जोधपुर में रखे निविदा बॉक्स में दिनांक 05.01.2011 को 15.00 बजे तक स्वीकार की जायेगी तथा उसी दिन तत्पश्चात् निविदाकार या उसके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी। यदि निविदा खोलने की तिथि को किसी कार्यवाही अन्वेषण रहता है तो निविदा अगले खाली बायेगी। यदि निविदा खोलने की तिथि को किसी कार्यवाही अन्वेषण रहता है तो निविदा अगले खाली बायेगी। यदि निविदा खोलने की तिथि को किसी कार्यवाही अन्वेषण रहता है तो निविदा अगले खाली बायेगी। 3. वेबसाइट तथा नोटिस बोर्ड जहाँ से निविदा के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है : निविदा के संबंध में पूरी जानकारी वेबसाइट [www.northwesternrailway.gov.in](http://www.northwesternrailway.gov.in) से अथवा वाणिज्य शाखा, पंडल रेल प्रबंधक कार्यालय उत्तर पश्चिम रेलवे, जोधपुर के कार्यालय के बाहर लगे नोटिस बोर्ड से प्राप्त की सकती है।

326/J

जोधपुर-हिसार-जोधपुर हॉलीड स्पेशल सवारो गाड़ी जोधपुर से प्रस्थान 11.00 (प्रतिदिन), हिसार से प्रस्थान 05.15 (प्रतिदिन)

## करते रहने का संकल्प

1 जन्म दिवस

करोल बाग युवा कांग्रेस, सरदार



दिल्ली नगर निगम



Central Market Welfare Association, Prashant Vihar (Regd.)

F-1, Garda Chamber-1, Plot No. 9, 'D' Block, Central Market, Prashant Vihar, Delhi-110 085

OFFICE OF UDM

Dy. No. 4119

Date 23/11/11

Dated: 10-11-2011



To,

Sh. Kamal Nath Ji,  
Hon'able Minister of Urban Development,  
Ministry of Urban Development, Govt. of India,  
Nirman Bhawan,  
New Delhi-

PS to UDM  
Secy (UG)

SUB:- Suggestions regarding review of MPD-2021.

Respected Sir,

Your statement in the national press pointing out that the MPD-2021 does not match with ground realities of life of citizens of Delhi and needs a comprehensive review proposed to be taken up next year, is a huge relief to the citizens of Delhi for which we, a very small part of the effected citizens, extend our heartfelt thanks to you for the bold stand taken by your good self in this matter.

In this connection we very humbly submit the points which need to review and may kindly may considered at the time of the proposed review of the MPD-2021.

1. Chapter '15.0 Mixed Use Regulations' of the MPD-2021 deals with mixed use of residential properties both for commercial and mixed land use. Para 15.6.3 of the above chapter permits opening / operation of up to four shops measuring not more than 20 sq. mts each in a residential plot / flat / house in approved colonies. This amending provision in the MPD-2021 has been incorporated to regularize the shops already opened and being run by the owners of the house / flat unscrupulously in gross violation of the lease deed etc. of the plots / house / flats for allotment thereof by the DDA. The said provision permitting the owners of houses / flat / plots in planned colonies approved by DDA is discriminatory and illegal as explained below.

(a) The permission for change in land use from exclusively residential at the time of allotment of plot / flat / house to commercial ( opening of shops in such houses) is against the spirit of agreement / Lease deed and violations of Planning norms.

(b) Running of shops from residential houses / flats in these colonies has led to unlimited increase in commercial activity not envisaged in the Plan for allotment of house / plots / flat in the approved colonies, such colonies were created, initially for the sole purpose of citizens living in peace away from centers of commercial markets etc. Basically this provision is a breach of trust with Law abiding residents of the area.

Cont...P-2



P-2

( c ) The amendments permitting operating of four shops in a house especially in internal roads / lanes of colonies has created problems of parking , power supply, water supply etc. which is creating legal and social problems in these approved colonies which was not the aim for which such colonies were initially carved out.

( d ) The permission for opening and operating four shops from a house in the approved colonies is a grave injustice to the shop keepers of approved DDA markets whose business has been very adversely effected thereby.

In review of above, Chapter 15.0 in general and provision up to four shops mention in section 15.6.3 thereof in particular in the MPD-2021 needs to be withdrawn / deleted.

2. The relief given by 'Mixed Used Regulations' in planned colonies will accentuate & aggravate the condition of thousands of shop keepers in DDA markets / Local shopping centers, where the shops were purchased through open auction or otherwise after investing huge amounts there-in out of borrowed funds or hard earned money. The discrimination to be meted out to such genuine shop keepers of DDA markets / LSCs. itself infringes Article 14 of the constitution of India. In addition, grant of permission for opening & operating shops from residential units in the vicinity of DDA markets / LSCs developed by DDA would constitute a breach of trust which DDA had held out to buyers of these shops that no commercial activities would be allowed from the residential premises to be served by these DDA markets / LSCs./C.S.C in DDA planed colonies.
3. The permission to regularize in law retrospectively the illegal action of unscrupulous builders who have already converted the entire residential plots sold by DDA for residential purpose into units / centers for commercial purpose / activities in connivance with officials of MCD / DDA. is bad in law & in violation of Article 14 of the Constitution of India.



P-3

4. This is creating chaos in provisioning of civic amenities like parking space for vehicles, adequate power & water supplies and sanitary conditions which already have reached a stage of nadir in the Metropolitan city of Delhi.
5. The matter regarding MPD-2021 is also challenged by the RWA's / NGOs and DDA approved markets and is sub-judice before the Hon'able Supreme Court of India. In view of above it is suggested and requested please do the necessary action to give relief to the Law abiding citizens / Residents / shopkeepers of approved markets in the end of natural justice.

Thanking You,

Yours truly,



D. G. Goel

( Vice President )

For & on behalf of

Central Market Welfare Association,  
Block-D, Prashant Vihar, Delhi-110085